अल अक़ाइद

(तीसरा और चौथा भाग)

लेखक

ह. बहरुल उलूम अल्लामा सैयद अशरफ़ शम्सी रह

अनुवादक

शेख़ चाँद साजिद

एम. ऐ, एम. फ़िल (उस्मानिया)

अल्लामा शम्सी रिसर्च अकाडमी

1-6-806, महेदी मन्ज़िल, दायरा मुशीराबाद,

हैदराबाद - 500 020.

प्रकाशन - 17

अल्लामा शम्सी रिसर्च अकाडमी, हैदराबाद

पुस्तक का नाम	:	**अल. अक़ाइद** (तीसरा और चौथा भाग)
लेखक	:	हज़रत अल्लामा बहरूलू उलूम सैयद अश्रफ़ शम्सी रह.
अनुवादक	:	शेख़ चाँद साजिद, एम, ऐ, एम फ़िल (उस्मानिया)
प्रथम संस्करण	:	जुलाई 2007 / जमादिउसूसानी 1428
संख़्या	:	1000
Type setting	:	Rheel Graphics - 27661061
मुद्रणालय	:	ऐश आफ़सेट प्रिनटर्स, मस्जिद रज़्या, के समीप मलकपेट, हैदराबाद - ३६
प्रकाशक	:	अल्लामा शम्सी रिसर्च अकाडमी **Allamah Shamsi Research Academy,** *1-6-806, Mahdi Manzil, Daira Musheerabad* *Hyderabad - 500 020.* ✆ : *65588316 / Cell* : *98491 70775*

अल्लाह ने दिया है

सय्यद यदुल्लाह शजी यदुल्लाही संस्थापक अध्यक्ष
अल्लामा शम्सी रिसर्च अकाडमी की प्रिय पुत्री
स्वर्गीय सैयदा अस्मा बानो यदुल्लाही के ईसाले सवाब के लिये

प्रस्तावना

सारी प्रशंसा अल्लाह तआला के लिये है जो इस जगत का पैदा करने वाला है। दरूद व सलाम ख़ातिमैन अलैहिमस्सलाम पर और उनकी संतान और अस्हाबे किराम पर।

अल्लामा शम्सी रिसर्च अकाडमी का मूल उद्देश्य हज़रत अल्लामा बहरूल उलूम अश्रफ़ुल उलमा सैयद अश्रफ़ शम्सी रहे० की रचित पुस्तकों की रक्षा और प्रकाशन है। अल्लाह तआला की कृपा से अकाडमी ने अबतक उर्दू हिन्दी और अंगरेज़ी भाषाओं में १६ पुस्तकें प्रकाशित की हैं। अल-अक़ाइद के पहले और दूसरे भाग को तीनों भाषाओं में, और तीसरे और चौथे भाग को उर्दू और अंगरेज़ी मे अकाडमी की ओर से प्रकाशित किया जाचुका है। अब इसका सरल हिन्दी अनुवाद आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जारहा है ताकि उर्दू से अपरिचित लोग लाभ उठा सकें। यह अनुवाद जनाब शेख़ चाँद साजिद ने किया है जिन्हों ने अल्लामा शम्सी रह० पर रिसर्च किया और एम-फ़िल की डिग्री हासिल की है। मैं उनको धन्यवाद प्रदान करता हूँ कि उन्हों ने समय निकाल कर इस काम को पूरा किया।

अल्लामा शम्सी रह० ने कम उम्र बच्चौं की शिक्षा के लिये उर्दू भाषा में रिसाला 'अल-अक़ाइद' का पहला और दूसरा भाग प्रश्नोत्तर रूप में १३३२ हिज्री १९९३ में लिखा था और उन विषयों को अल-अक़ाइद के तीसरे और चौथे भाग में विस्तारपूर्वक समझाया गया है, जिसको अल्लामा शम्सी रह० ने १३३४ हिज्री १९१५ मे लिखा था। अल्लाह तआला की कृपा से चारों भाग का हिन्दी और अंग्रेज़ी अनुवाद अकाडमी ने प्रकाशित किया है।

अल्लाह तआला से दुआ है कि हमारा यह प्रयास सफल रहे और जो धर्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिये यह पुस्तक लाभ दायक साबित हो।

आमीन

२९ जमादि उस्सानी १४२८ हिज्री
१५ जूलई २००७

सैयद यदुल्लाह शजी यदुल्लाही
अध्यक्ष अल्लामा शम्सी रिसर्च अकाडमी

अल - अक़ाइद
भाग - ३

विषय सूची

फ़स्ला	विषय	पू.सं.
१	आलम हादिस है	
२	मौजूद दो क़िसम पर है	
	पहला बाब - मसाइले ज़ात व सिफ़ाते बारीए तआला	*1*
३	वाजिब लिज़ातिहि यानि बारी तआला मुरक्कब नहीं है।	*1*
४	ज़ाते बारी तआला पर अदम का वुकू नहीं होसकता	*1*
५	वाजिब तआला सब वुजूह से वाजिब है	*1*
६	वाजिबुल वुजूद एक ज़ात है	*2*
७	बारीए तआला मौजूद और एक है	*2*
८	अल्लाह तआला जिस्म और जिस्मानी नहीं है	*4*
९	ज़ाते बारीए तआला मुहताजे मकान नहीं है	*5*
१०	बारीए तआला की ज़ात किसी चीज़ से मुत्तहिद नहीं है	*5*
११	अल्लाह तआला की ज़ात अज़ली है	*6*
१२	अल्लाह तआला को किसी वजह से दुख दर्द नहीं होता।	*6*
१३	अल्लाह तआला जिहत से मुनज़्ज़ह है	*7*
१४	अल्लाह तआला जहल और किज़्ब से मौसूफ़ नहीं है	*7*
१५	अल्लाह तआला आलिम है	*8*
१६	अल्लाह तआला क़ादिर है	*9*
१७	अल्लाह तआला सब मुम्किनात पर क़ादिर है।	*10*
१८	इरादा और मशीयत	*11*
१९	अल्लाह तआला हर चीज़ का ख़ालिक़ है	*12*
२०	अल्लाह तआला समीअ और बसीर है	*15*
२१	अल्लाह तआला मुतकल्लिम है	*16*
२२	कुरआने मजीद कलामुल्लाह ग़ैर मख़लूक़ है	*17*
२३	अस्माउल्लाह तौसीफ़ी है	*18*
२४	अल्लाह तआला का देखना मुम्किन है	*18*
२५	अल्लाह तआला फ़ाइले मुख़तार है	*21*
२६	अल्लाह तआला जिसको चाहता है हिदायत करता है और जिसको चाहता है गुमराह करता है	*21*
२७	अल्लाह तआला ग़नी है	*22*
२८	अल्लाह तआला रज़्ज़ाक़ है	*24*
२९	अल्लाह तआला मुमीत है	*25*
३०	नफ़ा और ज़रर् अल्लाह तआला के मख़लूक़ है	*26*
	दूसरा बाब - मलाइका	
३१	मलाइका का वजूद क़ुरआने मजीद से साबित है	*27*
३२	मलाइका गुनाह से मासूम हैं	*28*
३३	फ़िरिश्ते अफ़ज़ल हैं या बशर	*29*
३४	फ़िरिश्तों में हज़रत जिब्राइल अले० सर्दार हैं	*30*
३५	हज़रत जिब्राइल अले० साहबे वही हैं	*30*
३६	मलाइका सिफ़ाते जिस्मानी से मुनज़्ज़ा हैं	*31*
३७	मलाइका को तरक़्क़ी और तनज़्ज़ूल नहीं है	*31*
	तीसरा बाब - कुतुबे मुनज़्ज़ला	
३८	मुक़द्दस किताबें और सहायफ़	*33*
३९	वही	*33*
४०	कुरआने मजीद जामे और ख़ातिमुल कुतुब है	*34*
४१	कुरआने मजीद मोजिज़ा है	*35*

४२ कुरआने मजीद सब कुतुबे आस्मानी का नासिख़ है 36
४३ कुरआने मजीद अज़ली और क़दीम है 36

चौथा बाब - नबूवत

४४ नबी के इश्तेक़ाक़ में उलमा का इख़तिलाफ़े राय 37
४५ अम्बिया की पैदाइश के फ़वाइद 38
४६ इन्सानों में पहले पैग़म्बर हज़रत आदम अले० हैं 39
४७ पैग़म्बरों की तेदाद 39
४८ सब अम्बिया अले० मासूम हैं 40
४९ मोजिज़ा 40
५० अम्बिया के दो क़िस्म - साहबे शरीअत - ताबे शरीअत 41
५१ अम्बिया की शरीअतों के असूल 42
५२ दीगर अम्बिया सिर्फ़ मख़सूस क़ितआत या अक़वाम की हिदायत पर मामूर थे 43
५३ मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्ला० की नबुव्वत 44
५४ मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्ला० आम अफ़रादे इन्सान की हिदायत पर मामूर थे 45
५५ मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्ला० ख़तिमुल अम्बिया हैं 46
५६ मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्ला० शाफ़े हैं 47
५७ मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्ला० सब पैग़म्बरों मैं अफ़ज़ल हैं 48
५८ मेराजे रसूलुल्लाह सल्ला० 49

पांचवाँ बाब - ख़िलाफ़त

५९ रसूलुल्लाह सल्ला० ने किसी सहाबी को अपना ख़लीफ़ा नहीं बनाया 51

६० ख़िलाफ़ते उबूबक्र सिद्दीक़ रज़ी० 52
६१ ख़िलाफ़ते उमरे फ़ारूक़ रज़ी० 52
६२ ख़िलाफ़ते उस्माने ग़नी रज़ी० 53
६३ ख़िलाफ़ते अलीयुल मुर्तुज़ा रज़ी० 54
६४ ख़िलाफ़त और इमामत 55
६५ ख़िलाफ़ते राशिदा के लिये अहले सुन्नत के पास शर्ते इस्मत नहीं है 55
६६ अस्हाबे रसूल सल्ला० की शान में बे अदबी और गुस्ताख़ी फ़िस्क़ है 56
६७ फ़ज़ीलते ख़ुलफ़ाए राशिदीन 57
६८ ख़ुलफ़ाए राशिदीन के बाद अस्हाब अशर मुबश्शरा अफ़ज़ल हैं 58
६९ वली 59
७० विलायत और नबुव्वत 60
७१ करामते औलिया अल्लाह हक़ है 60
७२ मोजिज़ा और करामत 62

छटा बाब - अज़ाबे क़ब्र और आख़िरत

७३ अज़ाबे क़ब्र 63
७४ सवाल मुन्किर नकीर 64
७५ ज़िंदों की दुआ और सदक़े से मैयीतों को नफ़ा होता है 66
७६ अश्राते क़यामत 67
७७ एक दिन ज़मीन और आस्मान का निज़ाम बिग़ड़ जाएगा 70
७८ मआदे जिस्मानी 72
७९ पुले सिरात 73
८० मीज़ान 74

८१ नामए आमाल 74
८२ जन्नत और जहन्नम 75
८३ जन्नत में दाख़िल होने वाले हमेशा जन्नत में रहेंगे 77
८४ मुश्रिकौं के बच्चे जन्नती या दोज़ख़ी 77
८५ हौज़े कौसर 78
८६ जन्नत में दीदारे ख़ुदा 78

सातवाँ बाब - ईमान

८७ ईमान की तारीफ़ 80
८८ ईमान की ज़ियादती और नुक़सान 80
८९ अमल ईमान का जुज़ नहीं है 81
९० ईमान के लिये तस्दीक़ और ऐतक़ाद की ज़रूरत है 82
९१ इस्लाम और ईमान एक हैं 83
९२ इन्शा अल्लाह मोमिन हूँ कहना दुरूस्त है या नहीं 83
९३ इन्सान की सआदत और शक़ावत अल्लाह तआला की मशीयत पर मौक़ूफ़ है 84
९४ मोमिन के दो क़िस्म - मोमिन सालेह, मोमिन फ़ासिक़ 84
९५ ईमाने मुक़ल्लिद 87
९६ मोमिन से गुनाह सादिर हो तो वह मोमिन ही रहता है 88
९७ दोज़ख़ में वही शख़्स दख़िल होगा जिसने अल्लाह तआला को झुटलाया है 89
९८ अल्लाह तआला अपने फ़ज़ल से गुनाहौं को बख़श सकता है मगर शिर्क को नहीं बख़श्ता 90
९९ मोमिन पर तौबा करना वाजिब है 91
१०० अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुन्कर 91

भूमिका

हामिदन् व मुसल्लियन् - बंदा सैयद अश्रफ़ बिन सैयद अली बिन फ़ाज़िल अल्लामा हाफ़िज़ मौलवी सैयद अश्रफ़ अर्ज़ करता है कि अल-अक़ाइद के पहले और दूसरे भाग में यह ख़याल रखा गया है कि उन रिसालौं के मज़ामीन कमसिन बच्चौं की समझ में आजाऐं और अक़ाइद के ज़रूरी मसाइल इजमाली तौर पर (संक्षिप्त रूप से) उन्हें याद होजाऐं, इसलिये मैं ने उन दोनों रिसालों में जिन मसाइल का ज़िकर किया है ना उनकी तफसील की और ना ही उनके दलाइल का ज़िकर किया बल्कि सिर्फ़ अक़ाइद ही बयान किये / इस समय मैं ने अल - अक़ाइद के तीसरे भाग को शुरू किया है। इस रिसाले में यह ख़याल रखा गया है कि पहले भाग में जिन मसाइल का ज़िकर किया गया है उनकी तौज़ीह की जाए, इस तरह पर कि अगर उनकी पूरी तफ़सील ना होसके तो उनका ऐसा इज्माल भी ना रहे जैसा कि पहले था। इस तौज़ीह से यह होगा कि तालिबाने इल्म मुख़्तसर दलाईल के साथ पहले भाग के मज़ामीन को समझ लेंगे और उस फ़न के दूसरे तफ़सीली रसाइल के मुताले में उनको मदद् मिलेगी। इस रिलाले से उन विद्यार्थीयों को भी मदद् मिलेगी जो जमाअत मौलवी की लियाक़त और दर्ज-ए-आलिम की तालीम का इरादा रखते हैं।

मैं ने इस रिसाले के मज़ामीन को यथा संभव सरल भाषा में बयान किया है और अंत तक यही रिआयत रखी है मगर बाज़ पेचीदा (जटिल) मसाइल में सरलता के बावजूड तफ़हीम (संबोधन) की ज़रूरत पढ़ती है।

इस रिसाले में ऐक मुक़द्दिमा और सात बाब (अध्याय) हैं। मैं अल्लाह तआला से दुआ करता हूं कि यह रिसाला तालिबे इल्म के लिये लाभदायक और मेरे लिये ज़ख़ीर - ए - आख़िरत हो।

वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह वहुव हस्बी व नेमलवकील।

मुक़द्दमा

फ़स्लः जम्हूर मुतकल्लिमीन (अधिकतर मीमांसकों) का यह मज़्हब है कि आलम (जगत) हादिस (नया) है उसके यह माना हैं कि आलम पहले माअदूम (अनस्तित्व) था और फिर अल्लाह तआला ने एक मुद्दत के बाद आलम को पैदा किया। मुतकल्लिमीन इस हादिस को हादिसे ज़मानी कहते है क्यों कि मुतकल्लिमीन के पास यह अम्र साबित है कि अल्लाह तआला फ़ाइले मुख़्तार है और फ़ाइले मुख़्तार वह है कि अगर चाहे तो उस से फ़ेल सादिर हो (क्रिय जारी हो) और अगर न चाहे तो उस से फ़ेल सादिर न हो। ऐसे फ़ाइल से जो फ़ेल सादिर होता है तो वह हादिसे ज़मानी होता है पस आलम मुतकल्लिमीन के पास हादिसे ज़मानी (सामयिक नई रचना) है और उसका सानेअ (बनाने वाला) फ़ाइले मुख़्तार (स्वाधीन कर्ता) है जो अल्लाह जल्ल शानहु वहदहु ला शरीका लहु है।

फ़स्लः मौजूद दो क़िसम पर हैं - वाजिब लिज़ाविहि, मुम्किन लिज़ातिहि। वाजिब लिज़ातिहि जो ख़ुद अपनी ज़ात से मौजूद हो यानि अपनी मौजूदियत में ग़ैर का मुहताज न हो। मुम्किन लिज़ातिहि वह है जो अपनी ज़ात से मौजूद नहो बल्कि अपनी मौजूदियत में ग़ैर का मुहताज हो। जो चीज़ वाजिब लिज़ातिहि है अल्लाह जल्ल शानहु है और जो चीज़ मुम्किन लिज़ातिहि है मा सिवल्लाह है यानि आलम है। पस एक चीज़ वाजिब और मुम्किन नहीं होसकती क्योंकि यह दोनों नक़ीज़ैन (विपरीत) हैं और विपरीत चीज़ों क इकटठा होना बातिल है। ख़ुलासा यह है कि आलम मुतकल्लिमीन ओर अहले सुन्नत के पार हादिस है और उसका मुहदिस अल्लाह जल्ल शानहु है जो फ़ाइले मुख़्तार है।

हुदूसे आलम (जगत की सृष्टि) के विषय में जिन कठिन और बारीक बयानों की ज़रूरत है उनका यह रिसाला मुतहम्मिल नहीं है, मुनासिब नहीं है कि उनको छेड़ा जाए पस जिनको उन मसाइस के देखने का शौक़ हो इलमे कलाम की तफ़सीली किताबों को पढ़े।

पहला बाब

मसाइले ज़ाते बारीतआला और सिफ़ाते बारी ताला

फ़स्ल: वाजिब लिज़ातेही यानि बारी तआला मुरक्कब नहीं है, क्योंकि जो चीज़ मुरक्कब (मिश्रित) है वह अपने अजज़ा (अंशों) की मोहताज है और जो मोहताज है वह मुम्किन है पस बारी तआला की ज़ात भी अगर मुरक्कब होगी तो मुम्किन होगी।

फ़स्ल: ज़ाते बारी तआला पर अदम (हीनता) का वुक़ूअ (घटित होना) नहीं हो सकता, क्यों कि अगर बारी ताला पर अदम वाक़े होगा तो बारी तआला का वजूद सबबे अदम के अदम पर मौक़ूफ़ होगा। जो चीज़ अपनी मौजूदियत (अस्तित्व) में ग़ैर की मोहताज (निर्भर) होगी (तो वहः) मुम्किन होगी। पस जब बारी तआला भी अपनी मौजूदियत में ग़ैर का मोहताज होगा तो मुम्किन होगा और यह बातिल (असत्य) है।

फ़स्ल: वाजिब तआला सब वुजूह से वाजिब है क्योंकि अगर उसका वुजूब (अनिवार्यता) किसी अम्रे सुबूती या सलबी पर मौकूफ़ (निर्भर) होगा तो जब तक उस अम्रे सुबूती (प्रमाण) का हुसूल (प्राप्ति) या उस अम्रे सल्बी (ऋणात्मक विषय) का इंतिफ़ा (अभाव) नहोगा बारी तआला का वुजूब साबित न होगा, इस सूरत में वाजिब वाजिब न रहेगा बल्कि मुम्किन (संभाव्य) होजाएगा और यह बातिल है।

फ़स्ल: वजिबुल वुजूद (स्वयंभू) एक ही ज़ात है और वह ज़ात अल्लाह जल्ले शानहु की है, क्योंकि अगर दो वाजिब होंगे तो उन दोनों को वुजूब में इश्तेराक (साझा) होगा यानि वुजूब दोनों में मुश्तरिक होगा, इस सूरत में ज़रूर है कि किसी अम्रे ख़ास की वजह से उन दोनों में इम्तियाज़ (विभेद) होजाए, पस यह अम्रे ख़ास ऐन वुजूब होगा या उसका जूज़ या लाज़िम होगा या मुबाइने वुजूब होगा। अगर ऐन वुजूब होगा तो जो अम्र मुमय्यिज़ यानि एक दूसरे को जुदा करने वाला था ख़ुद मुश्तरिक होजाएगा और इम्तियाज़ बाक़ी न रहेगा, और अगर जुज़ होगा तो हक़ीक़ते वाजिब की तरकीब लाज़िम आएगी, और अगर लाज़िम वुजूब होगा तो वुजूब चूंकि दोनों में मुश्तरिक और यही वुजूब मल्ज़ूम है और यह अम्रे ख़ास उसका लाज़िम है तो यह अम्रे ख़ास भी मुश्तरिक होगा। इस सूरत में किसी दूसरे अम्रे ख़ास की ज़रूरत होगी उसमें भी यही तक़रीर की जाएगी। फिर तीसरे अम्रे ख़ास की ज़रूरत होगी। ग़र्ज जिस तक़दीर पर अम्रे ख़ास मुश्तरिक होगा तसल्सूल लाज़िम आएगा। ग़र्ज यह तीनों एहतेमाल (संदेह) बातिल हैं, और अगर वह अम्रे ख़ास वुजूब का मुबाइन है तो ज़ाते वुजूब ताला वुजूब और मुबाइने वुजूब से मुरक्कब होगी तो यह ऐहतिमाल भी बातिल है। हासिल यह कि वाजिबुल वुजूद का तअद्दुद (अनेकत्व) बातिल है।

फ़स्ल: हुकमा और मुतकल्लिमीन का इस बात पर इज्माअ (सहमती) है कि मुदब्बिरे आलम और सानेअ आलम (जगत का प्रबधं कुशल और निर्माण कर्ता) यानि बारी तआला मौजूद है और एक है। इस वुजूद से वह वुजूद मुराद है जो अदम के मुक़ाबिले में है और इस

वहदत (एकत्व) से वह वहदत मुराद है जो कस्रत (बाहुल्य) के मुक़ाबिले में है। यही मज़्हब जम्हूर उलमा का है मगर फ़िरक़ए मुलाहिदा ने एक अजीब बात बयान की है उसकी तौज़ीह यह है कि सब चीज़ों का मब्दा (मुल) अल्लाह तआला है और अल्लाह तआला मौजूद है और वाहिद है मगर यह वुजूद (अस्तित्व) ऐसा नहीं है जो अदम (अनस्तित्व) के मुक़ाबले में है और यह वहदत भी ऐसी नहीं है जिसके मुक़ाबले में कस्रत है बल्कि अल्लाह तआला सब मुतक़ाबलात यानि अज़्दाद (विपरीत) का मब्दा है और अपने मा सिवा का (अतिरित्क चीज़ों का) मुब्देअ (सृष्टिकर्ता) है। वह वाहिद और कसीर का मब्दा है और वुजूद और उसका अदम का मूजिद (आविष्कारक) है। जो वुजूद का मुक़ाबिल है वह न वाजब है, न मुम्किन है न मुम्तनेअ है क्योंकि यह सब चीज़ें आपस में मुतक़ाबिल हैं और वह मुतक़ाबिलात का मूजिद है, अक़ल उसको पा नहीं सकती क्योंकि वह अक़ल का मूजिद है और उन चीज़ों का भी मूजिद है जिनको अक़ल पैदा करती है। जब अल्लाह तआला की यह हक़ीक़त है तो न वह मौजूद है और न मादूम (ग़ाइब) है, न वाहिद है न कसीर है, न वाजिब है न मुम्किन है। मुहक़्क़िक़ तूसी ने *नक़दे मुहसिल* में बयान किया है कि इस फ़िरक़े ने ज़ाते वाजिब की तन्ज़ीह में इत्ना मुबालग़ा (अति रंजना) किया है कि अक़ले इन्सानी ज़ाते बारी-ए-तआला का इद्राक (ज्ञान) नहीं कर सकती। राक़िम (लेखक) कहता है कि मुलाहिदा ने यह बड़ा कमाल किया है कि मुम्तनेअ और अदमे महज़ से हर एक को जो वुजूद का मुक़ाबिल है बरी-ए-तआला की मख़लूक़ात में दाख़िल करलिया। इस अक़ल और इल्म पर रोना चाहिये।

फ़स्ल: इस बयान में कि अल्लाह तआला जिस्म व जिस्मानी (शरीर तथा शारीरिक नहीं है क्योंकि हर एक जिस्म बिलइत्तेफ़ाक़ मुरक्कब (समस्त) है। हुकमा कहते हैं कि जिस्म हयूला (तत्व) यानि माद्दा और सूरत से मुरककब है और बाज़ हुकमा और मुतकल्लिमीन कहते हैं कि जिस्म बारीक और छोटे - छोटे अज्ज़ा (अंशों) से मुरक्कब है। ज़ाहिर है कि एक मुरक्कब अज्ज़ा का मुहताज है और फ़ाइल की भी उसको हाजत है क्योंकि हर मुरककब उसी वक़्त हासिल होता है कि उसके अज्ज़ा मौजूद हों और कोई फ़ाइल (कर्ता) उन अज्ज़ा में तर्तीब दे। ग़र्ज हर मुरककब अज्ज़ा और तर्तीब कुनिंदा का मुहताज है। जब अल्लाह तआला जिस्म होगा तो मुरक्कब होगा और जब मरककब होगा तो फ़ाइल और अज्ज़ा का मुहताज होगा और जब मुहताज होगा तो मुम्किन होगा और यह बातिल है क्योंकि अल्लाह तआला मुहताज नहीं है बल्कि ग़नी (अनीह) है, चुनांचे कुराने मजीद में फ़रमाता है *अल्लाहुल ग़नीयु व अंतुमुता फ़ुक़रा (मुहम्मद-३८)* यानि अल्लाह तआला ग़नी है और तुम सब मुहताज है। पस अल्लाह तआला जिस्म नहीं है। अल्लाह तआला जिस्मानी इस वज्ह से नहीं है कि जिस्मानी वह मुरक्कब चीज़ है जिस के अज्ज़ा में से जिस्म भी एक जुज़ (अंश) है। जब अल्लाह तआला का जिस्म होना बातिल है तो यह कहना भी बातिल है कि उसकी हक़ीक़त का एक जुज़ जिस्म भी है क्योंकि इस सूरत में भी ज़ाते बारी-ए-तआला का मुहताज होना लाज़िम आता है और यह बातिल है तो ज़ाते बारी-ए-तआला का जिस्मानी होना भी बातिल है। हमारे इस बयान से साबित है कि ज़ाते बारी - ए - तआला मरककब नहीं है बल्कि उसकी ज़ात बसीत है।

फ़स्ल: इस बयान में कि ज़ाते बारी-ए-तआला मुहताजे मकान नहीं है। इसकी दो वज्हें हैं। पहली वज्ह यह है कि अगर ज़ाते बारी-ए-तआला मकान (गृह) में होगी तो मुतनाही (सीमित) होगी और जो चीज़ मुतनाही होगी मुतशक्किल (साक्षात) होगी, मगर शकल का कुबूल करना जिस्मियत के लवाज़िम से है क्योंकि जिस्म भी मुतशक्किल होता है। जब ज़ाते बारी-ए-तआला मुतशक्किल हो तो जिस्म या जिस्मानी होगी, लेकिन पहले यह साबित होगया है कि ज़ाते बारी-ए-तआला का जिस्म और जिस्मानी होना बातिल है तो उसका मकान में भी होना बातिल है। दूसरी वजह यह है कि जो चीज़ मकान मे होती है उसका एक तरफ़ दूसरे तरफ़ से मुतमय्यिज़ (भिन्न) होता है और जिसका एक तरफ़ दूसरे तरफ़ से मुतमय्यिज़ होता है वह चीज़ मुतमय्यिज़ होती है मुरक्कब होती है। पस ज़ाते बारी-ए-तआला भी जब मकान मे होगी तो मुरक्कब होगी और पिछली फ़स्ल में साबित हुवा है कि ज़ाते बारी-ए-तआला का मुरक्कब होना बातिल है तो उसका मकान में होना भी बातिल (असत्य) है।

फ़स्ल: बारी-ए-तआला की ज़ात किसी चीज़ से मुत्तहद (संयुत्क) नहीं है क्योंकि अगर ज़ाते बारी-ए-तआला किसी चीज़ से मुत्तहद होगी तो इत्तिहाद (एकता) के बाद अगर दोनों चीज़ें मौजूद रहेंगी तो उनमें इत्तिहाद साबित न होगा। अगर दोनों चीज़ें मादूम हो जाऐंगी तब भी इत्तिहाद न रहेगा बल्कि उनके मादूम होने के बाद एक तीसरी चीज़ पैदा होजाएगी और यह चीज़ मुरक्कब होगी, पस ज़ाते बारी-ए-तआला की तर्कीब लाज़िम आजाएगी और यह बातिल है और अगर उनमें से एक मौजूद रहेगी और दूसरी मादूम होजाएगी तो मौजूद

और मादूम के दरमियान इत्तिहाद नहीं हो सकता। ग़र्ज बारी-ए-तआला किसी चीज़ से मुत्तहद नहीं है।

वाज़ेह हो कि पूर्व हुकमा से मसलन फ़र्क़ारनूस और नसारा इस बात के क़ाइल (वत्क़ा) हैं कि बाज़ चीज़ों से अल्लाह तआला का इत्तिहाद हो सकता है और बयान करते हैं कि अल्लाह तआला की ज़ात हज़रत मसीह अले० से मुत्तहद है। बाज़ मुलाहिदा का भी यह ख़याल है कि बंदा अल्लाह तआला के साथ मुत्तहद है। यह सब लग़्व (व्यर्थ) बातें हैं हमारे पिछले बयान से इनकी तर्दीद होसकती है।

फ़स्ल: अल्लाह तआला की ज़ात अज़ली (अनादिकालीन) है। अज़ल वह है कि उसके लिये इब्तिदा नहो, और हादिस वह है कि उसके लिये इब्तिदा (प्रारंभ) हो। पस यह दोनों चीज़ें जुदा हैं, उनका एक ज़ात में इकट्ठा होना असंभव है। इस लिये मुतकल्लिमीन ने बयान किया है कि अल्लाह तआला की ज़ात महल्ले हवादिस नहीं है।

फ़स्ल: अल्लाह तआला को किसी वजह से दुख दर्द नहीं होता। हुकमा इस बात को मानते हैं कि अक़ली लज़्ज़तें (मानसिक आनंद) अल्लाह तआला को हासिल होती हैं, मगर मुतकल्लिमीन इस बात के क़ाइल नहीं है क्योंकि आनदं और दर्द मिज़ाज (स्वभाव) के गुण हैं और मिज़ाज जिस्मानियात (शरीर) के लिये होता है और जो ज़ात शरीर और शारीरिक नहीं है उसके लिये मिज़ाज भी नहीं है पस उसके लिये दुख दर्द भी नही है।

फ़स्ल: अल्लाह तआला जिहत (क्षेत्र) से भी मुनज़्ज़: (स्वाधीन) है। मुजस्समा और कर्रामिय समुदाय ने अल्लाह तआला के लिये जिहत साबित की है। कर्रामिय से मुहम्मद इब्ने हैज़म का यह ख़याल है कि अल्लाह तआला जिहते अर्श (आकाश) के ऊपर है और मुहम्मद बिन हैज़म के दूसरे अस्हाब का यह ख़याल है कि अल्लाह तआला अर्श पर है और यही मज़्हब मुजस्समा का भी है।

अहले सुन्नक का मज़्हब यह है कि उन समुदायों का ख़याल ग़लत है क्योंकि जब अल्लाह तआला जिहत में होगा तो उसकी ज़ात मुन्क़सिम (बंटी हुवी) और मुतशक्किल (साकार) होजाएगी और उसकी जिस्मियत लाज़िम आएगी। जब उसका जिस्म और जिस्मानी होना बातिला है तो उसका जिहत में होन भी बातिल है।

फ़स्ल: अल्लाह तआला जहल (अज्ञान) और किज़्ब (असत्य) से मौसूफ़ नहीं है क्योंकि अक़ली और नक़ली दलील से यह बात साबित होचुकी है कि अल्लाह तआला सर्वज्ञता है इस वजह से कि जब अल्लाह तआला ने हर जीज़ को पैदा किया है और पैदा करता है तो जबतक उस चीज़ को नहों जानेगा क्योंकर पैदा करेगा इसलिये अल्लाह तआला जहल से मौसूफ़ नहीं है और झूट से भी मौसूफ़ नहीं है, क्योंकि झूट नुक़सान की सिफ़त है और अल्लाह तआला हर सिफ़ते नुक़सान से मुनज़्ज़ह (पवित्र) है तो झूट से भी पाक है। पस उसके सब ख़बरें और सब वाएदे और वईदें (सज़ा देने के वादे) सच्चे हैं। मोमिनीन से जो वादा किया गया है आख़िरत में उसका पूरा होना

यक़ीनी अम्र है और काफ़िरीन से जो अज़ाबे दोज़ख़ का वादा किया गया है वह भी पूरा होगा। हाँ जो वईदात मोमिनीन के हक़ में ज़िकर की गई हैं मुम्किन है कि अल्लाह तआला उनको मआफ़ करदे क्योंकि आज्ञाकारी के गुनाह को मआफ़ करदेना इनतिक़ाम से बेहतर है और नीज़ माफ़ करने में अपने हक़ का इस्क़ात (घटाना) और गुनाहगार पर कृपा करना है इसलिये वईद का ख़िलाफ़ मुस्तहसन (उत्तम) है।

फ़स्ल: अल्लाह तआला आलिम है, चुनांचे अल्लाह तआला फ़र्माता है *व हुव बिकुल्लि शइन् अलीम (अल-बक़रा-२९)* यानि वह हर चीज़ को जानता (सर्वज्ञ) है। हुकमा कहते हैं कि अल्लाह तआला को कुल्लियात (संम्पूर्णता) का इल्म है और उन चीज़ों का इल्म नहीं है जो माद्दी और मुतशख़्ख़स हैं और बाज़ दहरिये कहते हैं कि अल्लाह तआला किसी चीज़ को भी नहीं जानता। यह लोग बिल्कुल अहमक़ हैं क्योंकि अदना हैवान से भी मआज़िल्लाह ज़ाते बारी-ए-तआला को इस सिफ़त में कम समझते हैं। हर हैवान को उसकी राहत और तकलीफ़ का इल्म है और उन दोनों को उसका नफ़्स दरयाफ़्त कर सकता है। ग़र्ज़ अल्लाह तआला सारी चीज़ों को छिपी हों या ज़ाहिर जानता है। चुनांचे क़ुराने मजीद में फ़रमाता है *हुवल्लाहुल-लज़ी ला इलाह इल्ला हुवा आलिमुल-ग़ैबि वश-शहादीत (अलहश्र-२२)* (वही ख़ुदा है जिसके सिवा कोई माबूद नही छिपी दुवी और ज़ाहिर चीज़ों का जान्ने वाला) और अगर मानलो कि किसी चीज़ को नहीं जानता तो उस से कोई चीज़ पैदा नहीं होती, क्योंकि चीज़ों का पैदा करना उनके जान्ने पर निर्भर है मसलं बढ़ई के दिल में जब कुर्सी और तख़्त की सूरत न हो तो वह कुर्सी

और तख़्त को नही बनासकेगा। उसी तरह से हर सन्नाअ (शिल्पकार) की यही हालत है कि पहले मस्नुअ (बनाई जाने वाली चीज़) को समझ लेते हैं और फिर उसको बनाते हैं। इसी तरह सानेअ आलम (जगत को बनाने वाला) हर चीज़ को जानता है और फिर उसको पैदा करता है, ग़र्ज़ हर चीज़ का ख़ालिक़ हर चीज़ का आलिम होता है। इसका हासिल यह है कि ख़ालिक़ियत (पैदा करने) और आलिमियत (जानकारी) में लुज़ूम (अनिवार्यता) है यानि जो ख़ालिक़ (पैदा करने वाला) होगा वह आलिम (ज्ञानि) होगा। पस अल्लाह तआला चूंकि हर चीज़ का ख़ालिक़ है उसका आलिम भी है।

फ़स्ल: अल्लाह तआला क़ादिर है। करआने मजीद से साबित है कि अल्लाह तआला हर चीज़ पर क़ादिर (सर्वशक्तिान) है, चुनांचे अल्लाह तआला फ़र्माता है *इन्नाल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर*, इस आयते करीमा में *शै* (चीज़) से मुम्किन मुराद है। यानि अल्लाह तआला हर मुम्किन पर क़ादिर है, पस मक़्दूर वही चीज़ है जो मुम्किन है और जो चीज़ मुम्किन नहीं है वह मक़्दूर भी नहीं है। वाज़ेह हो कि क़ादिर के माना मुअस्सिर (प्रभावी) हैं और आलम (जगत) चूंकि मुम्किन है मुअस्सिर का मुहताज है क्योंकि अगर मुअस्सिर न होगा तो आलम सादिर न होगा / मुअस्सिर के दो माना हैं-एक वह मुअस्सिर है जिस से उसका प्रभाव अवश्य प्रकट होता है मसलं आग से गर्मी और बरफ़ से सर्दी, और दूसरा मुअस्सिर वह है कि उसका असर ज़रूरी तौर पर प्रकट नहीं होता मसलं फ़ाइले इरादी जब इरादा करता है तो कोई काम करता है और जब इरादा नही करता तो वह काम नहीं

करता। पहले मुअस्सिर को फ़ाइले मूजिब कहते हैं और दूसरे मुआस्सिर को फ़ाईले मुख़्तार कहते हैं। हुकमा कहते हैं कि अल्लाह तआला फ़ाइले मूजिब है यानि उस से फ़ेल ज़रूरी तौर पर सादिर होता है और अहले हक़ कहते हैं कि अल्लाह तआला फ़ाइले मुख़्तार है यानि जो कुछ चाहता है सादिर करता है। असर के सादिर करने की उसको ज़रूरत नहीं है बल्कि कभी वह अपने असर को सादिर नहीं होने देता। पहले मज़्हब में चूंकि इज़्तिरार (व्याकुलता) साबित होता है इस लिये अहले हक़ ने उसको रद्द करदिया है। पस सही यह है कि अल्लाह तआला फ़ाइले मुख़्तार (स्वाधीन कर्म कर्ता) है और यही मज़्हब अहले सुन्नत का है।

फ़स्ल: अल्लाह तआला सब मुम्किनात पर क़ादिर है। जगत में हर चीज़ अल्लाह की क़ुद्रत से मौजूद हुवी है और अल्लाह तआला उसकी ईजाद (आविष्कार) पर मुस्तक़िल क़ादिर है। अगर यह फ़र्ज़ किया जायगा कि जगत के ईजाद के लिये अल्लाह तआला के साथ दूसरा सबब भी है तो यह बातिल है और उसकी कई वज्हें हैं। पहली वज्ह यह है कि अल्लाह तआला के सिवास जो कुछ है वह मुम्किन है और जो मुम्किन है वह अपने वुजूद में इल्लत (कारण) का मुहताज है और जो चीज़ अपनी ज़ात के एतिबार से मादूम है उसमें जगत का कारण बन्ने की सलाहियत (योग्यता) नहीं है। दूसरी वज्ह यह है कि अगर मुम्किन चीज़ अल्लाह तआला के साथ ईजादे आलम (जगत के आविष्कार) में शरीक होगी तो अल्लाह तआला की क़ुद्रत मम्किन की क़ुद्रत के मसावी होगी या ज़ियादा होगी या कम होगी। पहली तक़दीर (धारणा) पर वाजिब और मुम्किन की मसावात

लाज़िम आती है और यह बातिल है। दूसरी तक़्दीर पर अल्लाह तआला को मुम्किन की मदद की ज़रूरत नहीं है। तीसरी तक़्दीर पर अल्लाह तआला की ज़ात मुम्किन के मुक़बले में नाक़िस होजाती है क्योंकि जब मुम्किन की क़ूवत वजिब की क़ूवत से ज़ाइद होगी तो वाजिब तआला की आजिज़ी (दुर्बलता) लाज़िम होगी और मुम्किन का मुहताज होजाएगा और जो चीज़ मुहताज होती है वह मुम्किन होती है, पस ज़ाते बारी-ए-तआला का इम्कान लाज़िम आएगा और यह बातिल है। पस वाजिब तआला को ईजाद में किसी दूसरे सबब (साधन) के इआनत (सहायता) की ज़रूरत नहीं है।

फ़स्ल: इरादा और मशीयत (इच्छा) के बयान में। इरादा और मशीयत के यह माना हैं कि दो मक़दूरौं में से किसी एक को तरजीह (अधिमान) दी जाए। किसी मुसाफ़िर के सामने ऐसे दो रास्ते हैं जो उसको मन्ज़िले मक़सूद तक पहुंचाते है। उन दो रास्तौं में से किसी रास्ते का इख़्तियार करने पर वह क़ादिर और उनमें से हर एक रास्ते पर चलना उसका मक़्दूर है। मगर उसने उन दो मक़दूरौं में से एक मक़्दूर को तर्जीह दी (चुना) है यानि उनमें से किसी एक रास्ते को इख़तियार करे। पस यही तर्जीह इरादा और मशीयत है। जिस तरह क़ुद्रत अल्लाह तआला की सिफ़त है उसी तरह इरादा और मशीयत भी अल्लाह तआला की सिफ़त है और उस से अल्लाह तआला किसी एक मक़दूर के वुक़ूअ को तर्जीह देता है जिस से वह मक़दूर पैदा होता है और तर्जीह की वजह सिर्फ़ हिकमते इलाही है क्योंकि उसका फ़ेल ग़र्ज़ से पाक है।

फ़स्ल: अल्लाह तआला हर चीज़ का ख़ालिक़ (सृष्टा) है। यानि अल्लाह तआला ने हर चीज़ को चाहे वह माद्दी हो या ग़ैर माद्दी हो पैदा किया है, चुनांचे अल्लाह तआला। क़ुरआने मजीद में फ़र्माता है *ला इलाह इल्ला हुव ख़लिकु कुल्लि शैइन फ़ आबुदुहू* (सूरह अल-अनआम-१०२) यानि अल्लाह तआला के सिवा कोई माअबूद नहीं है और वही हर चीज़ का ख़लिक़ है। इस आयत से साबित है कि अल्लाह तआला के सिवा चो चीज़ है अल्लाह तआला की क़ुदरत और इरादे से पैदा हुवी है। इमाम ग़ज़ाली रह० ने बयान किया है कि यह एतक़ाद रखना वाजिब है कि बंदों के अफ़आल अल्लाह की क़ुदरत और इरादे से पैदा होते हैं और बदां ने उन अफ़आल का इत्किसाब (उपार्जन) किया है। जब उन अफ़आल की निसबत बंदे की तरफ़ होगी तो यह कहा जाएगा कि बंदा उन अफ़आल का कासिब है और जब उनकी निसबत अल्लाह तआला की तरफ़ की जाएगी तो यह कहा जाएगा कि अल्लाह तआला उन अफ़आल का ख़लिक़ है। मोतज़िला और शेआ का यह ख़याल है कि बंदा अपने अफ़आल का आप ही ख़ालिक़ है मगर यह नहीं ख़याल करते कि बंदा और उसकी क़ुदरत व क़ूवत और उसका इरादा और उसकी मशीयत सब अल्लाह तआला की क़ुदरत व इरादे से पैदा हुवे हैं. इस सूरत में बंदे के सब अफ़आल की निसबत अल्लाह तआला की क़ुदरत की तरफ़ होगी। इसी मत्लब को अल्लाह तआला ने क़ुरआने मजीद में तस्रीह के साथ बयान फ़रमाया है *ख़लक़कुम वमा ताअमलूनं* (अस-साफ़्फ़ात-९६) यानि तुमको और तुम्हारे आमाल को अल्लाह तआला ने पैदा किया है। इमाम ग़ज़ाली रह० ने 'क़वाइदुल अक़ाइद' में ज़िकर किया है कि हुकमा का मज़्हब भी मोतज़िला के मज़्हब के

क़रीब - क़रीब है। मुहक़्क़िक़ दव्वानी यानि अल्लामह जलालुद्दीन दव्वानी नें *शर्ह अक़ाइद जलाली* में इमाम ग़ज़ाली के क़ौले मज़्कूर (उत्क वचन) पर जिर्ह (प्रति परीक्षा) की है कि उनके ज़ाहिर कलाम से यही मालूम होता है मगर उनका मज़्हब यह नहीं है क्योंकि शैख़ुर रईस बूअली इब्ने सीना के क़ौल से जो 'शिफ़ा' में ज़िकर किया गया है मालूम होता है कि सब हवादिस (घटनाओं) का फ़ाइल अल्लाह तआला है।

मेरा ख़याल है कि मुहक़्क़िक़ दव्वानी ने हुकमा के इन्तिसार के ख़याल में हुज्जतुल इस्लाम के क़ौल पर बेजा एतराज़ किया है। हक़ बात वही है जो इमाम ग़ज़ाली ने बयान फ़र्माया है क्योंकि 'शिफ़ा' और 'इशारात' के देखने से यह बात साफ़ ज़ाहिर होती है कि अल्लाह तआला ने सिर्फ़ अक़ले अव्वल को पैदा किया है, और अक़ले अव्वल ने अक़ले सानी और फ़लकुल अफ़लाक को पैदा किया है और अक़ले सानी ने तीसरी अक़ल और आठवें आसमीन को पैदा किया है और तीसरी अक़ल ने चौशी अक़ल और सातवें आसमान को पैदा किया है और चौथी अक़ल ने पांचवीं अक़ल और छठे आसमान को पैदा किया है और पंचवी अक़ल ने छटी अक़ल और पांचवें आसमान को पैदा किया है और छटी अक़ल न सातवीं अक़ल और चौथे आसमान को पैदा किया है और सातवीं अक़ल ने आठवीं अक़ल और तीसरे आसमान को पैदा किया है और आठवीं अक़ल ने नवीं अक़ल और दूसरे आसमान को पादै किया है और नवीं अक़्ल ने दसवीं अक़ल और पहले आसमान को पैदा किया है। दसवीं अक़ल पर उक़ूल के

सिलसिले और पहले आसमान पर आसमानों के सिलसिले को ख़तम किया। उसके बाद बयान किया है कि जो हवादिस पहले आसमान के नीचे पैदा होते हैं उनकी इल्लत (कारण) दसवीं अक़ल और पहले आसमान की गर्दिश (चक्र) है। इस बयान से ज़हिर है कि जो हवादिस पहले आसमान के नीचे पैदा होते हैं उनकी हल्लत और उनका ख़ालिक़ अल्लाह तआला नहीं है बल्कि उनकी इल्लत दसवीं अक़ल और पहले आसमान की गर्दिश है और नीज़ अक़ले अव्वल के सिवा दीगर उक़ूल और अफ़्लाक का फ़ाइल और ख़लिक़ भी अल्लाह तआला नहीं है। हाँ वह इस बात के मोतरिफ़ हैं कि अल्लाह तआला सब इल्लतों की इल्लत है। आलम के पैदा होने में उन्होंने जो इन उक़ूल को अस्बाब ठैराया है उसकी वजह यह है कि उन्हों ने यह स्वीकार किया है कि अल्लाह तआला वाहिदे हक़ीक़ी है उसमें किसी जिहत से कसरत नहीं है, उसके सिफ़ात भी ऐने ज़ात हैं उसको किसी चीज़ की तरफ़ इज़ाफ़त व निस्बत भी नहीं है। जब ज़ाते बारी-ए-तआला इस तरह की वहदत से मौसूफ़ है तो उस से एक ही मस्नूअ सादिर होगा और वह मस्नूअ अक़ले अव्वल है। जब मौजूदाते आलम में कसरत मौजूद है तो ख़ाह मख़ाह उनकी कसरते अस्बाब भी तस्लीम करना पड़ा। हम ने इस जगह जो बयान किया है फ़लसफ़े की किताबों में उसकी तौज़ीह तफ़सील के साथ मौजूद है। पस मुहक़्क़िक दव्वानी ने जो यह बयान किया है कि हुकमा का यह मज़्हब है कि सब हवादिस (घटना) का फ़ाइल व ख़ालिक़ अल्लाह तआला है क़ाबिले बहस है, क्योंकि हुकमा ने कहीं यह तसरीह नहीं की है कि अल्लाह तआला हर मस्नूअ का बिला वास्ता फ़ाइल है। अगर शिफ़ा के बहसों

में ग़ौर किया जाए तो मालूम होगा कि हुकमा के विचार इस वजह से सख़्त पेचीदा होगए हैं कि उन्होंने शर व क़ुब्ह (बुराई) को ख़ुदा का मस्नूअ समझने से एहतिराज़ किया (बचा) है क्योंकि अल्लाह तआला ख़ैर ज़ात बिज़्ज़ात है उस से शर व क़ुब्ह का सादिर होना महाल है। हम ने इस विषय को दूसरी किताबों में तफ़सील से बयान किया है और यहाँ इसी बयान पर इक्तिफ़ा करते है।

फ़स्ल: अल्लाह समीअ (श्रोता / सुन्ने वाला) और बसीर (देखने वाला) है। सब मुसलमानों ने इत्तेफ़ाक किया है कि अल्लाह तआला सुनता और देखता है मगर सुन्ने और देखने के मानों में इख़्तिलाफ़ करते हैं। फ़लासिफ़ा काअबी और अबुल हुसैन बसरी का यह ख़याल है कि समीअ से आलमे मस्मूआत (सुनाई पड़नेवाला) और बसीर से आलमे मबसिरात मुराद है। मुहक़्क़िक़ दव्वानी कहते हैं कि अबुल हसन अश्अरी की भी यही राय है। जम्हूर अहले सुन्नत और बाज़ मोतज़िल और करामिय्या का यह मज़्हब है कि समअ व बसर की सिफ़त इल्म की सिफ़त से जुदा है और इन दोनों से अल्लाह तआला मौसूफ है, क्योंकि अगर अल्लाह तआला इन सिफ़तों से मौसूफ़ न होगा तो उनके अज़्दाद (विपरीत) से मौसूफ़ होगा और ज़ाहिर है कि समअ (श्रवण शक्ति) की ज़िद बहरापन है और बसर (दृष्टि) की अंधा होना है। अगर मआज़िल्लाह बारी-ए-तआला इन सिफ़ात से मौसूफ़ होगा तो नुक़साने ज़ाते बारी-ए-तआला लाज़िम आएगा और यह साबित हुवा है कि ज़ाते बारी-ए-तआला सब सिफ़ाते कामिला से मौसूफ़ है लिहाज़ा उन सिफ़ाते नाक़िसा से मौसूफ़ नहीं है तो अवश्य समअ व बसर की सिफ़त से मौसूफ़ होगा।

फ़स्ल: इस बयान में कि अल्लाह तआला मुतकल्लिम (बात करने वाला) है। मुसलमानों ने इत्तेफ़ाक़ किया है कि सिफ़ते कलाम से अल्लाह तआला मौसूफ़ है क्योंकि अल्लाह तआला फ़र्माता है *व कल्लमल्लाहु मूसा तक्लिमन (अन-निसा-१६४)* और इसी पर सब अम्बिया अलैहिमस्सलाम का इज्माअ है और यह ख़बर मुतवातिर है, लेकिन कलाम के माना में इख़्तिलाफ़ है। मोतज़िला बयान करते हैं कि इस जुम्ले के कि अल्लाह मुतकल्लिम है यह माना हैं कि अल्लाह मूजिदे कलाम है जो ख़ास ख़ास माना पर दलालत करता है और इस कलाम की ईजाद मख़सूस अज्साम में होती है मसलन दरख़्ते ऐमन या क़ल्बे नबी। कर्रामिय्या का यह ख़याल है कि अल्लाह तआला का कलाम भी अस्वात (ध्वनि) और हुरूफ़ (अक्षर) की जिन्स से है और बावजूद इस एतिराफ़ के यह भी कहते हैं कि अल्लाह का कलाम क़दीम है, हनाबिला का भी यही ख़याल है। कर्रामिय्या और हनाबिला का ख़याल इस वजह से लग़्व (व्यर्थ) है कि अगर कलाम हुरूफ़ और अस्वात से मुरक्कब होगा तो हुरूफ़ और अस्वात में अवश्य तक़दीम (प्रथमता) और ताख़ीर (विलंब) होगी, और जिस मुखकब के अज्ज़ा में तक़दीम व ताख़ीरे ज़मानी होती है वह मुरक्कब हादिस (नवीन) होता है। पस कलामुल्लाह इस वजह से कि हुरूफ़ और अस्वात से मुरक्कब (अक्षर और ध्वनी से मिश्रित) है और उनमें तक़्दीम व ताख़ीर मौजूद है हादिस होगा। मोतज़िला का ख़याल भी लग़्व है क्योंकि लुग़तन (भाषा विज्ञानुसार) और उरफ़न (परम्परागत रूप से) यह साबित नहीं है कि मुतकल्लिम के माना मुजिदे कलाम के हैं। अशाइरा का यह मज़्हब है कि कलाम अल्लाह तआला की अज़ली (अनादिकालीन) सिफ़त है और

उस से कलामे नफ़सी मुराद है जो अल्लाह तआला की ज़ात से क़ाइम है। यह बहस निहायत दक़ीक़ (अत्यंत सूक्षम) है इसकी तफ़सील बड़ी किताबों में मिलेगी।

फ़स्ल: क़ुरआने मजीद कलामुल्लाह ग़ैर मख़लूक़ है। अस्हाबे रसूलुल्लाह सल्ला० और ताबईन रहो० ने इत्तिफ़ाक़ किया है कि *अल क़ुरआनु कलामुल्लाहि ग़ैरू मख़लूक़िन।* हमाम बेहक़ी ने *किताबुल अस्मा वस्सिफ़ात* में सहाबा रज़ी० से बहुत सी रिवायतें इस मज़्मून की नक़ल की हैं कि कुरआने मजीद कलामुल्लाह ग़ैर मख़लूक़ है। इमाम आज़म और इमाम अबू यूसुफ़ का छ महीने मुनाज़रा होकर यह बात क़रार पाई कि कुरआने मजीद ग़ैर मख़लूक़ है। ग़र्ज चारों अइम्म मुज्तहिदीन और दीगर उलमाए अहले सुन्नत का इस बात पर इज्माअ हुवा है कि क़ुरआने मजीद ग़ैर मख़लूक़ है। क़ुरआने मजीद की तन्ज़ील और उसकी नज़्म (क्रम) और तालीफ़ (संकलना) से मोतज़िला ने जो यह ख़याल किया है कि क़ुरआने मजीद हादिस है ग़लत है, क्योंकि यह इस्तिदलाल उन लोगों पर होसकता है जो नज़्म व तालीफ़ के क़दम के क़ाइल हैं, मसल हनाबिला और कर्रामिय्या वग़ैरह मगर अहले सुन्नत पर यह एलिराज़ इस वजह से नहीं होसकता कि अहले सुन्नत इन चीज़ों के हुदूस के क़ाइल (वत्का) हैं और उसकी तहक़ीक़ यह है कि कलामुल्लाह दो चीज़ों में मुश्तरिक है - कलामे नफ़्सी, कलामे लफ़्ज़ी। कलामे नफ़्सी अल्लाह तआला की सिफ़त और क़दीम है और कलामे लफ़्ज़ी हादिस और सूरतों और आयतों से मुरक्कब है। ग़र्ज़ कलामे लफ़्ज़ी के हादिस

होने में अहले सुन्नत को झग्ड़ा नहीं है। शेख़ अबुल हसन अश्अरी और जम्हूर अहले सुन्नत के पास कलामे नफ़्सी से वह माना मुराद है जो नफ़्से मुतकल्लिम के साथ क़ाइम है। पस कलामुल्लाह जो अल्लाह तआला के साथ क़ाइम है उस में तरतीब और तक़्दीम व ताख़ीर नहीं है। यही क़दीम और अज़ली है। क़ुरआने मजीद में अवामिर व नवाही और अख़बार जो मौजूद हैं हादिस नहीं हैं बल्कि यह चीज़ें जिन से मुतअल्लक़ हैं वह हादिस हैं। *वल्लाहु आलमु*

फ़स्ल: अस्मा उल्लाह तौसीफ़ी हैं। अहले सुन्नत का यह मज़्हब है कि अल्लाह तआला को उन ही अस्मा (नाम) से पुकारना और ज़िकर करना चाहिये जिनका ज़िकर शर्अ शरीफ़ ने किया है। मोतज़िला और कर्रामिय्या बयान करते हैं कि जिस चीज़ से अक़लन अल्लाह मौसूफ़ हो सकता है उसका इतलाक़ (प्रयोग) अल्लाह तआल पर जाइज़ है। इमाम ग़ज़ाली कहते हैं कि यह इत्लाक़ बतौरे तौसीफ़ (प्रशंसा) दुरूस्त है मगर तस्मिया (नाम) के तौर पर दुरुस्त नहीं है।

फ़स्ल: अल्लाह तआला को देखना मुम्किन है। इस पर यह इस्तिदलाल किया गया है कि हज़रत मूसा अले० ने अल्लाह जल्ल शानहु से दीदार की प्रार्थना की थी, चुनांचे कुरआने मजीद में इसका ज़िकर किया है *रब्बि अरिनी उन्ज़र इलैका।* इस्तिदलाल (प्रमाणित करने) की वजह यह है कि अगर अल्लाह तआला का दीदार जाइज़ नहोता और मुहाल होता तो हज़रत मूसा अले० के सवाल से तलबे मुहाल (असंभव चीज़ की इच्छा) लाज़िम आती और तलबे मुहाल को जहातल

लाज़िम है। इस तक़दीर पर मआज़िल्लाह ह० मुसा अले० की जहालत लाज़िम आती है और जाहिल शख़्स मन्सबे नबूवत के लाइक़ नहीं होता क्योंकि नबूवत से इन्सान की हिदायत मक़सूद है और जाहिल शख़स से हिदायत मुम्किन नहीं है मगर इसमें शक नहीं है कि ह० मूसा अले० नबी-ए-मुरसिल हैं। आप का शुमार उन पैग़म्बरौं में है जो ऊलुलअज़्म (उत्साहशील) हैं। जब आप ने अपने अल्लाह से रूयत (दीदार) की दरख़ास्त की है तो इस से रूयते बारी तआला का इम्कान साबित होता है। इस पर दूसरी दलील यह है कि अल्लाह तआला की तरफ़ से जो जवाब मूसा अले० को मिला है उस से भी रूयते बारी तआला का इम्कान (संभावना) साबित है चुनांचे इस आयत से साफ़ ज़ाहिर है *क़ाला लन त्रानी वलाकिन उन्ज़ुर इलल जबलि फ़इन इस्तक़र्र मकानहु फ़सौफ़ त्रानी (अल-आराफ़-१४३)* यानि तुम मुझे न देखोगे लेकिन तुम पहाड़ की तरफ़ देखो अगर वह अपनी जगह पर जमा रहेगा तो तुम मुझे देखलोगे। इस आयत में अल्लाह तआला ने अपने दीदार को पहाड़ के अपनी जगह जमे रहने पर मौक़ुफ़ रखा है और तजल्ली-ए-बारी तआला के वक़्त में पहाड़ का अपनी जग्ह पर जमा रहना मुम्किन है और जो जीज़ मुम्किन पर मौक़ुफ़ (निर्धारित) होती है मुम्किन होती है तो रूयते बारी तआला भी इस वजह से कि इस्तिक़रारे जबल (पहाड़ की स्थिरता) पर मौक़ुफ़ है मुम्किन है। पस अहले सुन्नत का यह एतक़ाद है कि अल्लाह तआला की रूयत (दर्शन) मुम्किन है। अहादीसे सहीहा से साबित है कि मोमिनीन दारे आख़िरत में ख़ुदा को इस तरह देखेंगे जिस तरह कि चौधवीं रात के चांद को देखते हैं।

मोतज़िला रूयते बारी तआला के इम्कान के क़ाइल नहीं हैं और आयते मज़्कूरा में अहले सुन्नत से बहस करते हैं। अल्लामा जारूल्लाह ज़मख़शरी साहबे तफ़सीरे कशषाफ़ ने अन्मूज़ज में ज़िकर किया है कि हर्फ़ *लन* जो फ़ेले मुज़ारेअ का नासिब है ताकीद (आग्रह) और ताबीदे (चिरस्थायित्व) नफ़ी पर दलालत करता है। जब *लन* के यह माना हैं तो *लन त्रानी* में भी यही माना होंगे। यानि उस से मूसा अलो० के हक़ में हमेशा के लिये रूयत मुन्तफ़ी (अस्वीकृत) होजायगी, क्योंकि लन नफ़ी-ए-ताकीदी और नफ़ी-ए-दायमी के लिये मौज़ूअ है। उसका जवाब यह है कि अल्लामा जारूल्लाह ज़मख़शरी ने जो यह ज़िकर किया है कि लन ताकीद और ताबीदे नफ़ी पर दलालत करता है नहव (व्याकरण की एक शाखा) के किसी इमाम ने बयान नहीं किया है बल्कि नहव के सब अइम्मा का यह बयान है कि लन नफ़ी-ए-मुस्तक़बिल पर दलालत करता है, इस दलालत में न ताकीदे नफ़ी है और न दवामे नफ़ी है। चुनांचे मुग़नीयुल लबीब में अल्लामह जमालुद्दीन इब्ने हिश्शाम अनसारी ने ज़िकर किया है ''हर्फ़ लन न दवामे नफ़ी का फ़ाइदा देता है और न ताकीदे नफ़ी का - ज़मख़शरी ने उसका ख़िलाफ़ किया है और यह उसके दोनों दाअवे बिला दलील हैं।'' ग़र्ज़ नहव के इमामों ने कहीं यह तसरीह नहीं की है कि लन इन दोनों मानों के लिये मौज़ू नहीं है बल्कि सिर्फ़ नफ़ी का फ़ाइदा देता है, पस *लन त्रानी* में भी जो *लन* है उस से इस बात पर दलालत नहीं होसकती कि हज़रत मूसा अले० को कभी रूयते बारी तआला नहीं होगी बल्कि मुम्किन है कि हज़रत मूसा अले० को उसके बाद दूसरे ज़माने में रूयत होगई हो। मसलन अगर किसी ने कहा कि *लन यक़ूम ज़ैदन* तो

इसके यह माना होंगे कि ज़ैद नहीं खड़ा रहेगा, यह माना नहीं हैं कि ज़ैद क़यामत तक बैठा ही रहेगा, बल्कि मुम्किन है कि आइन्दा ज़मानों से किसी ज़माने में उठ ख़ड़ा हो।

फ़स्लः अल्लाह तआला जो कुछ चाहता है करता है। चुनांचे फ़र्माता है *यफ़अलु मा यशाउ व यहकुमु मा युरीदु* और हदीसे सहीह में बयान किया गया है कि *माशा अल्लाहु कान वमा लम यशा लम यकुन* यानि जो चाहता है करता है और जो नहीं चाहत नहीं करता, क्योंकि वह फ़ाइले मुख़तार लहै चुनांचे इसका बयान फ़स्ले क़ुद्रत में किया गया है।

फ़स्लः अल्लाह तआला जिसको चाहता है हिदायत करता है और जिसको चाहता है गुम्राह करता है। चुनांचे फ़र्माता है *युज़िल्लु मंय यशा व यहदी मंय यशा (अन-नहल - ९३)*। इस से मालूम होता है कि जिसकी हिदायत चाहता है उसके दिल में ईमान पैदा करदेता है ओर जिसकी गुमराही चाहता है उसके दिल में कुफ़्र पैदा करता है। किसी शख़्स में यह कुद्रत नहीं है कि वह अपनी कोशिष से मोमिन बन जाय या अपने को परहेज़गार बनाले बल्कि पहले अल्लाह तआला उसके दिल में ईमान की रोश्नी पैदा करदेता है जिस से वह हिदायत का रास्ता देखता है और मोमिन होजाता है। हासिल यह कि मोमिन का ईमान और काफ़िर का कुफ़्र और गुनाहगार का गुनाह अल्लाह के इरादे (निश्चय) और ख़ल्क़ (रचना) पर निर्धारित है। मगर अल्लाह ईमान और परहेज़गारी (सदाचारी) से राज़ी है कुफ़्र से राज़ी नहीं है चुनांचे फ़र्माता है *वला यर्ज़ा लिईबादिहिल कुफ़्र (अज़-ज़ुमर-७)* और इस तरह गुनाह से भी राज़ी नहीं है।

फ़स्ल: अल्लाह तआला ग़नी (निस्पृह) है यानि अपनी ज़ात व सिफ़ात व फ़ेल में किसी का मुहताज नहीं है और इसी वजह से कि अल्लाह तआला ग़नी है उसपर कोई चीज़ वाजिब नहीं है, मसलन लुत्फ़ व सलाहे बन्दगान, इबादत पर सवाब और गुनाह पर अज़ाब भी अल्लाह पर वाजिब नहीं है बल्कि बन्दे को सवाब देना उसके फ़ज़्ल (अनुकम्पा) पर मौक़ूफ़ है और माअसियत (पाप) पर अज़ाब देना अदल है, और इसी वजह से कि अल्लाह तआला का फ़ेल ग़रज़ (स्वार्थ) से ख़ाली है। मोतज़िला कहते हैं कि अल्लाह तआला पर उस शख़्स को अज़ाब देना वाजिब है जिस से गुनाहे कबीरा सादिर हो और तोबा न करके मर गया हो उसके लिये अफ़्व (क्षमा) हराम है। ख़वारिज का भी यही मज़्हब है। अहले सुन्नत कहते हैं कि अगर वाजिब के यह माना हैं कि उस फ़ेल का तारिक (छोड़ने वाला) मज़्मूम (दूषित) है तो यह माना अल्लाह तआला के हक़ में बातिल हैं क्योंकि अल्लाह तआला हक़ीक़ी मालिक है और सब मख़लूक़ उसकी मिल्क (संपत्ति) है, वह अपनी मिल्क में जिस तरह चाहे तसर्रूफ़ (परिवर्तन) कर सकता है, इस लिये किसी फ़ेल पर उसकी मज़म्मत नहीं होसकती। अगर वाजिब से वह फ़ेल मुराद है जो हिक्मत के मुताबिक़ है तो हम यक़ीनन् यह जानते हैं कि अल्लाह तआला का कोई फ़ेल हिक्मत से ख़ाली नहीं है मगर इन्सान उसके हिक्मतों को समझ नहीं सकता। मतलब यह कि अल्लाह तआला पर कोइ चीज़ वाजिब नहीं है।

वाज़ेह हो कि अल्लाह तआला ने काफ़िरों और गुनाहगारों के अज़ाब की कलामे मजीद में जो वईद (सज़ा देने का वादा) फ़रमाइ है

अगर उस वईद के मुताबिक़ उनको अज़ाब देगा तो अदल (न्याय) होगा और अगर क्षमा करेगा तो कोई मुहाल (असंभव) लाज़िम नहीं आयगा, क्योंकि अपराधी को अज़ाब देना अल्लाह तआला का हक़ है। आगर अल्लाह तआला अपने हक़ को छोड़दे और अपने वईद के विरुद्ध अमल केर यानि उसका गुनाह मआफ़ करदे तो यह फ़ेले जमील होगा। हाँ बादा का ख़िलाफ़ जाइज़ नहीं है क्योंकि वादा से दूसरे का हक़ मुतअल्लिक़ होता है और उसके ख़िलाफ़ से उसका हक़ बातिल होजाता है इसलिये वादे का ईफ़ा (वचन पालन) जमील (अनुग्राहक) है और वईद का ख़िलाफ़ महमूद (प्रशंसित) है। नीज़ यह कहना भी जाइज़ है कि अल्लाह तआला ने अफ़्व व ग़ुफ़्रान (क्षमा) का वादा फ़र्माया है, चुनांचे फ़र्माता है *इन्नल्लाह ला यग़्फ़िर अंय युशरक बिहि व यग़्फ़िरू मा दून ज़लिक लिमंय यशा (अन-निसा-४८)* यानि अल्लाह तआला शिर्क (अनेकेश्वर वाद) के सिवा जिस के चाहे सब गुनाहों को बख़्श देगा। जब अल्लाह तआला ने बन्दे के सब गुनाहों को जबकि वह मुश्रिक नहीं है बख़्श देने का वादा फ़र्माया है तो उस वादे के मुक़ाबले में सब वईदें मुज़्महिल (मंद) होजायेंगी। मगर यह वादा दर असल तफ़ज़्ज़ुल व रहमत है, हक़ वाजिब नहीं है, चुनांचे उसकी बहस गुज़रचुकी।

अल्लाह तआला के अफ़आल में ग़रज़ भी नहीं है क्योंकि ग़रज़ वह चीज़ है जो फ़ाइल को किसी फ़ेल पर उत्तेजित करती है फ़ाइल के फ़ेल की वही चीज़ मुहर्रिक (प्रेरक) होती है यानि फ़ाइल (कर्ता) में पहले उस ग़रज़ का तसरूफ़ होता है और उस ग़रज़ (उद्देश) को पाने के लिये फ़ाइल उस फ़ेल को करता है और अगर वह ग़रज़ हासिल

नहो तो फ़ाइल उस ग़रज़ में असफल और बेचैन रहता है। हासिल यह है कि उन सब फ़ाइलों की यही हालत है जो किसी ग़रज़ से काम करते हैं। अगर अल्लाह तआला के अफ़आल (क्रमों) में ग़रज़ होगी तो अल्लाह तआला की ज़ात में यह ग़रज़ मुतसर्रिफ़ और मुअस्सिर (प्रभावी) होगी और अल्लाह तआला की ज़ात प्रभावित होगी। इस सूरत में दो अम्र लाज़िम आते हैं एक यह है कि अल्लाह तआला की ज़ात बिलफ़ेल कामिल नहीं है बल्कि उग़राज़ के हासिल होने के बाद कामिल होती है और यह बात बातिल है क्योंकि अल्लाह तआला की ज़ात बिलफ़ेल कामिल है और उसका कोई कमाल मुन्तज़िर नहीं। दूसरा अम्र यह है कि अल्लाह तआला के सिवा जो चीज़ है वह मुम्किन है इसी तरह ग़रज़ भी मुम्किन है और जो मुम्किन है मुम्किन बिज़ातिहि है मुअस्सिर नहीं है, इस लिये ग़रज़ इस वजह से कि मुम्किन है मुअस्सिर नहीं हो सकती। हासिल यह कि अल्लाह तआला का फ़ेल ग़रज़ से मुनज़्ज़ह (पाक) है। हाँ इस में शक नहीं है कि अल्लाह तआला के हर फ़ेल मे हिक्मत है लेकिन बाज़ अफ़आल की हिक्मत अक़ले इन्सानी पर ज़ाहिर होती और बाज़ अफ़आल की हिक्मत ज़ाहिर नहीं होती और वह उसके दर्याफ़्त करने में क़ासिर रहती है।

फ़स्ल: अल्लाह तआला रज़्ज़ाक़ (अन्नदाता) है, चुनांचे कुरआने मजीद में फ़र्माता है *वमा मिन दाब्बतिन फ़िल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा (हूद-६)* पस बन्दे को जो कुछ रिज़्क़ मिलता बै वह अल्लाह की तरफ़ से मिलता है और अल्लाह तआला ही उसका रज्ज़ाक़ है। रिज़्क़ (जीविका) से वह चीज़ मुराद है जिस से कोई ज़िन्दा चीज़

अपनी बक़ा(जीवित रहने) में लाभ उठासके और बाज़ौं ने रिज़्क़ की विशेष परिभाषा बयान की है कि रिज़्क़ वह चीज़ है जो अल्लाह तआला की तरफ़ से किसी हैवान को मिलती है और वह उसको खालेता है। रिज़्क़ के दो क़िस्म हैं - रिज़्क़े हलाल और रिज़्क़े हराम। रिज़्के हलाल वह है जिसका ज़रीआ कसबे शरई हो। रिज़्क़े हराम वह है जिसका ज़रीआ कसबे शरई न हो। अहले सुन्नत के पास इन दोनों पर रिज़्क़ सादिक़ आता है और वह इन दोनों को रिज़्क़ कहते हैं और यहीं बात इक़ है। मोतज़िला का बयान है कि हराम चीज़ रिज़्क़ नहीं है और रिज़्क़ की यह तारीफ़ करते हैं कि वह मिल्क है या एक लाभदायक चीज़ है। यह तारीफ़ उनके मत्लब के मुवफ़िक़ नहीं है। पहली तारीफ़ पर यह एतिराज़ होसकता है कि अल्लाह तआला हैवानात का रज़्ज़ाक़ नहीं क्योंकि वह किसी चीज़ के मालिक नहीं हैं और यह बात उपर्युक आयते करीमा के ख़िलाफ़ है दूसरी तारीफ़ पर यह एतराज़ होता है कि हराम चीज़ से भी इन्सान लाभ उठा सकता है पस वह रिज़्क़ होना चाहिये हालांकि हराम चीज़ उनके पास रिज़्क़ नहीं है। ग़रज़ मोतज़िला का ख़याल इस विषय मे बहुत लग़्व है।

फ़स्ल: अल्लाह तआला मुमीत है यानि हर चीज़ के लिये मौत अल्लाह तआला के हुक्म से आती है, उसके वक़्त में तक़दीम व ताख़ीर नहीं होती, चुनांचे अल्लाह तआला फ़र्माता है *इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्ताख़िरून साअतंव वला यस्तक़्दिमून (अन-नहल-६१)*। मोतज़िला कहते हैं कि मक़तूल की मौत और बाज़ अस्बाबे ज़ाहरी से जो जानदार मरजाता है अल्लाह तआला उसकी हयात को काट देता है

क्योंकि अगर यह अस्बाब उसपर वारिद न होते तो वह नहीं मरता और काअबी का यह ख़याल है कि मक़तूल के लिये दो अजल (मरण) हैं - क़तल और मौत, यह दोनों ख़याल लग़्व हैं, क्योंकि अल्लाह तआला ने अपने इलमे अज़ली मे हर चीज़ के जीवन की समय सीमा निश्चित करदी है। जब यह समय सीमा समाप्त हो जाती है चाहे उसका अंत क़तल से हो या पानी में डूबने से या आग में जलने से या किसी हिंसक जतुं के ज़ख़मी करने से हो मौत आजाती है और उस साअत में किसी तरह तक़्दीम व ताख़ीर नहीं है।

फ़स्लः अल्लाह तआला के अस्मा (नामों) से ज़ार और नाफ़े भी दो नाम हैं। किसी जानदार को जो कुछ लाभ या हानि पहुंचती है, उसके कसब (उपार्जन) से नहीं बल्कि आल्लाह तआला की तरफ़ से पहुंचती है। पस व्यापार और कृषि वग़ैरह में लाभ या घाटा होना या चीज़ों का सुरक्षित रहना या टूट जाना या किसी हैवान और इन्सान का स्वस्थ या बीमार रहना सब अल्लाह तआला का फ़ेल है और सब नफ़ा व ज़रर अल्लाह तआला के ख़ल्क़ से वजूद में आया है। हासिल यह कि आम नफ़ा व ज़रर अल्लाह तआला के मख़लूक़ हैं।

दूसरा बाब

मलाइका के बयान में

फ़स्लः मालाइका (फ़िरिश्तौं) का वजूद कुरआने मजीद से साबित है, चुनांचे अल्लाह तआला फ़र्माता है *व इज़ क़ुल्ना लिल मलाइकतिसजुदू* इसके अलावा बहुत सी आयतौं में मलाइका का ज़िकर किया है। मलाइका का शरीर बहुत ही लतीफ़ होता हैं इसी वजह से हर इन्सान उनको नहीं देख सकता। उलमा ने बयान किय है कि उनमें अल्लाह तआला ने यह क़ुद्रत दी है कि वह जो शकल में चाहते हैं ग्रहण कर सकते हैं। हुकमा कहते हैं कि मलाइका किसी माद्दे (पदार्थ) से नहीं पैदा किये गये हैं बल्कि वह माद्दा से पाक हैं और अहले शर्अ कहते हैं उनका जन्म नूर से हे और उनके शरीर नुरानी है। आस्मानों से ज़मीन पर आते हैं, चुनांचे अल्लाह तआला फ़र्माता है *तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर रूह फ़ीहा बि इज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र* (अल-क़द्र-४)। क़ुरआने मजीद से यह भी साबित है कि मलाइका मुदब्बिराते आलम हैं यानि अल्लाह तआला जिस तरह उनको हुकम देता है उसकी तामील (आज्ञा पालन) करते हैं, चुनांचे अल्लाह तआला फ़र्माता है *वल मुदब्बिरानु अम्रन*। ग़रज़ क़ुरआने मजीद की आयतें यह साबित करती हैं कि मलाइका केवल शक्तियाँ नहीं हैं बल्कि ऐसे नुफ़ूस हैं जो मुदब्बिर (यत्न शील) और साहबे अक़्ल व शऊर हैं और उनके जुस्से (शरीर) नूरानी हैं। पस उनके बजूद का इस तरह इक़रार करना और एतक़ाद रखना फ़र्ज़ है और उनको सिर्फ़ ख़यालो सूरतें मान्ना क़ुरआने मजीद का इन्कार होगा।

फ़स्ल: मलाइका गुनाह से मासूम हैं, यानि उनसे गुनाह सादिर नहीं होता, चुनांचे अल्लाह तआला फ़र्माता है *ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा यूमरुन (अत-तहरीम-६)* यानि उनको अल्लाह तआला जो कुछ फ़र्माता है करते है और उसकी ना फ़र्मानी नहीं करते।

आदम अले० के जन्म के समय मलाइका ने अल्लाह तआला से यह अर्ज़ किया था कि क्या तू ज़मीन पर ऐसी मख़लूक़ को ख़लीफ़ा बनाता है जो ज़मीन पर फ़साद फैलाएगी / चुनांचे क़ुरआने मजीद में उनका यह बयान इस आयत से मालूम होता है *अतजअलु फ़ीहा मैंयुफ़्सिदु फ़ीहा (अल-बक़रह-३०)* - वह एतराज़ नहीं है बल्कि अपने शुब्हे का इज़्हार है और यह इज़्हार इस वजह से हुवा है कि यह शुब्ह दूर होजाय और इस क़िस्से में ख़ून रेज़ी की निसबत भी जो इन्सान की तरफ़ की गई है वह ग़ीबत नहीं है बल्कि यह संदेह है और अपनी तस्बीह और नफ़सानी तहारत का जो दावा किया गया है वह सत्यता का इज़्हार है ख़ुदबीनी (अभिमान) नहीं है। हारूत और मारूत का जो क़िस्सा क़ुरआने मजीद में ज़िकर किया गया है उसमें इख़तलाफ़ है। बाज़ौं की यह राय है कि हारूत व मारूत दो व्यत्की थे और बाज़ौं ने कहा है कि यहा फ़िरिश्ते थे मगर उन से गुनाह का सादर होना सिर्फ़ इस वजह से है कि उनमें क़ुव्वते शहवानी पैदा करदी गई थी और मलाइका से माअसियत का सुदूर इस वजब से मुम्किन नहीं है कि उनमें क़ुव्वते शहवानी नहीं है और उस पर आयत *ला यासूनल्लाह मा अमरहुम* दलालत करती है और जब उनमें क़ुव्वते शहवानी पैदा होजाए तो माअसियत का सुदूर उनसे नामुम्किन नहीं है बाक़ी क़िस्सा

ज़हरा के फ़िस्क़ (दुराचार) और उसके सितारा बन जाने का जो मश्हूर है मोहमल (निरर्थक) है।

फ़स्ल: इस बयान में कि फ़िरिश्ते अफ़ज़ल हैं या बशर। बाज़ का यह ख़याल है कि मलाइका बशर से अफ़ज़ल हैं क्योंकि उनके जुस्से लतीफ़ और गुनाहों से मासूम हैं और इन्सान कसीफ़ और गुनाहीं से मासूम नहीं है पस लतीफ़ कसीफ़ से और मासूम ग़ैर मासूम से अफ़ज़ल है। इसका जवाब यह है कि इस बयान से सिर्फ़ यह साबित होता है कि मलाइका की फ़ित्रत लतीफ़ है और यह बात क़ाबिले तस्लीम (स्वीकार्य) है मगर बहस इसमें नहीं है बल्कि बहस उसमें है कि मलाइका बएतबारे सवाब बशर से अफ़ज़ल हैं या बशर उनसे अफ़ज़ल है। उसका जवाब यह है कि इन्सान में तीन क़ुवतें (शक्तियाँ) दी गई हैं, क़ुवते नुत्क़िया (वाचन शक्ति), क़ुव्वते ग़ज़बिया (प्रकोप शक्ति) और क़ुव्वते शहविया (इन्द्रियाशक्ति)। आख़र की दोनों क़ुव्वतें नुत्क़िया यानि क़ुव्वते अक़लिया की मुज़ाहिम (बाधक) हैं। इस मुज़ाहमत की वजह से क़ुव्वते अक़लिया हमेशा शिकंजे मे रहती हैं। अगर इन्सान वावजूद इस मुज़ाहमत के अल्लाह तआला के अहकाम बजालाय तो इन्सान को मलाइका से ज़ियादा सवाब मिलेगा क्योंकि मलाइका में कोई ऐसी क़ुव्वत नहीं है जो उनसे नेक काम सादिर होने में बाधा डाले। जब उनमें इस तरह की कोई क़ुव्वत नहीं है उनसे नेकियाँ सहूलत के साथ सादिर होती हैं और इस वजह से कि उनमें शहवानी और ग़ज़बी क़ुव्वत नहीं है उनसे अफ़आले शहवानी और ग़ज़बी सादिर नहीं होते। अहले सुन्नत का मज़्हब यह है कि नेक इन्सान आम मलाइका से अफ़ज़ल हैं। अगर ग़ौर किया जाय तो आदम अले० का मस्जूदे

मलाइका और मलाइका से इल्म में बर्तर होना इन्सान के मलाइका से अफ़ज़ल होने पर दलील है।

फ़स्ल: फ़िरिश्तौं मे हज़रत जिब्रईल अले० सरदार हैं क्योंकि अल्लाह तआला फ़र्माता है *इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीमिन ज़ी क़ुव्वतिन इन्द ज़िल अरशि मकीनिम मुताइन सुम्म अमीन (अत-तकवीर-१९)* इस आयते करीमा में जिबरईल अले० की कई सिफ़ात ज़िकर की गई हैं। पहली यह है कि जिब्रईल अले० रसूले करीम हैं। दूसरी यह है कि जिबरईल साहबे कुव्वत है। दूसरी आयत में *शदीदुल क़ुवा* ज़िकर किया गया है यानि बड़ी क़ुव्वत वाला। तीसरी यह है कि साहबे अर्श (अल्लाह जल्ल शानहु) के पास मुक़ीम हैं। चौथी यह है कि जिबरईल अले० फ़िरिश्तौं के मुताअ यानि सरदार हैं और फ़िरिश्ते उनके मुतीअ (अधीन) हैं। पांचवी यह कि जिबरईल अले० अमानतदार हैं यानि अल्लाह तआला से उन्हें जो कुछ इल्क़ा होता है उसकी हिफ़ाज़त करते हैं और पैग़म्बरौं को पहुंचादेते हैं।

फ़स्ल: हज़रत जिबरईल अले० साहबे वही हैं और मुम्किन है कि इल्क़ा और इल्हाम दूसरे मलाइका के ज़रीए भी हो क्योंकि अल्लाह तआला फ़र्माता है फ़लमुल्क़ियाति ज़िकरन (अल-मुरसलात-५) या वही व इल्क़ा की सदारत हज़रत जिबरईल अले० को हो और दूसरे अस्हाबे इल्क़ा। आपके ताबे हों। मीकाईल अले० तदबीर व ताईने रिज़्क़ (जीविका के प्रयत्न और बटंवारा) पर मामूर हैं। इसराफ़ील अले० रूहौं के क़ब्ज़ करने पर मामूर हैं।

फ़स्ल: मलाइका सिफ़ाते जिस्मानी से पाक हैं, वे न मर्द हैं न औरत क्योंकि यह सिफ़तें माद्दा के ताबेअ हैं। जब मलाइका के शरीर भौतिक नहीं है तो यह गुण भी उनमें नहीं हैं।

फ़स्ल: जिस तरह बशर (मानव) को तरक़्क़ी व तनज़्ज़ूल (उन्नति और ज़वाला) है मलाइक को तरक़्क़ी व तनज़्ज़ूल नहीं है। हुकमा का भी यही ख़याल है और बाज़ मुतकल्लिमीन की भी यही राय है चुनांचे शबे मेराज में जिबरईल अले० ने सरदारे आलम हज़रत रसूलुल्लाह सल्ला० से कहा था कि अगर एक उंगल भर नज़्दीक होजाऊं तो जल जावंगा।

बाज़ उलामा ने आयत *वमा मिन्ना इल्ला लहु मक़ामुम माअलूम (अस-साफ़्फ़ात-१६४)* से इस मसले पर इसतिदलाल किया है मगर यह इसतिदलाल ज़ईफ़ है क्योंकि इस आयत से सिर्फ़ यह साबित होता है कि मलाइका को उस मक़ाम तक तरक़्क़ी मुम्किन है जो कि इलमे बारी तआला को माअलूम है। वल्लाहु आलमु

ख़ातिमा: जिन्न के बयान में। क़ुरआने मजीद जिन्न के वजूद पर दलालत करता है चुनांचे सूरह जिन्न से बाज़ जिन्नात का ईमान लाना साबित है। मख़फ़ी (गुप्त) न रहे कि इबलीस मलाइका में दाख़िल नहीं है बल्कि क़ुरआने मजीद से साबित है कि यह क़ौमे जिन्न से हे चुनांचे अल्लाह तआला फ़र्माता है *वकान मिनल जिन्नि।*

इस अम्र में इख़तलाफ़ है कि जिन्नात में पैग़म्बर हुवे हैं या नहीं अकसर लोगों की यह राय है कि क़ौमे जिन्न मे कोई पैग़म्बर नहीं हुवा। बोज़ौ ने यह दावा किया है कि इज्माअ होगया है कि जिन्नात में कोई पैग़म्ब नहीं हुवा है। इमाम फ़ख़रूद्दीन राज़ी रहे० ने आयत *या माअशरल जिन्नि वल इन्सि अलम यातिकुम रूसुलुम मिनकुम (अल-अन्आंम - १३०)* की तफ़सीर में यह सब बयान फ़र्माया है मगर इस ख़याल से कि इस विषय में इज्माअ हुवा है इमाम को इत्तफ़ाक़ नहीं है।

तीसरा बाब

कुतुबे मुनज़्ज़लह के बयान में

फ़स्ल: क़ुरआने मजीद से साबित है कि अम्बिया अले० पर अल्लाह तआला ने किताबें और सहीफ़े उतारे हैं, चुनांचे तौरात मूसा अले० पर और ज़बूर दाऊद अले० पर और इन्जील ईसा अले० पर नाज़िल हुवी है और हमारे सर्वरे काइनात मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्ला० पर क़ुरआने मजीद नाज़िल हुवा है। इन सब आसमानी किताबों मे क़ुरआने मजीद मआश (जीवनोपाय), मआद (पुनर्जीवन) और तहज़ीबे नुफ़ूसे इन्सानी का ज़्यादा जामे (व्यापक) है इन किताबों के अलावा दूसरे अम्बिया पर जैसे आदम अले०, शीस अले०, इदरीस अले० और इब्राहीम अले० के सहीफ़े नाज़िल हुवे।

फ़स्ल: वही के बयान में। अम्बिया अलैहिमस्सलाम पर किताबें और सहीफ़े वही के ज़रीए उतारे गये हैं। वही के तीन क़िस्में हैं। पहली क़िस्म यह है कि अल्लाह तआला ख़ुद कलाम करता है चुनांचे कलामे मजीद में फ़र्माता है *व कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमन्*। दूसरी क़िस्म यह है कि अल्लाह तआला अपने बन्दे के दिल पर मलक के माध्यम के बिना इल्क़ा फ़र्माता है चुनांचे अल्लाह जल्ल शानहु फ़र्मात है *फ़ औहा इला अब्दिहि मा औहा (अन-नज्म-१०)*। अकसर मुफ़स्सिरीन कहते हैं कि इस वही से वही बिला वासता मुराद है, इसके यह माना हैं कि अल्लाह तआला ने अपने बन्दे यानि सर्वरे काइनात सल्ला० को जो

कुछ तालीम करनी थी उसकी वही की। तीसरी वह वही है जिसको अल्लाह तआला फ़िरिश्ते के वासते से अपने नबी को तालीम फ़र्माता है। इन तीनों क़िस्मों की वही को अल्लाह तआला ने क़ुरआने मजीद में ज़िकर फ़र्माया है *व मा कना लिबशरिन् अंय युकाल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहयं अव मिन वराइ हिजाबिन अव युरसिल रसूलन फ़यूहिय बिइज़निहि मा यशाउ - इन्नहु अलीयुन हकीम (अश्शरा-५१)*। इनमें से पहली और दूसरी क़िस्म अम्बिया अलै० से मख़सूस नहीं है बल्कि औलिया अल्लाह को भी दोनों क़िसम की वहीयें होसकती हैं मगर तीसरी क़िस्म की वही जो फ़िरिश्ते के वासते से होती है अम्बिया अलै० से मख़सूस है। जब यह वहीयें अम्बिया अले० को होती हैं उनमें ख़ता का इम्कान नहीं होता क्योंकि अम्बिया अले० ख़ता से मासूम हैं और दलीले अक़ली व नक़ली उनकी अज़्मत पर मौजूद है, इसकी बहस आइंदा बाब में आयेगी। इनशा अल्लाहु तआला।

फ़स्ल: क़ुरआने मजीद सब मुनज़्ज़ल किताबों में जामेअ (व्यापक) और ख़ातिमुल कुतुब है। क़ुरआने मजीत ख़ातिमुल कुतुब इस वजह से है कि अल्लाह तआला ने इस किताबे मजीद में इन्सानी फ़ित्रत के आम ज़रूरतों को पूरा कर दिया है। पहला यह कि इबादात के उसूल और उनके अस्बाब और शुरूते औक़ात बताए। दूसरा यह कि उन मआमलाते तमद्दुनी के इस्लाह व इन्तेज़ाम के उसूल बताए जो बन्दों के दरमियान वाक़े होते हैं या उनका वाक़े होना मुम्किन है। तीसरा यह की उमूरे मआद (अगले जीवन के मामलात) का विस्तार पूर्वक ज़िकर किया गया है जिस से साबित होता है कि इन्सान की नेकी और बदी मोहमल

(अर्थ हीन) और बेकार नहीं है बल्कि उसका प्रभाव इन्सान पर एक दूसरे आलम मे होगा। चौथा यह कि तहज़ीबे नफ़सानी के उसूल भी इस किताबे मजीद में विस्तार पूर्वक ज़िकर किये गये है। ग़र्ज क़ुरआने मजीद में जिन हक़ाइक़ और नुकात का ज़िकर किया गया है उनका समझना और उनके मुताबिक़ अमल करना इन्सानी फ़ित्रत के आम ज़रूरतों के लिये काफ़ी है। पस इस किताबे मजीद के बाद दूसरी किताब की ज़रूरत नहीं रही इस लिये क़ुरआने मजीद ख़ातिमुल कुतुब ह।

फ़स्ल: क़ुरआने मजीद के मोजिज़ा होने के बयान में। इस अम्र में इख़तिलाफ़ है कि क़ुरआने मजीद किस एतबार से मोजिज़ा है। बाज़ौं ने बयान किया है कि क़ुरआने मजीद फ़साहत और बलाग़त के एतबार से मोजिज़ा है। बाज़ ने कहा है कि क़ुरआने मजीद इस वजह से मोजिज़ा है कि उस में सलाहे मआश व मआद के उसूल बयान किये गये हैं। जम्हूर का क़ौल यही है कि वह फ़साहत व बलाग़त ही के एतबार से मोजिज़ा है। ख़ुद अल्लाह जल्ल शानहु ने उसके इस तरह मोजिज़ा होने को बयान फ़र्माया है *व इन कुन्तुम फ़ी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़ातू बिसूरतिम् मिम् मिसलिहि वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन् कुन्तुम् सादिक़ीन् (अल-बक़रह-२३)*। उसके मोजिज़ा होने के यह माना हैं कि क़ुरआने मजीद बावजूद इसके कि उरबौं की ज़बान में नाज़िल हुवा है और उनको अपनी ज़बान दानी और तलाक़त (वाचालता) का इतना दावा था कि अपनी गोयाई (वाक् शक्तिः) के मुक़ाबले मे दूसरौं को गूंगा समझते थे लेकिन क़ुरआने

मजीद की एक छोटी आयत का मुक़ाबला अपनी ज़ियादा से ज़ियादा कोशिष के बाद भी न कर सके। ग़र्ज़ क़ुरआने मजीद ऐसी किताब है कि उसका एजाज़ (विचित्रता) क़यामत तक बाक़ी है।

फ़स्लः क़ुरआने मजीद सब आस्मानी किताबों का नासिख़ है यानि सब आस्मानी किताबें और तमाम अगली शरीअतें क़ुरआने मजीद नाज़िल होने के बाद मन्सूख़ (निरस्त) होगई मगर क़ुरआने मजीद में जो अहकाम ज़िकर किये गये हैं हमेशा बाक़ी हैं और बाक़ी रहेंगे। उनही अहकाम को उनकी तफ़सीलात के साथ जो सहीह हदीसों से साबित हुवे हैं शरीअते मुहम्मदिया कहते हैं।

फ़स्लः क़ुरआने मजीद इस एतबार से कि अल्लाह का कलाम है उसकी हक़ीक़त वाहिद है और यह अज़ली और क़दीम है। अम्र व नही और वादा व वईद से उसमें जो कसरत पाई जाती है मुतअल्लक़ात के एतबार से है मगर नफ़से कलाम जो सिफ़ते इलाही है उसमें कसरत नहीं है बल्कि वह वाहिद और क़दीम है। इस विषय की तफ़सील इल्मे कलाम की बड़ी किताबों में देखी जाय।

चौथा बाब

नबुव्वत के बयान में

फ़स्लः नबी के इश्तिक़ाक़ (व्युत्पत्ति) में उलमा ने इख़तिलाफ़ किया है। बाज़ौं का ख़याल है कि नबी नबुव्वत से मुश्तक़ है उसका अर्थ इरतिफ़ाअ (उच्चता) हैं पस नबी का अर्थ मुर्तफ़े (उच्च) हुवा और बाज़ौं का ख़याल है कि नबा से मुश्तक़ है उसका अर्थ ख़बर (सूचना) है इस प्रकार नबी का अर्थ मुख़बिर (सूचक) है। नही से वह इन्सान मुराद है जिसको अल्लाह तआला ख़लाइक़ (लोगौं) की तरफ़ भेजता है कि उनको वह बातें पहुंचादे जिनकी उस पर वही की गई है। रसूल से मुराद भी नबी है मगर कभी रसूल उस शख़्स को कहते हैं जो साहबे किताब या साहबे शरीअत हो। इस सूरत में नबी से रसूल ख़ास होगा। फ़िरक़ा सनिया और अकसर ब्राहिमा नबुव्वत का इन्कार करते है। हुकमा ने वजूदे नबी का इक़रार किया है और बयान किया है कि निज़ामे आलम (संसार की व्यवस्था) के लिये नबी की ज़रूरत है। ऐसे शख़्स को हुकमा साहबे नामूस (सतीत्व वाला) और उसकी शरीअत को नामूस कहते है। हकीम अफ़लातून ने अम्बिय की शान में कहा है *हुम अस्हाबुल क़वा अलअज़ीमा अलफ़ाइक़ा* यानि उनके इल्मी और अमली शक्तियाँ बहुत ही महान और श्रेष्ठ हैं। मुअल्लिमे अव्वल अरस्तू ने उनकी तारीफ़ इन शब्दौं मे कि है कि यह गुरोह अल्लाह तआला की ज़ियादा तवज्जोह और ताईद से मुमताज़ है। हुकमा यह भी बयान करते हैं कि अम्बिया को इल्हामे इलाही (ईश्वरीय प्रेरणा) से गुप्त चीज़ौं

का ज्ञान होजाता है और आलमे कौन व फ़साद (दुनिया के अस्तित्व और नाश) में तसर्रूफ़ (नियमित) करने पर भी क़ादिर हैं। मुहक़्क़िक़ दव्वनी ने अख़लाक़े जमाली में यह सब बयान किया है।

फ़स्ल: अम्बिया के जन्म के फ़वाइद (लाभ) हैं। उलमा ने बयान किया है कि अश्या दो क़िस्म पर हैं एक यह है कि अक़ले इन्सानी उनको दर्याफ़्त कर सकती है, दूसरी क़िस्म यह है कि अक़ले इन्सानी उनको दर्याफ़्त नहीं कर सकती। मसलन् इबादते इलाही के तरीक़े और उनके औक़ात और उनके शुरूत और मआदे नफ़सानी व जिस्मानी और इन्तेज़ामे मआश के वह क़वानीन जिनका इसतेमाल इस्लाहे आलम का सबब हो। इन सब उमूर में नबी की ज़रूरत है। पहली क़िस्म में इस लिये कि बयान की गई चीज़ों की जिस तरह अक़ल से मारिफ़त हुवी है दलीले समई उसकी ताईद करेगी। दूसरी क़िस्म में इस वजह से कि मानव बुद्धि जिन चीज़ों के जान्ने की शक्ति नहीं रखती तालीमे नबी से उनका ज्ञान प्रप्त होजाएगा और अक़ल पर से जहालत का पर्दा उठ जाएगा। ग़र्ज़ नबी के वजूद से इन्सान की माअरिफ़त में इज़ाफ़ा होजाता है और उसको शुक्रे मुनइम के तरीक़े आसानी से मालूम होजाते और आलमे मआद (उगले जीवन) के समाचार भी उसको मालूम होजाते हैं। जब यह उलूम उसको हासिल हो जाते हैं तो उसका नफ़्स मुहज़्ज़ब (सभ्य) और उसकी अक़ल मुनव्वर (प्रकाश मान) हो जाती है और नीज़ नबी की ज़रूरत इस वजह से भी है कि मुकल्लफ़ीन (कर्मबद्ध) क़यामत के दिन यह न कहें कि अगर किसी रसूल को हमारी हिदायत के लिये रवाना करता तो हम गुमराह नहीं होते, चुनांचे अल्लाह तआला फ़र्माता है *वलौ अहलकना हुम बिअज़ाबिम*

मिन क़ब्लिहि लक़ालू रब्बना लौ ला अर्सलता इलैना रसूलन फ़नत्तबिअ आयातिक मिन क़ब्लि अन नज़िल्ल व नख़ज़ा (ताह-१३४)। ग़र्ज़ अम्बिया का मबऊस होना इन आम फ़वाइद के लिये है, इसकी तफ़सील बड़ी किताबों में मिलेगी।

फ़स्ल: इन्सानों में पहले पैग़म्बर हज़रत आदम अले० हैं और पैग़म्बरों के खातिम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्ला० हैं। महिक़्क़िक़ दव्वानी ने ज़िकर किया है कि बाज़ ब्रहमन आदम अले० की पैग़म्बरी के क़ाइल हैं। फ़िर्क़य साइबा हज़रत शीस अले० और हद्रीस अले० की पैग़म्बरी के मोतक़िद हैं और दूसरे पैग़म्बरों की नबुव्वत के मुन्किर हैं और बाज़ यहूद मूसा अले० की नबुव्वत के सिवा सब पैग़म्बरों की नबुव्वत का इन्कार करते हैं और यहूद, नसारा, मजूस, आम ब्रहमन और हुनूद मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्ला० की नबुव्वत के मुन्किर हैं।

फ़स्ल: हदीसे सहीह में मज़्कूर है कि जुमला पैग़म्बर एक लाख चौबीस हज़ार हैं और बाज़ रिवायतों में दो लाख चौबीस हज़ार हैं। अल्लाह तआला ने क़ुरआने मजीद मे बाज़ पैग़म्बरों के नमा ज़िकर किये हैं और बाज़ों के नाम ज़िकर नहीं किये, चुनांचे फ़र्माता है *मिन्हुम मन क़ससना अलैका व मिन्हुम मन लम नक़सुस अलैका।* पस मोमिन को सिर्फ़ यह कहदेना काफ़ी है कि मैं सब पैग़म्बरों पर ईमान लाया हूँ, नामों की गिन्ती की ज़रूरत नहीं है। यह सब पैग़म्बर सादिक़ (सत्य वादी) और माअसूम थे। अल्लाह तआला ने उन्हें जो कुछ वही की थी उन्हों ने अपनी अपनी उम्मतों को उसकी तालीम दी और उनको ख़ुदा

की तरफ़ बुलाया मगर उन्हों ने बद बख़्ती से पैग़म्बरौं की तस्दिक़ नहीं की और उनका कहा नहीं माना।

फ़स्ल: सब अम्बिया अलैहिमस्सलाम माअसूम (प्राकृतिक निष्पाप) हैं क्योंकि अगर वे माअसूम नहोंगे और किज़्ब वग़ैरह उन से सदिर होगा तो उनके उन सूचनायें और आदेशौं में जिनको वे अल्लाह तआला की तरफ़ से ख़लाइक़ को पहुंचाते हैं इम्काने किज़्ब होगा और ऐसी स्थिती में उनकी कोई बात विश्वसनीय नहीं होगी। उम्मत ने इज्माअ किया है कि सब अम्बिया शिर्क और झूट से माअसूम हैं मगर फ़ज़ीला जो ख़वारिज से हैं यह कहते हैं कि मआसी (पाप) और कुफ़्र का सुदूर उनसे मुम्किन है। उनके मज़्हब का फ़साद ज़ाहिर है क्योंकि नबी की इत्तेबाअ फ़र्ज़ है, जब नबी से माअसियत और कुफ़रियात सादिर हों तो उसकी इत्तेबाअ कैसे फ़र्ज होगी। जम्हूर अहले सुन्नत का मज़्हब यह है कि अम्बिया अले० छोटे बड़े गुनाहौं से माअसूम हैं और इस अम्र में इख़तिलाफ़ है कि नबुव्वत से पहले छोटे गुनाहौं से माअसूम हैं या नहीं। फ़िरक़-ए-शेआ का यह मज़्हब है कि नबुव्वत के पहले भी छोटे और बड़े गुनाहौं से माअसूम हैं। अहले सुन्नत कहते हैं कि बतौर सहव (भूल कर) छोटे गुनाहौं का उनसे सुदूर मुम्किन है मगर उन गुवाहौं पर उन को इस्तिक़रार (स्थिरता) नहीं होता। उनको बहुत जल्द मालूम होता है और तौबा करलेते हैं।

फ़स्ल: मोजिज़ा के बयान में। मोजिज़ा से वह अम्र मुराद है जो नबुव्वत का दावा करने वाले से बतौर ख़िलाफ़े आदत (आसाधारणत)

सादिर हो जिसके मुआरज़े से मुनकरीने नबुव्वत आजिज़ होजायें। उलमा ने मोजिज़ा की सात शरतें बयान की हैं। पहली शर्त यह है कि मोजिज़ा ख़िलाफ़े आदत हो। दूसरी शर्त यह है कि उसका मुआरिज़ा (विरोध) कठिन हो। तीसरी शर्त यह है कि मोजिज़ा उस समय प्रकट हो जिस समय नबी नी उसके सुदूर (जारी होने) का दावा किया है। चौथी शर्त यह है कि नबी के दावा के मक़ारिन (युग) हो। पाँचवीं शर्त यह है कि जो चीज़ नबी से ज़ाहिर हो नबी के दावे के मुख़लिफ़ नहो और उसके दावे को न झुटलादे। छटी शर्त यह है कि मोजिज़ा दावे से पहले नहो क्योंकि वह ख़वारिक़े आदात (अदभुत चमत्कार) जो नबुव्वत के दावे से पहले किसी से सादिर होते हैं उनको करामात कहते हैं। हुकमा कहते हैं कि मोजिज़ात और करामात अस्बाब (कारणौं) से सादिर होते हैं मगर उन अस्बाब का इल्म अवाम को नहीं होता, चुनांचे शैख़ुर रईस की मही राय है और अकसर हुकमा का यह ख़याल है कि चूंकि हयूलाए अनासिर (मूल) अम्बिया का ज़ेरे फ़र्मान (आज्ञाकारी) होता है इस लिये अम्बिया जो चाहते हैं उसपर तसर्रूफ़ (उपयोग) करते हैं। अहले सुन्नत का यह मज़्हब है कि मोजिज़ा अल्लाह तआला का फ़ेल है मगर उस फ़ेल का ज़हूर नबी की दरख़ास्त पर निर्भर है।

फ़स्ल: अम्बिया के दो किस्म हैं, साहबे शरीअत और ताबेअ शरीअत। साहबे शरीअत वह अम्बिया हैं जिनकी नई शरीअत हो और अल्लाह की जानिब से उसका नुज़ूल नई किताब और नये सहीफ़े के ज़रीए से हुवा हो मसलन हज़रत आदम अले० की शरीअत, ह० नूह अले० की शरीअत, इब्राहीम अले० कीशरीअत,मूसा अले० की शरीअत, ईसा

अले० की शरीअत और सर्कारे आलम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्ला० की शरीअत। उनमें से ह० ईसा अले० की शरीअत मूसा अले० की शरीअत की मुतम्मिम (पूर्ण करने वाली) है नासिख़ (विलोपक) नहीं है और आँहज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्ला० ख़ातिमुन नबिय्यीन की शरीअत सब पिछली शरीअतों की नासिख़ है। ताबेआने शरीअत वह अम्बिया हैं जो पिछले नबी की शरीअत पर अमल करते हैं मसलन् बनी इसराईल के अम्बिया और दाऊद अले० मूसा अले० की शरीअत पर अमल करते थे। साहेबाने शरीअत उन अम्बिया से अफ़ज़ल है जो ताबेआने शरीअत हैं।

फ़स्ल: अम्बिया अले० की शरीअतों मे कई चीज़ों का बयान होता है। पहली यह है कि अल्लाह तआला की तौहीद का इक़रार करना और उसकी सिफ़ात पर ईमान लाना। दूसरी यह है कि फ़िरिश्तों पर जिस तरह हम ने मलाईका के बाब (अध्याय) मे ज़िकर किया है ईमान लाना। तीसरी यह है कि अल्लाह तआला की सब किताबों और सहीफ़ों पर ईमान लाना और उनको अल्लाह तआला की तरफ़ से उतरे हुवे और उनका ग़ैर मख़लूक़ होना तस्लीम करना। चौथी सब पैग़म्बरों पर इस तरह ईमान लाना फ़र्ज़ है कि उनको अल्लाह तआला ने हमारी हिदायत के लिये भेजा है। यह सच्चे हैं जो कुछ तालीम फ़र्माते हैं उसमें सरेमू (केश की नोक के बराबर) ख़ता नहीं है। पाँचवीं हश्र, सवाब और अज़ाब, जन्नत और दोज़ख़ पर ईमान लाना। छटी एतक़ाद रखना कि हर एक नेकी और बदी अल्लाह तआला की तरफ़ से हे और उसका फ़ाइल अल्लाह तआला है। सातवीं यह कि अल्लाह तआला

ने जिन इबादतों की तालीम की है उनको बजाआना। आठवीं अल्लाह तआला ने बाहमी मुआमलात की इस्लाह जिन उसूल से की है उन उसूल के मुताबिक़ अमल करना। नवीं उन उमूर को भी अल्लाह तआला ने बयान फ़र्माया है जो तहज़ीबे अख़लाक़ और तज़्किय नफ़सानी (नफ़्स की शुद्धि) से संबंधित हैं। दस्वीं अल्लाह तआला ने पिछली उम्मतों की इताअत और नाफ़र्मानी के जो समाचार ज़िकर फ़र्माए है उनकी तस्दीक़ करना। ग्यारहवीं बाज़ अमसाल (नीति-कथा) और हिकम (सिद्धांत) भी आस्मानी किताबों मे लिखित हैं उनकी सच्चाई का दिल में एतक़ाद रखना। बारहवीं अल्लाह तआला के वाअदों और वईदों को हक़ जान्ना। मख़फ़ी न रहे कि यह उसूल सब अम्बिया अले० की शरीअतें में संक्षेप या विस्तार पूर्वक पाए जाते हैं।

फ़स्ल: सब अम्बिया अले० जो रसूलुल्लाह सल्ला० के पहले गुज़रे हैं अगरचे इन्सानों की हिदायत के लिये पैदा हुवे हैं मगर तमाम इन्सानों की हिदायत हर एक नबी के ज़िम्मे नहीं की गई है बल्कि उनमें से हर एक नबी एक ख़ास भूखंड पर पैदा हुवा है और उसी भाग के इन्सानों की हिदायत करता है या किसी ख़ास क़ौम की हिदायत के लिये भेजा जाता है मसलन मूसा अले० और हारून अले० मिसरियों और फ़िरऔन को हिदायत करने के लिये भेजे गये थे। इसी तरह हज़रत हूद अले० क़ौम आद की तरफ़ और सालेह अले० क़ौमे समूद की तरफ़ और इब्राहीम अले० नमरूद और उसकी क़ौम की तरफ़ और लूत अले० मोतफ़कात पर, याक़ूब अले० किनआन की ज़मीन पर और ईसा अले० शाम की ज़मीन पर भेजे गये थे और उनही मक़ामात के

अक़वाम पर इन पैग़म्बरौं ने अपनी नबुव्वत का दावा किया और उन क़ौमों को अल्लाह तआला की तौहीद और उसकी इताअत और बन्दगी की तरफ़ बुलाया। हासिल यह है कि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्ला० के सिवा कोई पैग़म्बर सब इन्सानौं कि हिदायत करने पर मामूर नहीं था।

फ़स्ल: सरकारे आलम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्ला० की नबुव्वत के बयान में। आँहज़रत सल्ला० नबुव्वत का दावा करने से पहले उन अख़लाक़े हमीदा से मौसूफ़ थे जो अजनासे फ़ज़ाइल (प्रतिष्ठा की क़िस्में) हैं यानि हिकमम (बोध), इफ़्फ़त (सतीत्व), शुजाअत (शूरता) अदालत (न्याय)। अगरचे कि अरब की क़ौम जाहिल और उम्मी (अशिक्षित) थी लेकिन आप के उस शुभ सदव्यवहार की शैदा थी। आप को अत्यंत सभ्य, सच्चा और अमीन (न्यास धारी) समझती थी। आपकी सहानुभूति और दया अरब क़बाइल में मश्हूर थी इसी तरह आपकी तहारत (पवित्रता) और परहेज़गारी (संयमता) का भी सब को एतिराफ़ था। जब आपको अल्लाह तआला ने वही की और आप नबी होगये तो अल्लाह तआला ने आप सल्ला० को फ़र्माया *वन्ज़िर अशीर तकल अक़रबीन (अश-शुअरा-२१४)* यानि तो अपने नज़दीक के रिश्तेदारौं को अल्लाह तआला की तरफ़ से धमकी दे और उनको अल्लाह तआला की तरफ़ बुला। रसूलुल्लाह सल्ला० ने सफ़ा पर चढ़कर अपनी क़ौम को पुकारा जब सब हाशमी हाज़िर हुवे आपने उनसे फ़र्माया कि मैं अल्लाह तआला की तरफ़ से नज़ीर (डराने वाला) हूँ अगर तुम मेरा कहा मानोगे तुमको अल्लाह तआला अज़ाब से

बचादेगा। इस दावे से अरब मुन्तशर होगये और आपको बुराभला कहकर चले गये।

उलमा ने बयान किया है कि आपने नबुव्वत का दावा किया और तलब पर मोजिज़ात ज़ाहिर किये और यह दोनों ख़बरें मुतवातिर हैं उनकी तस्दीक़ फ़र्ज़ है। आप के सब मोजिज़ौं में क़ुरआने मजीद ज़बरदस्त मोजिज़ा है। नाज़िल होने के समय से अब तक इस्लाम के विरोधियों ने उसके खंडन की कोशिषें कीं लेकिन वे असफल रहे और क़ुरआने मजीद के दावे *फ़ातु बिसूरतिम मिम मिसलिहि वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुन्तुम सादिक़ीन (अल-बक़रह-२३)* के बाद भी उन से यह नहोसका कि एक मुख़तसर आयत ऐसी पेश करते जिसकी फ़साहत और बलाग़त क़ुरआने मजीत की फ़साहत और बलाग़त से मुआरिज़ा कर सकती। इस महान मोजिज़े के आलावा दूसरे मोजिज़ात और एक कटोरे भर पानी से एक बड़े क़ाफ़ले का सैराब होजाना वग़ैरह इस क़दर सादिर हुवे हैं कि उनके क़दरे मुशतरिक का तवातुर साबित होता है। पस आपकी दावत और आप से मोजिज़ात का सुदूर आपके नबी होने पर वाज़ेह दलील है।

फ़स्ल: रसूलुल्लाह सल्ला० आम अफ़रादे इन्सान की हिदायत के लिये भेजे गये थे, चुनांचे अल्लाह तआला फ़र्माता है *वमा अर्सलनाक इल्ला काफ़्फ़तन लिन्नास (सबा-२८)* बल्कि आप जिनौं और इन्सानौं की हिदायत के लिये भेजे गये थे चुनांचे रसूलुल्लाह सल्ला० ने फ़र्माया है *बअसतु इलल अहमर वल असफ़र* बल्कि सूरा जिन्न भी दलालत

करता है कि आँहज़रत सल्ला० जिनौं की हिदायत के लिये मबऊस हुवे हैं। इसी वजह से आपने उनको इस्लाम की तरफ़ बुलाया और उनमें से बाज़ौं ने आपकी तस्दीक़ की और मुसलमान होगये।

फ़स्ल: इस बयान में कि रसूलुल्लाह सल्ला० ख़ातिमुल अम्बिया हैं, चनांचे अल्लाह तआला फ़र्माता है *मा कान मुहम्मदुं अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमन् नबिय्यीन (अल-अहज़ाब-४०)* । इस आयते करीमा से आँहज़रत सल्ला० पर नबुव्वत का इख़तिताम (अंत) होगया और आपके बाद कोई शख़्य नबी नहोगा। जब हज़रत ईसा अले० तश्रीफ़ लाऐंगे तो आप की शरीअत पर जो ख़ातिमुश शराऐ है अमल करेंगे अगरचे आप नबुव्वत से माअज़ूल (अपदस्थ) नहीं मगर इस वजह से कि आप की शरीअत क़ुरआने मजीद के नुज़ूल के बाद मन्सूख़ (रद) होगई है। आप शरीअते मुहम्मदिया के ताबे रहेंगे, यही हातल हज़रत महदी अले० की है कि आप भी शरीअते मुहम्मदिया के ताबे ताम (पूर्ण अनुयायी) हैं।

यहूद का यह बयान कि शरीअते मूसा अले० हमेशा रहेगी सहीह नहीं है क्योंकि तौरात से यह साबित होता है कि अल्लाह तआला ने मूसा अले० को यह ख़बर दी है कि फ़ारान के पहाड़ों से एक नबी ज़ाहिर होगा और उसकी शरीअत आतशीन होगी। तौरात के पहले सफ़र में यह लिखा है कि हाजिरा की औलाद से एक बच्चा होगा जिसका हाथ सब अफ़रादे इन्सान के हाथौं पर होगा। इन लेखौं से मालूम होता है कि जो महान नबी हज़रत मूसा अले० के बाद पैदा

होगा फ़रान से ज़ाहिर होगा और वह साहबे शरीअत भी होगा और इस्माईल अले० की औलाद से होगा। यह इबारतें (लेख) यहूद के कथित बयान को झुटलाती हैं। अब बहस यह है कि मूसा अले० की शरीअत के साथ अबदी (अनंतकालीन) की क़ैद होगी या निश्चित समय की क़ैद होगी या कोई क़ैद नहोगी। अगर अबदी की क़ैद है तो ख़ुद तौरात की तकज़ीब (खंडन) लाज़िम आती है और अगर निश्चित समय की क़ैद है तौ कोई एतराज़ नहीं है और अगर मुतलक़ है तौ कथित बयान की बग़ैर दलील तक़ईद लाज़िम आती है। ग़र्ज यहूद का कथित बयान विश्वस्त नहीं है। हासिल यह है कि रसूलुल्लाह ख़ातिमुल अम्बिया हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं होगा और आपकी शरीअत हमेशा बाक़ी है।

फ़स्ल: इस बयान में कि आँहज़रत सल्ला० शाफ़ेअ (मुक्ति दिलाने वाले) हैं। अहादीसे सहीह से साबित है कि रसूलुल्लाह सल्ला० उन मोमिनीन की शफ़ाअत फ़र्माऐंगे जिन से बड़े गुनाह सादिर डुवे हों, चुनांचे आप ने फ़र्माया है *अदख़रतु शफ़ाअती लि अहलिल किबाइर मिन उम्मती*। मोतज़िल शफ़ाअते रसूल सल्ला० का इन्कार करते हैं और इस आयत से इस्तदलाल करते हैं *वत्तक़ू यौमन ला तज़्ज़ी नफ़सुन अन नफ़सिन शैऔं वला युक़बलु मिनहा शफ़अतुन (अल-बक़रह-४८)* । इसका जवाब यह है कि यह आयत कुफ़्फ़ार की शान में है आम नहीं है और अगर आम फ़र्ज़ की जाए तो अल्लाह तआला ने आँहज़रत सल्ला० से जो वादा फ़र्माया है *वलसौफ़ युअतीक रब्बुक फ़तरज़ा (अज़-ज़ुहा-५)* का ख़िलाफ़ लाज़िम आएगा क्योंकि इस आयत से यही साबित होता है कि अल्लाह जल्ल शानहु

आपकी इतनी दर्खास्तें क़ुबूल फ़र्माएगा कि आप ख़ुश होजाएंगे। अगर अल्लाह तआला अपाकी शफ़ाअत क़ुबूल नकरेगा तो ज़ाहिर है कि आप रंजीदा होंगे, इस लिहाज़ से *फ़तर्ज़ा* के मफ़हूम की मुख़ालिफ़त लाज़िम आती है। पस आयत *वत्तकु यौमन* की बतक़दीरे उमूम इस आयत से तख़सीस ज़रूर है।

फ़स्ल: आँहज़रत सल्ला० सब पैग़म्बरौं में अफ़ज़ल हैं और इसकी चंद वजहें हैं। पहली वजह यह है कि अल्लाह तआला फ़र्माता है *कुंतुम ख़ैर उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास (आले-इम्रान-११०)* । उम्मत की बेहतरी नबी की बुज़रगी पर दलालत करती है क्योंकि उनकी जो कुछ बेहतरी (उत्तमता) है नबी की तालीम और इर्शाद पर मौक़ूफ़ है, पस उनकी खैरियत उनके नबी की ख़ैरियत की वजह से है। जब रसूलुल्लाह सल्ला० की उम्मत सब उम्मतौं से श्रेष्ठ है तो रसूलुल्लाह सल्ला० का सब रसूलौं से श्रेष्ठ होना जूरूरी है। दूसरी वजह यह है कि इमाम फ़ख़रूद्दीन राज़ी ने मआलिम उसूले दीन में ज़िकर फ़र्माया है कि अल्लाह तआला ने अम्बिया के औसाफ़े हमीदा बयान फ़र्माने के बाद नबी सल्ला० को यह इर्शाद किया *ऊलाइकल्लज़ीन हदल्लाहु फ़बिहदाहुम इक़तदाहु। रसूलुल्लाह सल्ला० (अल-अनआम-९०)* ने सब ख़साइले हमीदा की जो अम्बिया अले० में थे इक़तदा की और उनके जामेअ होगये, पस जामेअ (व्यापक) उन लोगौं से अफ़ज़ल होता है जिनमें यह ख़साइल इकट्ठे नहीं है। तीसरी वजह यह है कि आपकी दावत सब अफ़रादे जिन्न व इन्स पर है पस उन पैग़म्बरौं से आप अफ़ज़ल है जिनकी दावत ऐसी आम नहीं है। चौथी वजह यह है कि

आप साहबे शफ़ाअत हैं और कोई नबी साहबे शफ़ाअत नहीं है, चुनांचे सहीह हदीसौं से साबित है कि पिछली उम्मतें जब अपनी शफ़ाअत की दर्ख़ास्त अपने अम्बिया से करेंगे तो वह यही जवाब देंगे कि तुम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्ला० की ख़िदमत में हाज़िर होजाओ। इन वुजूह से साबित है कि रसूलुल्लाह सल्ला० अफ़ज़लुल अम्बिय हैं।

फ़स्ल: मेराजे रसूलुल्लाह सल्ला० के बयान में। मक्का से बैतुल मुक़द्दस तक आपको मेराज हुवी है जो इस आयते करीमा से साबित है *सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मसजिदिल अक़सा (बनी-इमराईल-१)*। इतनी मेराज के मोतज़िला भी क़ाइल हैं। मसजिदे अक़सा से जो आस्मानौं पर मेराज हुवी है वह यही आयते करीमा से साबित है, चुनांचे हमाम फ़ख़रूद्दीन राज़ी ने मआलिम उसूले दीन में लिखा है कि मसजिदे अक़सा से जो आस्मानौं पर आपको मेराज हुवी है आयत *लतर्कबुन्न तबक़न अन तबक़िन* और हदीसे मश्हूर से साबित है। अहले सुन्नत का मज़्हब यह है कि रसूलुल्लाह सल्ला० को जागरुक हालत में और आप के पवित्र शरीर के साथ मेराज हुवी है और यही मज़्हब जम्हूर सहाबा रज़ीअल्लाहु अन्हुम का है मगर आइशा सिहीक़ा रज़ी० और मआविया रज़ी० को इस विषय में इख़तिलाफ़ है। अल्लामा तफ़ताज़ानी ने शर्ह अक़ाइद नसफ़ी में ज़िकर किया है कि हज़रत मआविया रज़ी० के क़ौल का हासिल यह है कि मेराज रूयाए सालिहा (नेक स्वप्न) है और हज़रत आइशा सिद्धीक़ा रज़ी० का यह क़ौल है कि मेराज जिसम से नहीं हुवी बल्कि रूह से हुवी है। जम्हूर सहाबा रज़ी० का यह मज़्हब नहीं है जो इन

सहाबियौं का है बल्कि जम्हूर का यह मज़्हब है कि आँहज़रत सल्ला० को पवित्र शरीर के साथ और बेदारी में मेराज हुवी है। अल्लामा तफ़ताज़ानी कहते हैं कि अगर मेराज सपने में या रूह से होती तो मुशरिकीन को इन्कार का ज़ियादा मौक़ा नहीं मिलता और न एक गुरोह मुसलमानौं का काफ़िर होजाता।

फ़लासिफ़ा इस बात के क़ाइल नहीं हैं कि आस्मान में ख़र्क़ (फाड़ना) और इलतियाम (क्षत पूर्ति) मुम्किन है इस लिये वे मेराज के क़ाइल ही नहीं हैं मगर जब उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि हर जिस्म में कौन व फ़साद (निर्माण और बिगड़ना) मुम्किन है और आस्मान को भी एक जिस्मानी मख़लूक़ स्वीकार किया है तो फिर उसमें निर्माण और बिगाड़, फटना और जुड़ना नहोने के क्या माना। इस ज़माने में हमको इन जवाबौं की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस ज़माने के फ़लसफ़ा में आस्मान का वजूद मुश्तबह है।

पाचंवाँ बाब

ख़िलाफ़त के बयान में

फ़स्लः अहले सुन्नत का यह मज़्हब है कि रसूलुल्लाह सल्ला० ने किसी सहाबी को अपना ख़लीफ़ा नहीं बनाया। अल्लामा इज़्दुद्धीन ने ''मवाक़िफ़'' में ज़िकर किया है कि किसी सहाबी के हक़ में ख़िलाफ़त की नस्स (निर्देश) नहीं है। अबू शुकूर सालमी ने ''तम्हीद'' में ज़िकर किया है कि सुन्नत वल जमाअत का यह मज़्हब है कि इमामत यानि ख़िलाफ़त किसी के हक़ में मन्सूस (निर्दिष्ट) नहीं है। अल्लामा तफ़ताज़ानी ने ''शर्ह मक़ासिद'' में ज़िकर फ़र्माया है कि हमारे अस्हाब यानि अहले सुन्नत और मोतज़िल और ख़वारिज का यह मज़्हब है कि नबी सल्ला० ने अपने बाद किसी पर नस्से ख़िलाफ़त (ख़लीफ़ा की नियुत्कि) नहीं की है। ''महसूल'' में इमाम फ़ख़रूद्दीन राज़ी ने ज़िकर फ़र्माया है कि अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ी० की इमामत के लिये बैअत के सिवाय कोई सबब नहीं है क्योंकि अगर अम्रे ख़िलाफ़त मन्सूस (ख़िलाफ़त का विषय निर्दिष्ट) होता तो बैअत पर उसका तवक़्क़ुफ़ (देर करना) ख़ता से ख़ाली न था पस बैअत ही इमामत के सुबूत के लिये सहीह तरीक़ा है। इन अक़वाल (कथन) से ज़ाहिर है कि रसूलुल्लाह सल्ला० ने किसी सहाबी को अपना ख़लीफ़ा नहीं बनाया पस बक़ौले इमाम राज़ी महाजरीन और अन्सार रज़ी० का अबूबक्र सिद्दीक़ रजी० से बैअत करना सबबे ख़िलाफ़त और इमामते सिद्दीक़ रज़ी० है। मख़फ़ी (गुप्त) न रहे कि अहले सुन्नत के पास ख़लीफ़ा का क़ाइम करना उम्मत पर वाजिब है

क्योंकि शरई अहकाम को लागु करना और सियासतौं का इजरा उसके बग़ैर मुम्किन नहीं है। शेआ कहते हैं कि ख़िलाफ़त और इमामत का क़ाइम करना अल्लाह पर वाजिब है।

फ़स्ल: अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ी० की ख़िलाफ़त के बयान में। अबू बक्र सिद्दिक़ रज़ी० की ख़िलाफ़त इज्माअ (सर्वसम्मति) से साबित है। ''अक़ाइद इज़्दी'' में लिखा है *सबतत् इमामतिहि बिलइज्माअ* इसका मुख़्तसर बयान यह है कि रसूलुल्लाह मल्ला० की वफ़ात के बाद सहाबा सक़ीफ़ए बनी साइदा में जमा हुवे, अन्सार ने मुहजिरीन से कहा कि मुनासिव है कि हम में से और तुम में से एक एक अमीर बनालिया जाए। अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ी० ने फ़र्माया कि हम में से उमरा होंगे और तुम में से *वुज़रा* (मंत्री) और इस पर हदीसे रसूलुल्लाह सल्ला० से इस्तिदलाल फ़र्माया *अल अइम्मतु मिनल क़ुरेश* यानि अइम्मा सब क़ुरेश होंगे। इसके बाद सहाबा ने अबू ब्रक रज़ी० की तरफ़ मुराजअत (प्रवृत्ति) की और इज्माअ किया कि आप ख़लीफ़ा है और इसी पर सब सहाबा ने आप से बैअत की और अली रज़ी० ने भी कुछ देर के बाद अला रूऊसुल अश्हाद आप से बैअत की। अबू बक्र रज़ी० का लक़ब ख़लीफ़ए रसूलुल्लाह था।

फ़स्ल: उमर फ़रूक़ रज़ी० की ख़िलाफ़त के बयान में। अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ी० ने दो वर्ष चर महीने या दो वर्ष छे महीने ख़िलाफ़त की है और फिर आप बीमार होगए। जब आपको अपने जीने की उम्मीद न रही तो हज़रत उस्मान रज़ी० को बुलाया और उमर फ़ारूक़

रज़ी० के लिये ख़िलाफ़ल नामा लिखदिया जिस का यह मज़्मून है - बिस्मिल्ला हिर्रहमानिर्र-हीम ये अबू बक्र बिन क़हाफ़ा का दुनिया में आख़री ज़माना है और आलमे आख़िरत में दाख़िल होने का पहला ज़माना है। यह वह ज़माना है जिसमें काफ़िर मोमिन होजाता है और गुनहगार तौबा करता है। मैं ने उमर बिन अलख़त्ताब को अपना ख़लीफ़ा बनाया है, अगर उमर अदल (न्याय) करेंगे तो मेरा् गुमान भी यही है और अगर वह ज़ुलम करेंगे तो उनका गुनाह उनही पर है मगर मैं ने भलाइ चाही है और ऐबदां नहीं - व सयालमुल लज़ीन ज़लमू अय मुनक़लिबु यनक़लिबून जब यह तहरीर लिखदी उस पर मुहर की। फिर यह तहरीर बाहर लाई गइ और सहाबा रज़ी० से कहा गया कि इस काग़ज़ पर जिसका नाम है उस से बैअत करनी चाहिये। हज़रत अली रज़ी० के सामने भी यह पत्र लाया गया। आपने फ़र्माया अगर उमर का नाम भी इस काग़ज़ में है तो हम ने बैअत की है। फिर सहाबा ने उमर रज़ी० के हाथ पर बैअत की और आपकी ख़िलाफ़त पर इत्तफ़ाक़ होगया।

उमर फ़ारूक़ रज़ी० ने दस वर्ष ख़िलाफ़त की है और अत्यधिक न्याय और संयम से आपकी ख़िलाफ़त का ज़माना पूरा हुवा। ज़िल हज्ज २३ हिज्री में अबूलूलू मुग़ेरह बिन शअबा के ग़ुलाम ने आपको शहीद किया। *इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजेऊन्*।

फ़स्ल: उस्माने ग़नी रज़ी० की ख़िलाफ़त के बयान में। जब उमर फ़ारूक़ रज़ी० ज़ख़्मी हुए और अपनी शहादत से विज्ञप्त हुए फ़र्माया

कि ख़िलाफ़त के मुस्तहक़ वही लोग हैं जिन से रसूलुल्लाह सल्ला० अपने ज़मानए वफ़ात तक राज़ी थे। फिर आपने उस्मान, अलीयुल मुर्तज़ा, ज़ुबेर, तल्हा, अब्दुर्रहमान बिन औफ़ और सअद इब्ने अबी वक़्क़ास रज़ी० का नाम लिया और फ़र्माया कि परामर्श के बाद तुम में से कोई एक शख़्स ख़लीफ़ा बन जाए। उमर रज़ी० के दफ़न के बाद इन अस्हाब ने मश्वरह किया और सबकी राय हुवी कि हम अब्दुर रहमान बिन औफ़ रज़ी० के हुक्म से राज़ी हैं। अब्दुर रहमान बिन औफ़ रज़ी० ने उस्मान रज़ी० को चुना और सब रहाबा रज़ी० के सामने आप से बैअत करली, फिर सब सहाबा ने हज़रत उस्मान रज़ी० से बैअत की।

फ़स्ल: अलीयुल मुर्तज़ा रज़ी० की ख़िलाफ़त के बयान में। जब उस्मान ज़िन् नूरैन रज़ी० की शहादत हुवी मुहाजिरीन और अन्सार उस्मान रज़ी० की शहादत से तीन दिन या पाँच दिन के बाद जमा हुवे और हज़रत अली रज़ी० से ख़िलाफ़त क़ुबूल करने की दर्ख़ास्त की, हज़रत ने बहुत इन्कार के बाद यह दर्ख़ास्त स्वीकार की। हज़रत अली रज़ी० की शहादत आँहज़रत सल्ला० की वफ़ात की तारीख़ से तेईसवें वर्ष की इब्तिदा में हुवी और बाज़ौं का यह क़ौल है कि हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी० ने पाँच वर्ष छे महीने ख़िलाफ़त की है और आपकी शहादत के बाद हसन इब्ने अली मुर्तज़ा ने छ महीने पूरे किये उसके बाद ख़िलाफ़त की मुद्दत जो पूरे तीस वर्ष थी पूरी होगई क्योंकि आँहज़रत सल्ला० ने फ़र्माया है *अल ख़िलाफ़तु मिन बादी सलासून सनतं सुम्म तुसारू मलकं अज़ूज़ं*। इस हदीस से साबित होता है कि तीस वर्ष के बाद ज़मानए ख़िलाफ़त नहीं है

वल्कि ज़मानए इमारात है। बाज़ हदीसें इस बात पर दलालत करती हैं कि आँहज़रत सल्ला० के बाद बारह ख़लीफ़े होंगे। इस सूरत में उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ और दूसरे बाज़ ख़ुलफ़ाए बनी उमय्या की इमारात भी ख़िलाफ़त में दाख़िल होजाएगी। अल्लामा तफ़्ताज़ानी रहे० ने यह तावील की है कि तीस साला ख़िलाफ़त से मुराद वह ख़िलाफ़त है जिस को सुनने रसूलुल्लाह सल्ला० से किसी वजह से मुख़ालफ़त नहीं थी और यही ख़िलाफ़ते राशिदा है और उस हदीस से जिस में बाराह ख़लीफ़ौ का ज़िकर है यह मुराद है कि मुम्किन है कि उस ज़माने की ख़िलाफ़त में लोगौं की तबीअतें हवा व हवस (इच्छा और लाभ) की तरफ़ माइल होजायें। हासिल यह है कि इन ख़ुलफ़ा की ख़िलाफ़त राशिदा नहीं है बल्कि ख़िलाफ़ते राशिदा की मुद्दत तीस वर्ष है जो पहली हदीस में ज़िकर की गई है।

फ़स्ल: अहले सुन्नत के पास इमाम ख़लीफ़ा से आम है और शेआ कहते हैं कि इमाम ख़लीफ़ा से ख़ास है और बाज़ का यह कहना है कि ख़िलाफ़त और इमामत में इस वजह से कि अल्लाह की जानिब से नस्स की ज़रूरत नहीं कोई फ़र्क़ नहीं है।

फ़स्ल: ख़िलाफ़ते राशिदा के लिये अहले सुन्नत के पास इस्मत (सतीत्व)की शर्त नहीं है यानि ज़रूरी नहीं है कि ख़लीफ़ा माअसूम हो क्योंकि ऐसी शर्त लगाने के लिये कोई दलील नहीं है, लेकिन यह शर्त है कि क़ुरेशी हो और यह शर्त नहीं है कि अपने ज़माने के लोगौं से अफ़ज़ल हो क्योंकि ख़िलाफ़त और इमामत से अस्ली ग़र्ज़ यह है कि

ख़लीफ़ा अहकामे ख़ुदा को लागू करने और हुदूदे इस्लाम की हिफ़ाज़त करने की शक्ति रखता हो और मज़्लूम के साथ न्याय कर सकता हौ और राजनीतिक मामलात और शासन के उपाय में अच्छी महारत रखता हो, इन सिफ़ात का किसी शख़्स में मौजूद होना उसकी ख़िलाफ़त और इमामत के लिये काफ़ी है और मुम्किन है कि यह शख़्स उसके ज़माने के लोगौं से अफ़ज़ल नहो।

फ़स्ल: जब इमामत और ख़िलाफ़त के लिये इस्मत शर्त नहीं है तो हनफ़िय के पास किसी की ख़िलाफ़त और इमामत फ़िस्क़ (दुराचार) की वजह से बातिल नहीं हो सकती। शाफ़ईय का यह मज़्हब है कि इमाम इमामत से और क़ाज़ी क़ज़ाअत से दूराचार के कारण माज़ूल (पदच्युत) हो जाता है मगर अल्लामा तफ़ताज़ानी का यह क़ौल है कि शाफ़ईय की पुस्तकौं में यह है कि क़ाज़ी फिस्क़ की वजह से माज़ूल होगा और इमाम माज़ूल नही होगा क्योंकि उसके माज़ूल होने मे फ़ितना पैदा होने का ख़ौफ़ है।

फ़स्ल: अस्हाबे रसूलुल्लाह सल्ला० की शान में बे अदबी और गुस्ताख़ी फ़िस्क़ है क्योंकि आँहज़रत सल्ला० ने अपने अस्हाब रज़ी० की शान में मनाक़िबे आलिया (उत्तम वदंना) ज़िकर किये हैं चुनांचे फ़र्माया है कि मेरे अस्हाब की ताअज़ीम (सम्मान) करो क्योंकि वह तुमसे बेहतर हैं और यह भी फ़र्माया है कि तुम मेरे अस्हाब को गाली मत दो अगर तुम में से कोई शख़्स उहद के पहाड़ के मुवाफ़िक़ सोना ख़ुदा की राह में देगा तो उनके एक मुद्दु (एक नाप) और आधे मुद्दु का सवाब भी नहीं

पाएगा। सहाबा के दरमियान जो कुछ झग़ड़े या रक़ाबत हुवी है उनमें तावीलात अच्छी करनी चाहिये और उनसे नेक एतक़ाद रखना चाहिये। ग़रज सहाबा रज़ी० में किसी वजह से तान (कटाक्ष) करना जाइज़ नहीं है। मख़फ़ी नरहे कि सहाबा रज़ी० पर ऐसा तान जो दलाइले क़तइया के मुख़ालिफ़ है कुफ़्र है मसलं आइशा सिद्दीक़ा रजी० पर तुहमत (आरोप) क्योंकि यह तान उस आयते करीमा के ख़िलाफ़ है जिस से सिद्दीक़ा अफ़ीफ़ा की पवित्रता साबित होगई है, और अगर दलाइले क़तइया के मुख़ालिफ़ नहीं है तो फ़िस्क़ और बिदअते सईया है, लेकिन वह लोग जै सहाबा की तकफ़ीर करते हैं उन लोगौं के कुफ़्र में शक नहीं है क्योंकि उनकी यह तकफ़ीर आयत *वल्लज़ीन मअहु अशिद्दाऊ अलल कुफ़्फ़ार* (अल-फ़त्ह-२९) के मुख़ालिफ़ है।

यज़ीद पर लाअनत करने में इख़तिलाफ़ है। हनफ़िय ने यह पसंद नहीं किया है कि उसपर लअनत की जाए मगर शाफ़इय की पुस्तकौं से मालूम होता है कि उनके पास यज़ीद पर लाअनत करना जाइज़ है, चुनांचे अल्लामा तफ़ताज़ानी ने शर्ह अक़ाइदे नसफ़ी में इसकी तसरीह की है।

फ़स्ल: अहले सुन्नत का यह मज़्हब है कि रसूलुल्लाह सल्ला० के सहाबा में हज़रत अबू बक्र रज़ी० अफ़ज़ल हैं और आपके बाद हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी० और आप के बाद हज़रत उस्मान रज़ी० और आपके बाद हज़रत अलीयुल मुर्तज़ा रज़ी०। मुहाक़्क़िक़ दव्वानी ने ''शर्ह अक़ाइद जलाली'' में ज़िकर किया है कि इमाम मालिक रहे० से

मन्क़ूल है कि आपने अस्मान ज़िननूरैन रज़ी० और हज़रत अली रज़ी० की फ़ज़ीलत के विषय मे तसरीह नहीं की है कि उस्मान रज़ी० अली रज़ी० से अफ़ज़ल हैं या अली रज़ी० उस्मान रज़ी० से अफ़ज़ल हैं। इमामुल हरमैन ने बयान किया है कि ज़ने ग़ालिब (अकसर विचार) यही है कि अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ी० सब सहाबा से अफ़ज़ल हैं ओर उमर रज़ी० बाक़ी सहाबा से अफ़ज़ल हैं। मगर इस विषय में कि उस्मान रज़ी० अली रज़ी० से अफ़ज़ल हैं या अली रज़ी० उस्मान रज़ी०से अफ़ज़ल हैं उलमा के अक़वाल और ख़यालात मुतआरिज़ हैं। उबी बक्र बिन अबी हुज़ेमा से मन्क़ूल (उत्क) है कि हज़रत अली रज़ी० हज़रत उस्मान रज़ी० से अफ़ज़ल हैं। वाज़ेह हो कि अफ़ज़ल (सर्वोच्च) से मुराद वह शख़्स है कि उसको अल्लाह तआला के पास ज़ियादा सवाब मिले। इस से फ़ज़ीलते इल्मी या नसबी मुराद नहीं है।

फ़स्ल: ख़ुलफ़ाए राशिदीन रज़ी० के बाद वह सहाबा बुज़र्ग हैं जिन के जन्नती होने की ख़बर आँहज़रत सल्ला० ने दी है और यह कई सहाबी हैं, चुनांचे सहीह हदीसौं में ज़िकर किया गया है कि अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ी०, उमर फ़ारूक़ रज़ी०, उस्मान ज़िन नूरैन रज़ी०, अलीयूल मुर्तज़ा रज़ी०,तल्हा रज़ी०, ज़ुबेर रज़ी०, अब्दुर रहमान बिन औफ़ रज़ी०, साद बिन अबी वक़्क़ास रज़ी०, सईद बिन ज़ैद रज़ी० और अबू उबैदह बिन अलजर्राह रज़ी० जन्नती हैं। दीगर सहीह हदीसौं में रिवायत की गई है कि फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी० जन्नती बीबियौं में सर्दार हैं और यह भी रिवायत की गई है कि इमाम इसन रज़ी० और इमाम हुसेन रज़ी० अहले जन्नत युवकौं मे सर्दार हैं। मज़्कूरा सहाबा रज़ी० के अहले

जन्नत होने का एतक़ाद रखना चाहिये क्योंकि मुख़बिरे सादिक़ यानि रसूलुल्लाह सल्ला० ने उनके जन्नती होने की ख़बर दी है। अल्लामा इज़्दुद्दीन रहे० ने ''अक़ाइद इज़्दिया'' में बयान किया है कि अहले बैअते रिज़्वाँ और बदर की लड़ाई में जो लोग शरीक थे जन्नती हैं, उनके सिवा बाक़ी सहाबा रज़ी० का ज़िकर भलाइ से करना चाहिये।

ख़ातिमा: अल्लामा तफ़ताज़ानी ने ''शर्ह मक़ासिद'' में नबुव्वत और मलाइका के मबाहिस के बाद वली और करामते वली से भी बहस की है। हम भी इस मुख़तसर रिसाले में अल्लामा की तक़लीद करते हैं और इन दोनों विषयौं पर मुख़्तसर तक़रीर करते हैं।

फ़स्ल: वली वह शख़्स है जौ अल्लाह तआला की ज़ात व सिफ़ात का आरिफ़ और ताआते ख़ुदा में मश्ग़ूल हो। ख़ाहिशौं और लज़्ज़तौं और गुनाहौं से बचता रहे। हमेशा अल्लाह तआला का ज़िकर करे और मासिवल्लाह से नफ़रत करे। औलिया अल्लाह की शान में अल्लाह तआला ने क़ुरआने मजीद में फ़र्माया है कि ''औलिया अल्लाह तआला को कोई डर और ग़म नहीं है''। औलिया की विलायत का कमाल नबी सल्ला० की कमाले इत्तिबाअ पर निर्भर है। जिस ने आँहज़रत सल्ला० की पूरी इत्तिबाअ की वही कामिल है। आँहज़रत सल्ला० चूंकि मासूम हैं और आपकी मासूमियत क़तई है आपकी कामिल इत्तिबाअ उसी शख़्स से होसकेगी जो मासूम होगा क्योंकि ग़ैर मासूम से आप की इत्तिबाअ सख़्त कठिन है।

फ़स्लः अल्लमा तफ़ताज़ानी ने ''शर्ह मक़ासिद'' में ज़िकर किया है कि वली नबी का हम मर्तबा (तुल्य पद) नहीं हो सकता मगर बाज़ आरिफ़ीन का यह कहना है कि *अल विलायतु अफ़ज़लुन मिनन नबुव्वति*। इस क़ौल से यह बात ज़ाहिर होती है कि हर विलायत हर नबुव्वत से अफ़ज़ल है। यह बात ठीक नहीं है क्योंकि यह अदब के ख़िलाफ़ है इसकी तावील (स्पष्टी करण) करनी चाहिये और वह यह है कि विलायत से नबी की विलायत मुराद है इस तक़दीर पर उसके यह माना होजाऐंगे कि नबी की विलायत नबी की नबुव्वत से अफ़ज़ल है चुनांचे अल्लामा ने लिखा है *बल लाबुद्द मिनत तक़ईद वहुव अन्न विलायतुन नबी अफ़ज़लुन मिन नबुव्वतिहि*। अल्लामा ने इसकी वजह यह बयान की है कि नबुव्वते तशरीई मुनक़ते है क्योंकि आँहज़रत सल्ला० पर उस नबुव्वत का इख़तिताम (अंत) होगया और विलायत कभी मुनक़ते नहीं होती बल्कि यह क़यामत तक बाक़ी है पस उसका फ़ैज़ान अबदी (अनंतकालीन) है। अल्लामा ने इस क़ौल की जो तावील की है ''फ़ुसूस'' में शेख़ अकबर मुहियुद्दीन इब्ने अरबी ने भी यही तावील की है। शेख़ ने औलिया अल्लाह की शान में बहस करते हुवे ज़िकर किया है कि विलायत नबुव्वते आम्मा है और नबुव्वते तशरीई नबुव्वते ख़ास्सा है। शेख़ की तहरीर से मालूम होता है कि नबुव्वते ख़ास्सा का अंत है नबुव्वते आम्मा का अंत नहीं हुवा है। मालूम होता है कि शेख़ अकबर का यही क़ौल अल्लामा के बयान का माख़ज़ है।

फ़स्लः करामते औलिया अल्लाह हक़ है और इसकी दो वजहें हैं। पहली वजह यह है कि क़ुरआने मजीद से साबित है कि ज़करिया

अले० जब बैतुल मुक़द्दस में दाख़िल होते थे मर्यम अले० के पास खाने की चीज़ें देखते थे। जब आपने मर्यम अले० से पूछा कि यह रिज़्क तुम्हारे पार कहाँ से आया फ़र्माया कि अल्लाह तआल के पास से इनायत हुवा है, चुनांचे अल्लाह तआला क़ुरआने मजीद में फ़र्माता है *कुल्लमा दख़ल अलैहा ज़करिय्याअल मेहराब वजद इन्दहा रिज़्क़न्, क़ाला या मर्यमु अन्ना लकि हाज़ा क़ालत हुव मिन इन्दिल्लाह (आले-इम्रान-३७)*। इसके अलावा हज़रत आसिफ़ सिद्दीक़ की दुआ से बिलक़ीस का तख़्त एक पलक मारने से भी पहले हज़रत सुलेमान अले० की बारगाह में हाज़िर होना क़ुरआने मजीद से साबित है, चुनांचे अल्लाह तआला फ़र्माता है *क़ालल लज़ी इन्दहु इलमुन मिनल किताबि अना आतीक बिहि क़ब्ल अय यरतद्द इलैक तरफ़ुक, फ़लम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन इन्दहु क़ाल हाज़ा मिन फ़ज्लि रब्बी (अन-नमल-४०)*। वाक्य *क़ालल लज़ी इन्दहु* से हज़रत आसिफ़ सिद्दीक़ मुराद हैं यानि जिसको अल्लाह तआला ने तौरात का इल्म दिया था कहा मैं उस तख़्त को नज़र आँख की तरफ़ पलटने के पहले लाता हूँ। जब उस तख़्त को अपने सामने क़ाइम देखा तो कहा कि यह मेरे पर्वरदिगार के फ़ज़ल से है। इन दोनों आयतौं से साबित है कि सालिहीन से करामत सादिर होती है। दूसरी वजह यह है कि यह ख़बर मुतवातिर माअनवी है कि सहाबा रज़ी० और ताबईन रहे० और दीगर औलिया अल्लाह से बहुत सी करामतें सादिर हुवी हैं। हज़रत उमर रज़ी० ने मस्जिदे नबवी में ख़ुतबा पढ़ते हुवे उस इस्लामी सेना को देखा जो शहर नहावंद मे कुफ़्फ़ार से युद्ध करने के लिये तय्यार थी और ऐसी हालत में थी कि पराजय होजाती। आप ने फ़र्माया *या सारियतु अलजबल अलजबल*

यानि ऐ छोटे लश्कर तुम पहाड़ का सहारा लो, लश्कर (सेना) ने यह आवाज़ सुनी और पहाड़ का सहारा लेलिया और इस्लाम की विजय हुवी। ख़ालिद रज़ी० ने ज़हर पीकर पचालिया और ज़रर (हानि) नहीं हुवा। हज़रत अली रज़ी० से भी बहुत सी करामतें मश्हुर हैं। ग़र्ज़ यह एतक़ाद रखना कि औलिया से करामतें सादिर हुवी हैं हक़ (सत्य) है। मोतज़िला इसके मुनकिर हैं और उस्ताद अबू इस्हाक़ का भी यही मज़हब है, चुनांचे इमामुल हरमैन ने इसकी तसरीह की है।

फ़स्ल: इस अम्र में इख़तिलाफ़ है कि ख़वारिक़े आदात जो अम्बिया अले० से बतौर मोजिज़ा सादिर हुवे हैं मसलन दरया में रास्ता पड़जाना या मुरदे ज़िन्दा हो जाना बतौर करामत औलिया से सादिर होसकते हैं। बाज़ौं का यह कहना है कि नहीं सादिर होसकते और बाज़ौं का यह कहना है कि सादिर होसकते हैं। इस सूरत में मोजिज़े और करामत में तहद्दी और अदम तहद्दी का फ़र्क़ है।

छटा बाब

अज़ाबे क़ब्र और आख़िरत के बयान में

फ़स्ल: अज़ाबे क़ब्र के बयान में। अहले सुन्नत कहते हैं कि अज़ाबे क़ब्र हक़ है, चुनांचे अल्लाह तआला फ़र्माता है *अन्नारू युअरज़ून अलैहा ग़ुदूवन व अशीयं व यौम तंकूमुस्साअतु, उदख़िलू आल फ़िरऔन अशद्दल अज़ाब* यानि आले फ़िरऔन सुब्ह व शाम आग पर पेश किये जाऐंगे और क़यामत के दिन (उनको हुकम होगा) कि ऐ आले फ़िरऔन सख़्त अज़ाब में दाख़िल होजाओ। नीज़ अल्लाह तआला फ़र्माता है *ख्बना अमत्तना इसनतैन व अहययतना इसनतैन*। इस आयल से दो मर्तबा मरना और दो मर्तबा ज़िंदा होना साबित है। पहली मौत से मुराद वह है जो दुनिया में होती है और पहली मर्तबा ज़िंदा होने से क़ब्र में ज़िंदा होना मुराद है और दूसरी मौत से क़ब्र में मरना और दूसरी ज़िंदगी से हश्र में ज़िंदा होना मुराद है। इन दोनों आयतौं से क़ब्र में ज़िंदा होना और पहली आयत मे क़ब्र में अज़ाब होना साबित है। अज़ाबे क़ब्र के सुबूत में बहुत सी सहीह हदीसें रिवायत की गई हैं, चुनांचे आँहज़रत सल्ल० ने फ़र्माया है कि जब तुम में से कोई मरजाता है हर सुबह व शाम उसकी जो जगह है उसको दिखाइ जाती है, जो जन्नती है उसकी जगह जन्नत मे दिखाइ जाती है और जो दोज़ख़ी है उसकी जगह दोज़ख़ में दिखाई जाती है और उस से कहा जाता है कि क़यामत के दिन तक तेरा यह मक़ाम है। इस मज़्मून की बहुत सी हदीसें शर्ह सुदूर में जलालुद्दीन सुयूती ने लिखी हैं। इस हदीस से साफ़

ज़ाहिर है कि क़ब्र मे मैयित को आराम और राहत भी है और अज़ाब भी है, इन वक़तौं में उसको यह एहसास भी रहता है कि राहत (सुख) में है यह अज़ाब में। पस क़ुरआने मजीद और हदीसे शरीफ़ से मैयित का क़ब्र में राहत पाना या अज़ाब में रहना साबित है और इसी वजह से राहते क़ब्र या अज़ाबे क़ब्र पर ईमान लाना फ़र्ज़ है क्योंकि अकसर चीज़ें ऐसी हैं कि उनका इल्म सिर्फ़ आँहज़रत सल्ला० को दिया गया है या नबी सल्ला० ने उनको अपनी आँख से देखा है मसलन दोज़ख़ और जन्नत बग़ैरह। उस इल्म या अपने मुशाहदे की आँहज़रत सल्ला० ने अपनी अम्मत को ख़बर दी है। चूंकि नबी सल्ला० मासूम और मुख़बिरे सादिक़ हैं आपकी हर ख़बर की तस्दीक़ ज़रूरी है और उसका इन्कार कुफ़्र है ख़ुसूसं जब रसूलुल्लाह सल्ला० की किसी ख़बर का सुबूत तवातुर से हुवा हो, मसलन् यही हदीसें जो अज़ाबे क़ब्र और राहते क़ब्र पर दलालत करती हैं उनका क़द्रे मुशतरक मुतवातिर है। उसूले फ़िक़ह में यह अम्र साबित हुवा है कि हदीसे मुतवातिर का इन्कार कुफ़्र है मगर ख़बरे वाहिद का इन्कार इस वजह से कुफ़्र नहीं है कि रावियौं की जानिब से उस में ज़न (भ्रम) पैदा होगया है और इस वजह से नहीं है कि वह ख़बरे रसूल है। ग़र्ज़ जो लोग अज़ाबे क़ब्र का इन्कार करते है वह मुल्हिद (धर्म भ्रष्ट) हैं। हम ने रिसाला अलहयात बादल ममात में इस मसअले की बहुत तौज़ीह की है। इस रिसाले में इसी बयान पर इक्तिफ़ा करते हैं।

फ़स्लः मुन्किर व नकीर के सवाल के बयान में। मैयित से नकीरैन का सवाल करना हक़ है। हदीसे सहीह में मर्वी है कि नबी सल्ला० ने

फ़र्माया है जब क़ब्र में मौयित रखी जाती है तो दो काले फ़िरिश्ते उसके पास आते हैं, एक को मुन्किर और दूसरे को नकीर कहते हैं। यह दोनों फ़िरिश्ते मैयित से पूछेंगे कि तुम इस शख़्स के हक़ में कया कहते हैं। अगर मैयित मेमिन है तो यह कहेगी कि यह अल्लाह तआला के मक़बूल बन्दे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्ला० हैं। मैं अल्लाह तआला को एक और मुहम्मद को रसूलुल्लाह जानता हूँ और उसकी तस्दीक़ करता हूँ। यह दोनों फ़िरिश्ते कहेंगे कि हम को तुम से यही उम्मीद थी फिर उसकी क़ब्र सत्तर गज़ कुशादा और रौशन होजाएगी और उसको कहा जाएगा कि अब तुम सोजाव। मौयित कहेगी कि क्या मैं अपने अहल के पास जाऊं और उनको यह ख़बर देदूँ। फ़िरिश्ते कहेंगे कि तुम अरूस की तरह सोजाव जब तक कि तुम को अल्लाह तआला इस ख़ाब से उठादे। अगर वह (मैयित) मुनाफ़िक़ है तो यह जवाब देगा कि मैं लोगौं से उस शख़्स के बारे में जो बात सुना हूँ ख़ुद यही कहा करता था। फ़िरिश्ते कहेंगे कि हमको तुझ से यही कहने की उम्मीद थी। फिर ज़मीन को हुक्म दिया जाएगा कि मिलजाए वह मिलजाएगी, उस मैयित की पसलियाँ आपस में मिल जाऐंगी और हमेशा अज़ाब में रहेगा जब तक कि अल्लाह तआला उसको क़ब्र से उठाए। इबाई और बलख़ी ने मुन्किर और नकीर के अस्मा का इन्कार किया है और मुन्किर से काफ़िर की ज़बान का लड़खड़ाना और नकीर से फ़िरिश्तौं की धमकी मुराद ली है। यह तावील ज़ाहिर अलाफ़ाज़ की मुख़ालिफ़ है।

अज़ाबे क़ब्र और सवाले मैयित से ज़रार बिन अम्र और बशर मरीसी और अकसर मुताख़िरीन मोतज़ला और शेआ ने इन्कार किया

है और सरीह हदीसौं मे बेसूद (व्यर्थ) तावीलें की हैं जो लग़्व और बातिल हैं।

फ़स्ल: इमाम नज्मुद्दीन नसफ़ी रहे० ने अक़ाइद में ज़िकर फ़र्माया है कि ज़िंदौं की दुआ और सदक़े से मैयितौं को नफ़ा होता है। इस विषय में सहीह अहादीस मौजूद हैं और साबित करते हैं कि दुआ और सदक़े से मैयित के लिये नफ़ा है ख़ुसूसं नमाज़े जनाज़ा से जो कुछ नफ़ा मैयित को पहुंचता है क़ुरआने मजीद से साबित है कि आपकी नमाज़ से अमवात के लिये सुकून और इत्मेनान है। हदीस शरीफ़ में है जिस मैयित पर सौ मुसलमानौं की जमाअत नमाज़ पढ़े और उस मैयित की शफ़ाअत और दुआ करें तो उनकी दुआ क़ुबूल होती है। साद बिन इबादा रज़ी० ने रसूलुल्लाह सल्ला० से पूछा कि मेरी माँ मरगई है उसके लिये कौनसा सदक़ा अफ़ज़ल है, आपने फ़र्माया पानी। साद ने कुवाँ खदाया और कहा कि इसका सवाब साद की माँ को पहुंचे। इन हदीसौं के अलावा बहुत सी हदीसें इस विषय में रिवायत की गई हैं जिन से यह साबित होता है कि मौयित के लिये दुआ और सदक़ा (दान) लाभ दायक है। इस विषय में अगर कुछ इख़तिलाफ़ है तो मोतज़ला को है मगर जमहूर अहले सुन्नत का यह मज़्हब है कि दुआ लाभ दायक है और अल्लाह तआला मुजीबुद दाअवात (प्रार्थना स्वीकार करने वाला) और क़ाज़ीउल हाजात (ज़रूरतें पूरी करने वाला) है चुनांचे अल्लाह तआला फ़र्माता है कि तुम मुझ से दुआ करो मैं उसको स्वीकार करूंगा और फ़र्माता है कि दुआ करने वाले की दुआ स्वीकार करता हूँ जब वह मुझ से दुआ करता है पस दुआ करने वालौं को

चाहिये कि मुझ से दुआ की क़बूलियत चाहें और मुझ पर ईमान लाऐं शायद कि वे राह पर आऐं। इन आयात से मालूम होता है कि अल्लाह तआला दुआ को क़बूल फ़र्माता है मगर दुआ की क़बूलियत लाज़िमी नहीं है सिर्फ़ अल्लाह तआला के फ़ज़ल (अनुकम्पा)पर निर्भर है। अगरचे इन आयतौं में दुआ की क़बूलियत का वादा है मगर यह वादा इस्तिजाबत (स्वीकृति) पर निर्भर है और इस्तिजाबत से मुराद यह है कि दुआ करने वाला तक़वा (संयम), ख़ुलूसे निय्यत, हुज़ूरे क़ल्ब और ख़ुशू व ख़ूज़ू (नम्रता) से मौसूफ़ हो और इन सिफ़ात का जमा होकर दुआ के समय मौजूद होगा कठिन है इस लिये अकसर दाईयौं की दुआ स्वीकार नहीं होती।

फ़स्ल: अश्राते क़यामत के बयान में। अल्लामा सादुद्दीन तफ़ताज़ानी ने शर्ह मक़ासिद में ज़िकर किया है कि क़यामत के पहले चंद चीज़ें ज़ाहिर होंगी। दाब्बतुल अर्ज़ निकलेगा, याजूज माजूज की क़ौम निकलेगी, सूर्य पश्चिम से निकलेगा, तीन ख़सफ़ होंगे, इल्म कम होजाएगा, अमानतदार न रहेगा, बदकारी और चोरी बढ़जाएगी, मर्द कम होजाऐंगे और औरतें ज़ियादा होजाऐंगी और तौबा का ज़माना न रहेगा। हुज़ैफ़ा बिन उसेद ग़फ़्फ़ारी रज़ी० से रिवायत है कि क़यामत का ज़िकर कर रहे थे कि आँहज़रत सल्ला० तश्रीफ़ लाए और फ़र्माया कि दस निशानियौं के ज़ाहिर होने के बाद क़यामत आएगी। दुख़ान (धुवां), दज्जाल, दाब्बतुल अर्ज़, पश्चिम से सूर्य का निकलाना, ईसा का नुज़ूल, याजूज माजूज् का निकलना, तीन ख़सफ़ यानि एक पूरब का ख़सफ़ दूसरा पश्चिम का ख़सफ़ तीसरा जज़ीरए अरब का खसफ़ और इन सब के बाद यमन से

आग निकलेगी और महशर की तरफ़ लोगौं को लेजाएगी। आँहज़रत सल्ला० ने यह भी फ़र्माया है कि इन निशानियौं में सब से पहले जो निशानी ज़ाहिर होगी वह यह है कि सूर्य पश्चिम से निकलेगा और दाब्बतुल अर्ज़ चाश्त के वक़त में निकल आएगा। आँहज़रत सल्ला० ने यह भी अलामाते क़यामत से फ़र्माया है कि क़यामत उस समय क़ाइम होगी जब कि फ़ासिक़ (पापी) क़बीले का सरदार होगा और क़ौम का अफ़सर अर्ज़ल (कमीना)। उलमा ने इन कथित विषयौं की तफ़सीर की है और बयान किया है कि दज्जाल से मुराद वह काफ़िर है जो लोगौं को गुमराही की तरफ़ बुलाएगा जो लोग उसकी इत्तिबाअ करेंगे काफ़िर होजाऐंगे, साहबे हुकूमत होगा सब कुफ़्फ़ार उसको अपना हाकिम समझेंगे, मोमिनीन को मज्बूर करेगा कि उसपर ईमान लाऐं जब वह इन्कार करेंगे तो उनको क़तल करेगा, मोमिनीन पर यह सख़्त परीक्षा का समय है। अल्लाह तआला हर मोमिन को इस बला से बचाए। उस काफ़िर के क़तल के लिये हज़रत ईसा अले० आस्मान से उतरेंगे और उस काफ़िर को क़तल करेंगे। इस घटना के बाद याजूज माजूज निकलेंगे। बाज़ौं का यह क़ौल है कि याजूज माजूज याफ़िस बिन नूह अले० की औलाद से हैं और बाज़ौं का यह कहना है कि यह बनी आदम हैं, उनमें से बाज़ तवीलुल क़ामत (दीर्घाकार) हैं और बाज़ पस्त (बौने) हैं। यह क़ौम जब निकलेगी हैवानात और नबातात को खाजाएगी। यह क़ौम बहुत कसीरूत तेदाद (अधि संख्या) है सब ज़मीन वीरान करदेगी मगर मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा और बैतुल मुक़द्दस पर उनका उबूर नहोगा अंत में यह बीमार होकर सब के सब मर जऐंगे फिर पक्षी उनको उठाकर दर्या में फेकं देंगे, फिर वर्षा होगी और ज़मीन धोदी जाऐगी।

हदीस शरीफ़ मे ज़िकर किया गया है कि दज्जाल के क़तल के बाद ईसा अले० सात वर्ष जीवित रहेंगे। हज़रत ईसा अले० के ज़माने में सब उम्मते रसूलुल्लाह में दोस्ती और मुहब्बत रहेगी फिर ठंडी हवा चलेगी और सब मोमिन मर जाऐंगे और बुरे लोग बाक़ी रहजाऐंगे उनही लोगौं पर क़यामत आएगी और उनही के ज़माने में सूर फूंके जाऐंगे।

अल्लामा तफ़ताज़ानी ने इस फ़स्ल में ज़िकर किया है कि महेदी अले० का आना और ईसा अले० का उतरना भी अश्राते क़यामत से है और बयान किया है कि महेदी अले० फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी० की औलाद से हैं। चुनांचे अल्लामा रहे० की यह इबारत है *फ़ज़हबल उलमा इला अन्नहु इमामुन आदिलुन मिन वलदि फ़ातिमा रज़ी० यख़लुकुहुल्लाहु तआला मता शाअ व यबअसुहु नुसरतन लिदीनिहि* अल्लामा ने इस लेख में चंद विषय बयान किये हैं। पहला अम्र यह है कि महेदी इमाम आदिल है। दूसरा अम्र यह है कि महेदी फ़ातिमा रज़ी० की संतान हैं। तीसरा अम्र यह है कि महेदी के आने का कोइ ज़माना मुऐयन (निश्चित) नहीं है बल्कि अल्लाह तआला की मशीयत (ईश्वरेच्छा) पर आपका प्रकटन निर्भर है। चौथा अम्र यह है कि आप नासिरे दीने रसूलुल्लाह सल्ला० हैं और उसी ख़िदमत के लिये आपकी बेअसत है। पांचवाँ अम्र यह है कि अल्लामा ने जो कुछ इस लेख में ज़िकर किया है वह अल्लामा की राय नहीं है बल्कि यह क़ौल उलमाए मुतक़द्दिमीन (पूर्व विद्धानौं) का सर्व मान्य है।

बाज़ सहीह इदीसौं से यह भी साबित है कि महेदा ख़लीफ़तुल्लाह हैं चुनांचे सुनन् इब्ने माजा में यह रिवायात मौजूद है और यह भी साबित है कि महेदी अले० दाफ़े हलाकते उम्मत हैं। मिश्कात शरीफ़ मे रिवायत की गई है *कैफ़ तहलुक उम्मती अना फ़ी अव्वलिह व ईसा फ़ी आख़रिहा वल महेदी मिन अहले बैती फ़ी वसतिहा*। इस हदीस से यह बात भी साबित है कि हज़रत महेदी अले० का आना हज़रत ईसा अले० के पहले है। चूंकि अल्लामा ने बेसते महेदी को अश्राते क़यामत में ज़िकर किया है इसलिये हमने भी यहाँ ज़िकर कर दिया है।

फ़स्लः इमाम राज़ी ने मआलिम उसूले दीन में ज़िकर किया है कि इस अम्र पर ईमान वाजिब है कि ज़मीन और आस्मान एक दिन ख़राब होजाऐंगे इसके यह माना हैं कि उनकी तर्कीब बिगड़ जाएगी और उनमें फ़साद (विकार) वाक़े होजाएगा। इस पर दलील यह है कि सारे अज्साम मुतमासिल (समरूप) हैं और शरीर के ख़वास (गुण) से यह भी है कि काईन (अस्तित्वात्मक) और फ़ासिद (खराब करने वाला) हो तो ज़रूर है कि आस्मानी अज्साम भी काइन और फ़ासिद हों। अल्लाह जल्ल शानहु ने क़ुरआने मजीद में यह ख़बर दी है कि एक दिन ज़मीन और आस्मान की व्यवस्था बिगड़ जाएगी, चुनांचे फ़र्माता है *यौम नतविस समाअ कतैयिस सिजिल्लि लिलकुतुबि* और यह भी फ़र्माता है *इज़स्समाउन फ़तरत वइज़ल कवाकिबुन तसरत* और यह भी फ़र्माता है *इज़ा ज़ुलज़िलतिल अरज़ु ज़िलज़ालिहा व अख़रज़तिल अरज़ु असक़ालहा* और यह भी फ़र्माता है *वइज़ल जिबालु सुय्यिरत* और फ़र्माता है *व तकूनुल जिबालु कलएहनिल मन्फ़ुश* और फ़र्माता है

वाइज़ल बिहारू सुज्जिरत यानि आस्मान टुकड़े होकर उड़जाएगा और सितारे बिखर कर गिर पड़ेंगे, ज़मीन में सख़्त भोचंल होंगे और अपने छिपे हुवे बोझौं को बाहर निकाल देगी और पहाड़ अपनी जगह से हिल जाऐंगे और धुन्के हुवे पश्म (ऊन) के समान हो जाऐंगे, यही माना जगत की व्यवस्था के बिगड़ जाने के हैं। यह सब ख़राबी हवाई तूफ़ान की वजह से होगी क्योंकि इस वायुमंडल में अल्लाह जल्ल शानहु के हुक्म से एक ऐसी उग्र शक्ति होगी जो ज़मीन और आस्मान के रग पट्ठौं को तोड़ मरोड़ देगी और सब अज्ज़ा को बिखेर देगी और सब तूफ़ान सूर फूकंने की वजह से होगा जिसके फूकंने वाले हज़रत इसराफ़ील अले० हैं। अल्लाह जल्ल शानहु क़ुरआने मजीद में फ़र्माता है *फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस सूरि नफ़ख़तुं वाहिदतुं व हुमिलतिल अर्जु वल जिबालु फ़दुक्कता दक्कतंव वाहिदतं, फ़यौमइ ज़िन वक़अतिल वाक़िआ (अल-हाक़्क़ा-१३)।*

इस आयते करीमा से अल्लाह तआला की शाने जब्रूत (सर्वशाक्तिमान होना) ज़ाहिर होती है कि जब हज़रत इसराफ़ील को सूर फूंकने के आदेश देगा तो आप के एक मर्तबा के फूंकने में हवा का तूफ़ान इस सन्नाटे के साथ होगा कि उस से सब काइनात बिगड़ जाऐगी और *लिमनिल मुल्क* की आवाज़ आने लगेगी और ख़ुद ज़ाते बारी तआला ही से जवाब मिलेगा *लिल्लाहिल वाहि दिल क़हहार* यानि सब मुल्क और मलकूत उसी माबूद के लिये है जो बड़ा क़ाहिर और ग़ालिब है।

फ़स्ल: मआदे जिस्मानी (शारीरिक पुनर्जीवन) के बयान में। इस से पहली फ़स्ल में बयान किया गया है कि ज़मीन और आस्मान की हालत बदल जाएगी और सूरत बिगड़ जाएगी, आस्मान टूट जाएंगे, सितारे गिर जाएंगे, दर्या सूख जाएंगे, पहाड़ अपनी जगह से हिल जाएंगे और टुकड़े टुकड़े होजाऐंगे, ग़र्ज़ दुनिया ख़राब होजाएगी। इसके बाद अल्लाह जल्ल शानहु की रहमत को फिर जोश होगा और दूसरा सूर फूंका जाएगा और फिर वह आलम जो फ़ना होगया था पैदा होजाएगा और सब मुर्दे अपनी अपनी क़ब्रों से उठ जाएंगे, इसका यह अर्थ हैं कि अल्लाह तआला शरीर के अस्ली अजज़ा जमा फ़र्माएगा और उनकी रूहें जुस्सौं (शरीर) में दाख़िल की जाऐंगी। हश्रे जिस्मानी तीन चीज़ौं पर निर्भर है, पहला यह है कि अस्ली शरीर का दुबारा पैदा होना मुम्किन हो। दूसरा यह है कि अल्लाह तआला सब मुम्किन चीजौं को पैदा करने पर क़ादिर है। तीसरा यह है कि अल्लाह तआला सब जुज़्इयात का आलिम है। जब यह तीनों चीज़ें साबित हैं तो हश्रे जिस्मानी भी साबित है। पहले अम्र का बयान यह है कि अब्दाने अस्ली (मौलिक शरीरौं) का इआदा (पुनर्जीवित करना) संभव है क्योंकि हुकमा अज्साम के फ़ना के क़ाइल नहीं हैं बल्कि उन्होंने यह इक़रार किया है कि हर जिस्म काइन व फ़ासिद है और यह नहीं कहा है कि हर जिस्म काइन व मादूम है। पस अब्दाने अस्ली के इआदे से मादूम का इआदा लाज़िम नहीं आता। हासिल यह है कि अल्सी अब्दान का इआदा अम्रे मुम्किन है। दूसरा अम्र तो सर्व मान्यता से साबित है कि अल्लाह तआला सब मुम्किन चीज़ौं के पैदा करने पर क़ादिर है। तीसरा अम्र भी साबित है यानि अल्लाह तआला सब जुज़्इयात का

आलिम है क्योंकि अगर अल्लाह तआला जुज़इयात का आलिम न होगा तो जहल लाज़िम आएगा *तआलल्लाहु अन ज़ालिका उलूवन कबीरा*। इसकी कुछ बहस हम ने इल्म के मसअले में की है देख ली जाए। जब अल्लाह जुज़्इयात का आलिम है तो इस बात पर क़ादिर है कि ज़ैद के शरीर के अंशौं को अमर के शरीर के अंशौं से अलग करे और हर एक की रूह को उसके विशिष्ट शरीर से जोड़दे। जब यह तीनों विषय प्रमाणित हैं तो हश्रे जिस्मानी प्रमाणित है। क़ुरआने मजीद और हदीसे शरीफ़ में हश्रे जिस्मानी की जो सूचना दीगई है एक संभव विषय की सूचना है और अक़ली दलील उसपर दलालत करती है। जब मुख़बिरे सादिक़ किसी संभव विषय के घटित होने की सूचना दे तो उसका घटित होना ज़रूरी है, पस हश्रे जिस्मानी का घटित होना ज़रूरी है।

फ़स्ल: सिरात के बयान में। अल्लाह तआल फ़र्माता है *व इन मिन्कुम इल्ला वारिदुहा*। मुफ़स्सिरीन कहते हैं कि *वारिदुहा* जो ज़मीरे मुअन्नस (स्त्री लिंग सर्वनाम) है अगरचे कि आग की तरफ़ फिरती है मगर अस से नरक का पुल मुराद है। यह एक पुल है जो नरक पर बनाया जाएगा और उस पर से सब आदमी गुज़रेंगे चाहे वह अंबिया हों या औलिया हों, मोमिन हों या काफ़िर। अहादीसे सहीहा में ज़िकर किया गया है कि यह पुल बाल से बारीक और तलवार से तेज़ है। उसपर से अंबिया अले० और औलिया अल्लाह बिजली की तरह गुज़र जाऐंगे। उनको कोई कठिनाई नहीं होगी और मोमिनीन भी अल्लाह के फ़ज़ल व रहमत से हवा की तरह गुज़र जाऐंगे मगर कुफ़्फ़ार उसपर से नहीं गुज़र सकेंगे और नरक में गिर पड़ेंगे। मोतज़िला सिरात (मार्ग)

का इन्कार करते हैं और उसके बजूद को बेकार समझते हैं, यह उनकी बेहूदगी है।

फ़स्ल: मीज़ान (तुला) के बयान में। अल्लाह तआला फ़र्मता हे *वल वज़्नु यौमइज़िनिल हक़्क़ु*। फिर अल्लाह तआला फ़र्माता है *फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिन राज़िया व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविय (अल-क़ारिया-६)* यानि जिनके नेक आमाल का बोझ भारी होगा तो वह मनोनीत सुख में होंगे लेकिन जिनका हलका होगा उनकी जगह नरक है। उस मीज़ान से मुराद यह है कि वह एक चीज़ है जिससे आमाल के मक़ादीर (मात्रा) मालूम हो जाते हैं। मोतज़िला मीज़ान का इन्कार करते है और बयान करते हैं कि आमाल शरीर नहीं हैं तो वह क्योंकर तोले जाऐंगे और अगर उनकी हक़ीक़त अल्लाह तआला को मालूम है तो फिर उनका तोलना अबस (निरर्थक) है। इसका जवाब यह है कि आमाल नामे (कर्मपत्र) तोले जाऐंगे और उनका तोलना मुम्किन है क्योंकि मुम्किन यह है कि उनकी ऐसी कोई ख़ास मीज़ान हो जो हमको मालूम नहीं है और आमिल (कर्मकर्ता) को उनके आमाल के वज़्न दिखाने से उसको सुकूत और सुकून होजाता है।

फ़स्ल: नामए आमाल (कर्म पत्र) के बयान में। हर शख़्स के हाथ में क़यामत के दिन उसका अमल नामा रहेगा। अल्लाह तआला फ़र्माता है *फ़अम्मा मन ऊतिय किताबहु बियमीनिहि फ़सौफ़ युहासबु हिसाबं यसीरन (अल-इंशिक़ाक़-८)*। यानि जिसके सीधे हाथ में अमल नामा दिया

जाएगा उसका हिसाब आसानी से होगा *व अम्मा मन ऊतिय किताबहु वराअ ज़हरिहि फ़सौफ़ यदऊ सुबूरंव व यसला सईरं (अल-इंशिक़ाक़-१०)* और जिसके हाथ में अमल नामा उसकी पीठ की तरफ़ से दिया जाएगा वह अपनी हलाकत को पुकारेगा और दोज़ख़ में दाख़िल होगा। मोतज़िला नामए आमाल का इन्कार करते हैं और कहते हैं कि नामए आमाल का बंदौं के हाथौं मे दिया जाना बेफ़ाइदा है। उनका यह ख़याल लग़्व है क्योंकि बंदौं के आमाल अगरचे कि बारी तआला के इल्म में मौजूद हैं मगर अल्लाह तआला ने क़यामत के फ़ैसलौं को भी उनही उसूल पर मौक़ूफ़ रखा है जो शरीअते रसूलुल्लाह में बताए गये हैं क्योंकि दोषी को ख़ामूश कराने और लाजवाब (अनुत्तर) करने के लिये इस से बेहतर कोई तरीक़ा नहीं है।

फ़स्ल: स्वर्ग और नरक के बयान में। अहले सुन्नत का यह मज़्हब है कि स्वर्ग और नरक अम्रे तकवीनी (सृष्टि) से पैदा होचुके हैं क्योंकि क़ुरआने मजीद में अल्लाह तआला ने उनके पैदा होने की ख़बर दी है चुनांचे फ़र्मता है *उइद्दत लिल मुत्तक़ीन* यानि स्वर्ग परहेज़गारौं के लिये तैयार की गई है और फिर फ़र्माता है *उइद्दत लिल काफ़िरीन* यानि नरक काफ़िरौं के लिये तैयार की गई है और आदम अले० का क़िस्सा जो क़ुरआने मजीद में कई जगह ज़िकर किया गया है जन्नत के पैदा होने पर वाज़ेह दलील है। मगर उन दोनों के सही स्थान के विषय में कोइ सरीह आयत मोजूद नहीं है हाँ अकसर अहले सुन्नत का यह मज़्हब है कि जन्नत सातों आस्मानौं के ऊपर और अर्श के नीचे है, चुनांचे अल्लाह तआला फ़र्माता है *इंद सिद्रतिल मुन्तहा इन्दहा जन्नतुल*

मावा (अन्-नज्म-१४,१५)। अहादीसे सहीहा से साबित होता है कि सिद्रतुल मुन्तहा सातवें आस्मान के ऊपर और अर्श के नीचे है और आँहज़रत सल्ला० ने फ़र्माया है कि अर्शे रहमान जन्नत की छत है।

जन्नत बड़ा वसीअ (विशाल) स्थान है उसकी चौड़ाइ आस्मानौं और ज़मीन की चौड़ाइ के समान है। अल्लाह तआला फ़र्माता है *व जन्नतिन् अर्ज़ुहा कअर्ज़िस समाइ वल अर्ज़ (अल-हदीद - २१)* । मोतज़िला कहते हैं कि जन्नत दोज़ख़ क़यामत के दिन पैदा होंगे क्योंकि अगर यह दोनों इस समय पैदा होचुके हैं तो उनका वजूद बेकार होगा क्योंकि जज़ा और सवाब (प्रत्युपकार) के पहले उनके वजूद की ज़रूरत नहीं है और यह कि जब जन्नत की चौड़ाइ आस्मानौं और ज़मीन के बराबर है तो जन्नत आस्मानौं और ज़मीन में नहीं रह सकेगी। पहले एतराज़ का जवाब दो वजहौं से है, पहली वजह यह है कि जन्नत और दोज़ख़ का इस समय मौजूद होना इस वजह से बेकार नहीं है कि मोमिन के लिये क़ब्र में जन्नत का दर्वाज़ा खोला जाता है और उसको जन्नत का सुख मिलता है और काफ़िर के लिये क़ब्र में नरक का दर्वाज़ा खोला जाता है और क़ब्र ही में अज़ाबे दोज़ख़ मिलता है इस लिये स्वर्ग और नरक का इस समय मौजूद होना ज़रूरी है। दूसरी वजह यह है कि अम्रे तकवीनी (सृष्टि के आदेश) यानि कलिमए *कुन* के साथ ही सब अज्सामे कौनी बिना किसी छूट के पैदा होगये हैं। क़ुरआने मज़ीद में कहीं यह ज़िकर नहीं किया गया है कि ज़मीनौं और आस्मानौं की पैदाइश तो कलिमए *कुन* से हुवी है मगर स्वर्ग और नरक उस से मुस्तसना (अपवादित) हैं, इस लिये मोतज़िला का यह

ख़याल ग़लत है और अहले सुन्नत ने जो बयान किया है सत्य है। दूसरे एतराज़ का जवाब यह है कि आस्मानौं से वह आस्मान मुराद हैं जो सातवें आस्मान के नीचे हैं और मुम्किन है कि सातवाँ आस्मान अपने नीचे के आस्मान से वसीअ हो।

फ़स्ल: जो लोग जन्नत में दाख़िल होंगे हमेशा जन्नत में रहेंगे और काफ़िर हमेशा दोज़ख़ में रहेंगे। जाहिज़ और अब्दुल्लाह अंबरी का यह मज़्हब है कि काफ़िर मुआनिद (विरोधी) को हमेशा अज़ाब होगा और जो काफ़िर विरोधी नहीं है उसको हमेशा अज़ाब नहीं होगा। जम्हूर अहले सुन्नत का बयान यह है कि जो शख़्स उलूहियत और रिसालत का इन्कार ख़ाह वह किसी वजह से करे काफ़िर और हमेशा आग में रहने वाला है और हमेशा अज़ाब में रहेगा चुनांचे क़ुरआने मजीद और अहादीसे सहीहा इसी पर दलालत करती है।

फ़स्ल: मुश्रिकीन के बच्चौं में इख़तिलाफ़ है। इमाम नुववी ने शर्ह मुस्लिम मे ज़िकर किया है कि मुश्रिकौं के बच्चे अहले जन्नत से हैं। मोतज़िला कहते हैं कि उनको अज़ाब नहीं होगा बल्कि वह अहले जन्नत के ख़ादिम हैं। मुहक़्क़िक़ दव्वानी ने शर्ह अक़ाइद में ज़िकर किया है कि जम्हूर अहले सुन्नत का यह मज़्हब है कि मुश्रिकीन के बच्चे दोज़ख़ी हैं। हज़रत ख़दीजा रज़ी० से रिवायत है कि मैं ने आँहज़रत सल्ला० से उन बच्चौं की हालत पूछी जो ज़मानए जाहिलियत में मरे थे तो आपने फ़र्माया कि वह दोज़ख़ी हैं। इमाम आज़म रहे० इस विषय में ख़ामोश रहे। इमाम मुहम्मद बिन हसन शीबानी रहे० ने फ़र्माया है

कि कोइ शख़्स गुनाह किये बग़ैर अज़ाब नहीं पाएगा। मुईनुद्दीन नसफ़ी ने अपने मोतक़द में ज़िकर किया है कि अहले सुन्नत का यह कहना है कि मुश्रिकीन के बच्चे अहले जन्नत के सेवक हैं चुनांचे मुल्ला अब्दुल हकीम सियालकोटी ने हाशिया शर्ह अक़ाइद जलाली में इसका ज़िकर किया है। हमारा यह ख़याल है कि यह कौल क़ुरआने मजीद के मुख़ालिफ़ है क्योंकि अल्लाह तआला ने फ़र्माया है *वत्तबअतहुम ज़ुर्रियतुहुम.... (अत - तूर - २१)* मुईनुद्दीन नसफ़ी का क़ौल सहीह नहीं है। हासिल यह हैं कि हनफ़िया ने इस विषय में निश्चित निर्णय नहीं किया है।

फ़स्ल: हौज़े कौसर के बयान में। अल्लाह तआला फ़र्माता है *इन्ना आतैनाकल कौसर* यानि ऐ मुहम्मद सल्ला० तुमको हमने कौसर दिया है। अहादीसे सहीह में ज़िकर किया गया है कि कौसर से मुराद एक हौज़ (जलाशय) है जिसकी मसाफ़त (अंतर) क़रीबं एक महीने की है, उसका पानी दूध से ज़्यादा साफ़ और शहेद से ज़्यादा मीठा है, उसका पानी मुश्क (कस्तूरी)से भी अधिक सुगंधित है। यह हौज़ जन्नत में है, उसके अतराफ़ में सितारौं से ज़्यादा कूज़े रखे हैं। अहले जन्नत उस हौज़ से सेराब किये जाऐंगे। जो शख़्स उस से एक बूदं पीलेगा उसको कभी प्यास नहीं होगी।

फ़स्ल: अहले जन्नत जन्नत मे अल्लाह तआला को देखेंगे चुनांचे अहले सुन्नत का यह मज़्हब है और फ़िक़्ह अकबर में जिसकी मुल्ला अली क़ारी ने शर्ह लिखी है ज़िकर किया गया है कि मोमिनीन जन्नत में

अपनी सर की आंखौं से अल्लाह तआला को बिला तश्बीह देखेंगे। मोतज़ला और शेआ अल्लाह तआला की रूयत के क़ाइल नहीं हैं और उन आयतौं और हदीसौं की जिनसे अल्लाह तआला की रूयत साबित होती है बेजा तावीलें करते हैं। चूंकि हमने साबिक़ में रूयते बारी तआला की संभावना को साबित किया है इसलिये दुबारा बहस नहीं करते।

इमाम अबू शुकूर सालमी ने तम्हीद में ज़िकर किया है कि मलाइका के लिये अल्लाह तआला की रूयत (दर्शन) साबित है और हूर व ग़ुलमान भी अल्लाह तआला की रूयत से मुशर्रफ़ हैं। हमारा यह ख़याल है कि इस विषय में कोई नस्से सरीह माजूद नहीं है और न इमाम अबू शुकूर ने किसी नस की तरफ़ इशारा किया है।

सातवाँ बाब

ईमान के बयान में

फ़स्ल: ईमान वह है कि अल्लाह तआला की तौहीद और नबुव्वत का दिल में एतक़ाद रखे और ज़बान से *अश्हदु अन लाइलाहा इल्ललाहु व अश्हदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसुलुहु* कहे और जिन उमूर को हम ने इस रिसाले के अब्वाब और फ़ुसूल में ज़िकर किया है उनका इज्माली एतक़ाद रखे और ज़बान से इक़रार करे और अगर उनमें से किसी एक चीज़ का इन्कार किया जाए तो कुफ़्र होगा। मसलं अगर किसी ने सानेअ मुख़तार (स्वाधीन सृष्टिकर्ता) का इन्कार किया या उसकी ज़ात और सिफ़ात में किसी को शरीक किया या नबुव्वत का इन्कार किया या उन उमूर का इन्कार किया जो ज़रूरियाते दीनी हैं या उन उमूर का इन्कार किया जिनपर इज्माअये क़तई हुवा है या हराम चीज़ों को हलाल जाना या हलाल को हराम समझ लिया तो काफ़िर होजाएगा और नीज़ जिस ने नुसूसे सरीहा (स्पष्ट प्रवचन) का खंडन किया काफ़िर है। इन के सिवाय अगर किसी अम्र का इन्कार करे मसलन बारी तआला की रूयत या क़ुरआने मजीद के मख़लूक़ और बारी तआला की जिस्मियत का इक़रार करे तो बिदअती होगा, चुनांचे शर्ह अक़ाइद जलाली में यही ज़िकर किया गया है।

फ़स्ल: ईमान की ज़ियादती और नुक़्सान के बयान में। हनफ़िया और शाफ़इया को इस विषय में इख़तिलाफ़ है। हनफ़िया बयान करते

हैं कि ईमान नफ़्से तस्दीक़ का नाम है और यह एक ऐसी हक़ीक़त है जिस में किसी तरह ज़ियादती और कमी नहीं होसकती। हनफ़िया कहते हैं कि जिसको हक़ीक़ते तस्दीक़ हासिल हो चाहे आज्ञ कारी हो या पापी, उसकी तस्दीक़ में परिवर्तन नहीं होता और उस में कमी या ज़ियादती भी नहीं होती। इस का हासिल यह है कि लोगौं के ईमान की मात्रा में विभेद नहीं है। यही हनफ़िया का मज़्हब है मगर वे इस बात को स्वीकार करते हैं कि ईमान क़वी (शक्ति शाली) और ज़ईफ़ (अशत्क) होता है। इसका यह अर्थ है कि लोगौं के ईमान में कैफ़ियत के एतबार से (अवस्थानुसार) विभेद होसकता है, अगर ऐसा ना होगा तो किसी एक शख़्स मसलन् ज़ैद का ईमान आँहज़रत सल्ला० के ईमान के मसावी हो जाएगा और यह निश्चित रूप से बातिल है। अल्लामा तफ़्ताज़ानी ने इस विषय में अत्यंत न्यायपूर्वक बहस की है। अल्लामा ने शाफ़ई होने के बावजूद इस विषय में ऐसी बहस की है जो एक मुहक़्क़िक़ (अन्वेषक) हनफ़ी के करने की थी। अल्लामा ने इस बहस से यह साबित करदिया है कि यह बहस लफ़्ज़ी है कि ईमान ज़ियादा है या कम है।

फ़स्ल: ईमान में अमल दाख़िल नहीं है क्योंकि क़ुरआने मजीद में ग़ौर करने से मालूम होता है कि अमल का ईमान पर अत्फ़ किया गया है, चुनांचे अल्लाह तआला फ़र्मता है *इन्नल्ज़ीन आमनू व अमिलूस सालिहात* और यह बात साबित है कि मातूफ़ और मातूफ़ अलैहि में मुग़ायरत (अस्वजनता) होनी चाहिये और यह भी मालूम होता है कि ईमान सिहते आमाल के लिये शर्त है, चुनांचे अल्लाह तआला फ़र्माता है *व मंय*

यामल मिनस सालिहाति व हुवा मोमिन। यह अम्र साबित है कि शर्त मश्रूत में दाख़िल नहीं होती पस अमल ईमान में दाख़िल नहीं होगा। यह भी मालूम होता है कि बाज़ आमाल के तर्क के बाद भी ईमान बाक़ी रहता है चुनांचे अल्लाह तआला फ़र्माता है *व इन ताइफ़तानि मिनल मोमिनीनक़ ततलू* इस आयत से साबित है कि अल्लाह तआला ने क़िताल करने वालों को मोमिनीन फ़र्माया है। अगर अमल ईमान का भाग होता तो भाग के मौजूद न होने से कुल यानि ईमान भी नहीं रहता। जब क़िताल और क़तल के बाद भी ईमान पाया जाता है तो यह साबित होगा कि अमल ईमान का भाग नहीं है। हासिल यह है कि मोतज़ला का अमल को ईमान का भाग कहना बातिल है।

फ़स्लः क़दरिया का यह ख़याल है कि ईमान से मारिफ़त मुराद है यह ख़याल भी बातिल है और इसकी कई वजहें है। पहली वजह यह है कि अहले किताब नबुव्वते मुहम्मद सल्ला० को इस तरह जानते थे जिस तरह कि अपने बच्चौं को जानते थे और यह मारिफ़त उनके ईमान के लिये काफ़ी नहीं है बल्कि क़ुरआने मजीद उनके कुफ़्र की शहादत देता है और इज्माअं भी वे काफ़िर हैं। दूसरी वजह यह है कि बाज़ यह जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ला० की दावते नबुव्वत सच्ची है और उनके दिलौं में भी उसका यक़ीन है लेकिन अभिमान और दुश्मनी की वजह से इन्कार करते हैं चुनांचे अबू लहब और अबू जहल की यही हालत थी। अल्लाह तआला फ़र्माता है *वजहदू बिहा वसतैक़नत्हा अनफ़ुसुहुम ज़ुलमंव व उलूवं (अन्-नमल-१४)*। इन वजहौं से साफ़ ज़ाहिर है कि केवल मारिफ़त ईमान के लिये काफ़ी नहीं है बल्कि

तस्दीक़ और एतक़ाद की ज़रूरत हैं इस लिये जिन्हों ने मारिफ़त से ईमान की ताबीर की है ग़लत है।

फ़स्लः अहले सुन्नत कहते हैं कि ईमान और इस्लाम एक ही हैं क्योंकि इस्लाम से अहकाम को स्वीकार करना और उसका एतक़ाद मुराद है और यही माने ईमान के है। इस माना के एतबार से ईमान और इस्लाम में लुज़ूम है यानि इन दोनों में फ़र्क़ नहीं है लेकिन अगर ईमान और इस्लाम के लग़वी मानौं (कोशिक अर्थ) में ग़ौर किया जाए तो इन दोनों में लुज़ूम नहीं है और यही मज़्हब बाज़ मोतज़ला और हश्विया का है। उन लोगौं ने अपने मज़्हब पर यह इस्तिदलाल किया है कि अल्लाह तआला फ़र्माता है *क़ालतिल आराबु आमन्ना क़ुल लम तूमिनू वलाकिन क़ूलू असलमना (अल-हुजुरात-१४)*। इस आयत से साफ़ यह बात साबित होती है कि इस्लाम और ईमान की हक़ीक़त ऐक नहीं है। इसका जवाब यह है कि इस्लाम शर्अ शरीफ़ में जो मोतबर है ईमान के बग़ैर पाया नहीं जाता मगर इस आयत शरीफ़ में जो इस्लाम का जिक़र किया गया है उससे सिर्फ़ इनक़ियादे ज़ाहिरी (ज़ाहिरी बंधन) मुराद है और वह सिर्फ़ इसी वजह से है कि बाज़ अहकामे शरई के अदम इज्रा के लिये इनक़ियादे ज़ाहिरी मानेअ (बाधक) होजाए। ग़र्ज़ जम्हूर अहले सुन्नत का यह मज़्हब है कि इस्लाम और ईमान एक हैं और उन दोनों में लुज़ूम और इत्तेहाद है।

फ़स्लः इस विषय मे इख़तिलाफ़ है कि मैं इंशाअल्लाह मोमिन हूँ कहना सही है या नहीं। जम्हूर का यह मज़्हब है कि अगर किसी को

अपने मोमिन होने में शुबह है तो मैं इंशाअल्लाह मोमिन हूँ कहना कुफ़्र है और अगर उसको अपने ईमान में शुबह नहीं है बल्कि अदब के ख़याल से यह कलिमा कहता है या इस ख़याल से कि ख़ातिमा का हाल सिवाय ख़ुदाए तआला के किसी को मालूम नहीं है या अपने ईमान को अल्लाह तआला की मशीयत के हवाले करता है या तज़कियए नफ़सानी के ख़याल से या इस ख़याल से कि नफ़्स में ख़ुदबीनी (अभिमान) न होजाए यह कलिमा कहना मुज़ायक़ा (हर्ज) नहीं है लेकिन बेहतर यह है कि यह कलिमा अपनी ज़बान से न कहे।

फ़स्ल: इन्सान की सआदत (सौभाग्य) और शक़ावत (दुर्भाग्य) अल्लाह तआला की मशीयत पर मौक़ूफ़ है इस लिये मुम्किन है कि सईद (भाग्यशाली) शख़्स का ख़ातिमा (अंत) शक़ावत पर हो जाए और यह भी मुम्किन है कि शक़ी (अभागा) का अंत सआदत पर होजाए।

फ़स्ल: मोमिन की दो क़िस्म हैं, मोमिने सालेह - मोमिने फ़ासिक़। मोमिने सालेह वह है कि सही ऐतक़ाद के साथ अमेल सालेह और इत्तिक़ा (संयम) से मौसूफ़ हो। ऐसे मोमिनीन की नजात अल्लाह तआला के फ़ज़्ल से होजाएगी क्योंकि अल्लाह तआला ने परहेज़गार मोमिनीन को बख़श देने का वादा फ़र्माया है। चुनांचे अल्लाह तआला फ़र्माता है *इन्नल लज़ीन आमनू व अमिलुस सालिहाति लहुम जन्नातुन तज्री मिन तहातिहल अन्हार ज़ालिकल फ़ौज़ुल कबीर (अत-तारिक़-११)* और यह वादा जिसका ज़िकर अल्लाह तआला ने कई आयतौं में किया है यक़ीन है कि उसको अपने फ़ज़्ल से पूरा करेगा। हाँ उन

मोमिनीन के विषय में बहस है जो अमले सालेह और इत्तिक़ा से मौसूफ़ नहीं हैं बल्कि उनसे गुनाह सादिर हुए हैं, उनकी नजात में उलमा को इख़्तिलाफ़ है, उलमा ऐसे मोमिन को फ़ासिक़ कहते हैं। फ़ासिक़ वह शख़्स है जौ कबीरा (बड़े) गुनाहौं के सादिर होने या किसी सग़ीरा (छोटे) गुनाह पर मुसिर (आग्रही) होने से अल्लाह तआला की ताअत से ख़ारिज होगया हो। बिदअती भी उलमाए अहले सुन्नत के पास फ़ासिक़ है। बिदअती से वह शख़्स मुराद है जिसका एतक़ाद अहले हक़ के मुख़ालिफ़ हो और अहले हक़ यानि अहले सुन्नत का एतक़ाद जो अल्लामा तक़ताज़ानी ने शर्ह मक़ासिद में बयान किया है यह है कि आलम हादिस है और आलम को बनाने वाला क़दीम है सिफ़ाते क़दीमा से मौसूफ़ है जो उसके ऐन हैं और न ग़ैर हैं। उसकी ज़ात एक है उसका कोई मुशाबेह (समान) नहीं है, कोई उसकी ज़िद (विपरीत) नहीं है कोई उसका शरीक नहीं है, उसकी ज़ात की निहायत नहीं है न उसको सूरत है न हद है, किसी चीज़ में उसकी ज़ात हाल नहीं है, उसकी ज़ात के साथ कोई नई चीज़ क़ाइम नहीं है, उसकी ज़ात को हर्कत और इंतिक़ाल (स्थानांतरण) नहीं है। जहल और सिफ़ाते नुक़्स से मौसूफ़ नहीं है। उसकी ज़ात के लिये मकान और चार दीवारी नहीं है, न उसके लिये कोई जिहत (दिशा) है। जो चाहता है करता है और जो नहीं चाहता नहीं करता। किसी चीज़ का मुहताज नहीं है। उसपर कोई चीज़ वाजिब नहीं है। सब मख़लूक़ अल्लाह तआला के क़ज़ा और क़द्र से पैदा हुवी है और उसकी मशीयत और इरादे के मुताबिक़ मौजूद हुवी है। क़बाएह यानि बुरी चीज़ें उस से सादिर हुवी हैं मगर उनसे राज़ी नहीं है और न उनका हुक्म करता है। हश्रे जिस्मानी,

अज़ाबे क़ब्र, हिसाब, सिरात, मीज़ान, दोज़ख़ और जन्नत मख़लूक़ है। काफ़िर आग में हमेशा रहेंगे और फ़ासिक़ नहीं रहेंगे। अफ़ू और शफ़ाअत हक़ है, क़यामत के अश्रात मसलं दज्जाल और याजूज माजूज का निकलना और ईसा अले० का उतरना, पश्चिम की तरफ़ से सूर्य का तुलूअ होना, दाब्बतुल अर्ज़ का निकलना, यह सब उमूर हक़ हैं। आदम अले० सब अम्बिया अले० से पहले हैं और मुहम्मद सल्ला० आख़िरूल आम्बिया हैं। पहले ख़लीफ़ा अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ी० आपके बाद उमर रज़ी० आपके बाद उस्मान रज़ी० और आपके बाद अलीयुल मुर्तज़ा रज़ी० हैं। जिसने इजमालन् इन सब चीज़ौं को हक़ जाना और उनकी हक़ीक़त का एतक़ाद रखा वह अहले सुन्नत से है, और जिसका यह एतक़ाद नहो फ़सिक़ और बिदअती है। अल्लामा ने इस फ़ेहरिस्त में बाज़ मोतक़दात तर्क कर दिये हैं मसलं अल्लाह तआला आलिमे ज़ुज़ीयात है और कलामुल्लाह ग़ैर मख़लूक है और बंदा अपने आमाल का ख़ालिक़ नहीं है बल्कि उन आमाल का कासिब है और उनका ख़ालिक़ अल्लाह जल्ला शानहु है और मलाइका और आस्मानी कुतुब पर ईमान लाना, इन के सिवा और उमूर भी मतरूक (छोड़ दिये गये) हैं। हासिल यह है कि अल्लामा के क़ौल से मालूम होता है कि अहले मुन्नत से वह लोग मुराद हैं जो सब उमूरे मज़्कूरा के मोतक़िद हैं। बिदअती वह लोग है जो उमूरे मज़्कूरा के मोताक़िद नहीं है बल्कि उनके मुख़ालिफ़ हैं। वे तमाम उमूरे मज़्कूरा के मुख़ालिफ़ होंगे या बाज़ उमूर के। अगर वे तमाम उमूरे मज़्कूरा (उपर्युत्क विषयों) के विरोधी होंगे तो उनकी मुख़ालफ़त से नुसूसे सरीहा का इबताल (खंडन) लाज़िम आता होगा या इबताल लाज़िम न आता होगा।

अगर उनकी मुख़ालफ़त से नुसूस का इबताल लाज़िम आता है तो उस मुख़ालफ़त से उनकी तकफ़ीर होजाएगी और अगर नुसूस का इबताल लज़िम आता नहोगा बल्कि नुसूस की तावील करते होंगे और उस तावील की नज़ीरें शरईयात में मौजूद होंगी और उस से दूसरे नुसूस की मुआरिज़त (टक्राव) न होगी तो उस तावील से न उनकी तकफ़ीर लाज़िम आती है न बिदआत और अगर तावील की नज़ीरें शरईयात में मौजूद होंगी मगर दूसरे नुसूसे सरीहा उस तावील के मुआरिज़ (विरूध) होंगे तो उस तावील से कुफ्र लाज़िम आएगा, और अगर उस तावील की नज़ीरें शरईयात में मौजूद नहोंगी मगर नुसूस की मुआरिज़त ही उस से नहोती होगी तो इज्तिहाद होगा बिदअत नहीं होगी। क़िस्मे दुव्वम में यही तक़रीर होगी। हमारे ख़याल में बिदअत से ऐसा अम्र मुराद है जिसकी असल दीन में मौजूद नहो और न वह मुज्तहिदीन के किसी क़ानूने कुल्ली के तहत में आसकता है और न उस अम्र का कहने वाला मुल्हिम मिनल्लाह (जिसको अल्लाह की जानिब से इल्हाम हुवा) हो और न वह ख़ुद मुज्तहिद हो बल्कि उसका मन्शा हवाए नफ़्स हो। पस उस अम्र का आमिर मुब्तदे होगा और उसका अम्र बिदअत। *वल्लाहु आलमु।*

फ़स्लः ईमाने मुक़ल्लिद के बयान में। अकसर उलमा और फ़ुक़हा का यह मज़्हब है कि ईमाने मुक़ल्लिद सही और मक़बूल है मगर शेख़ अबुल हसन अश्अरी और मोतज़ला और अकसर मुतकल्लिमीन का यह मज़्हब है कि ईमाने मुक़ल्लिद सही नहीं है। जम्हूर कहते हैं कि तस्दीक़ में यक़ीने जाज़िम (निश्चित विश्वास) का एतबार है इस तौर

पर कि उसकी नक़ीज़ यह ज़िद (विपरित) का ख़याल दिल में न आए। इस तरह की तस्दीक़ मुक़ल्लिदीन को हासिल है इस लिये उनका ईमान मक़बूल और सही है। कभी तस्दीक़ बग़ैर इल्म व मारिफ़त भी पाई जाती है चुनांची हम अम्बिया अले० और मलाइका पर ईमान लाए हैं और अहवाले क़यामत मसलं मआदे जिस्मानी (शारीरिक पुनर्जीवन), हिसाब, मीज़ान, सिरात वग़ैरा जीज़ौं को हम ने देखा नहीं और न उनके ज़वात का हम को इल्म है लेकिन उनके वजूद का हमको दृढ़ विश्वास है और यही दृढ़ विश्वास ईमान है। ग़र्ज़ अहले सुन्नत के पास मुक़ल्लिद का ईमान सही है मगर आलिम (विद्यावान) और मुक़ल्लिद (अनुकर्ता) के ईमान में इतना फ़र्क़ मुसल्लम (प्रमाणित) है कि आलिम का ईमान तफ़सीली है और मुक़ल्लिद का ईमान इज्माली।

फ़स्ल: अहले सुन्नत का मज़्हब यह है कि अगर मोमिन से गुनाह सादिर हो तो वह मोमिन ही रहता है । ख़वारिज कहते हैं कि वह काफ़िर होजाएगा और मोतज़ला कहते हैं कि साहबे कबीरा (बड़े गुनाह वाला) न मोमिन है न काफ़िर है। उसकी वजह यह है कि मोतज़ला और ख़वारिज ने आमाल को ईमान का भाग बतलाया है तो जब तक किसी चीज़ के अंश मौजूद नहीं होंगे वह चीज़ मौजूद नहीं होगी। अहले सुन्नत कहते हैं कि ईमान केवल तस्दीक़े क़ल्बी (हार्दिक मंडन) है और चूंकि आमाल उसमें दाख़िल नहीं हैं ईमान की स्थिरता में उनकी मोजूदगी या ग़ैर मौजूदगी से कोई असर नहीं पड़ता, इस लिये मोमिन से गुनाहे कबीरा सादिर हो या सग़ीरा उसके ईमान के ज़वाल का सबब नहीं हो सकता। हाँ वह मोमिन जिस से गुनाहे कबीरा

सादिर हुवा है मोमिने फ़ासिक़ है, मुम्किन है कि अल्लाह तआला उसको बख़श दे, क्योंकि अल्लाह तआला ने क़ुरआने मजीद में फ़र्माया है कि शिर्क के सिवा सब गुनाहौं को बख़श दूंगा, चुनांचे फ़र्माता है *इन्नल्लाह ला यग़्फ़िरू अंय युश्रक बिही व यग़्फिरू मा दून ज़ालिक लिमंय यशाउ (अन्-निसा-११६)*। इस आयत से साबित होता है कि अल्लाह तआला शिर्क के सिवा सब गुनाहौं को बख़श देगा और चूंकि यह वादा है ज़रूर पूरा होगा। इस लिये ख़वारिज का यह कहना कि मोमिने फ़ासिक़ काफ़िर है और मोतज़ला का यह कहना कि मोमिने फ़ारिक़ न मोमिन है न काफ़िर है बिल्कुल ग़लत है।

फ़स्ल: जम्हूर अहले सुन्नत का मज़्हब यह है कि मोमिने फ़ासिक़ आग में दाख़िल किया जाएगा और अज़ाब पाने के बाद अल्लाह तआला की रहमत से आग से निकाला जाएगा और जन्नत में दाख़िल किया जाएगा। बाज़ आयतें इस बात पर दलालत करती हैं कि दोज़ख़ में वही शख़्स दाख़िल होगा जिसने अल्लाह तआला को झुटलाया है और मूंह फेर लिया है, चुनांचे अल्लाह तआला फ़र्माता है *ला यस्लाहा इल्लल अश्क़ा अल्लज़ी कज़्ज़ब व तवल्ला (अल्-लैल-१५)* यानि क़यामत के दिन रूसवाह (अनादर) और बुराइ काफ़िरीन पर है। अल्लाह तआला फ़र्माता है *कुल्लमा उल्क़िय फ़ीहा फ़ौजूं सअलहुम ख़ज़नतुहा अलम यातिकुम नज़ीरून क़ालू बला क़द जाअना नज़ीरून फ़कज़्ज़ब्ना व क़ुल्ना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शैइन, इन अतुंम इल्ला फ़ी ज़लालिन कबीर (अल्-मुल्क-८,९)* यानि नरक में कोइ फ़ौज दाख़िल होगी तो ख़ाज़िनाने दोज़ख़ उनसे पूछेंगे कया तुम्हारे पास कोई नज़ीर (डराने

वाला) नहीं आया, कहेंगे हाँ नज़ीर तो आया था मगर हम ने उसको झुजलाया और कहा कि तुम पर अल्लाह तआला ने कोई चीज़ नहीं उतारी और यह भी कहा कि तुम खुली हुवी गुमराही में हो। यह तीनों आयतें दो बातौं पर दलालत करती हैं, एक यह है कि क़यामत के दिन काफ़िरौं ही की रूस्वाइ होगी और दूसरी बात यह है कि दोज़ख़ में वही लोग जाऐंगे जिन्हों ने अल्लाह तआला से मूहं फेरा हे और अल्लाह तआला को झुटलाया है। *वल्लाहु आलमु।*

फ़स्ल: गुनाहगार के गुनाहों को सग़ीरा हो या कबीरा, तौबा करे या नकरे, अल्लाह तआला अपने फ़ज़ल और रहमत से बख़श देसकता है मगर शिर्क (अनेकेश्वर वाद) को नहीं बख़श्ता, चुनांचे पहले इसका ज़िकर किया गया है। अल्लाह तआला क़ुरआने मजीद में फ़र्मता है *इन्नल्लाह यग़फ़िरूज़ ज़ुनूब जमीअं (अज़-ज़ुमर-५३) और यह भी क़र्माता है व इन्नरब्बक लज़ू मग़फ़िरतिल लिन्नास अला ज़ुल्मिहिम (अर-रअद-६)* और जाइज़ है कि सग़ीरा गुनाह से मुवाख़ज़ा करे, चुनांचे अल्लाह तआला फ़र्माता है *ला युग़ादिरू सग़ीरतंव वला कबीरतं इल्ला अहसाहा (अल-कहफ़-४९)* हासिल यह है कि चुंकि अल्लाह जल्ल शानहु फ़ाइले मुख़्तार है अपनी मशीयत और अपने इरादे के मुवाफ़िक़ जो कुछ चाहता है करता है। मोतज़ला कहते है कि अल्लाह तआला बड़े गुनाहों को तौबो के बग़ैर नहीं बख़श्ता। उनका यह ख़याल ग़लत है क्योंकि ग़ुफ़्रान (क्षमा) और मग़फ़िरत (मुत्कि), राफ़त (दया) और रहमत (कृपा) उसकी सिफ़ात हैं, चुनांचे अस्मा ग़फ़ूर, ग़फ़्फ़ार, रहीम, रहमान और रऊफ़ इसी बात पर दलालत करते हैं। अगर इन सिफ़ात का

असर तौबा का मुहताज होगा और तौबा इनकी इल्लत (कारण) होगी तो इन सिफ़ात का इम्कान लाज़िम आएगा और ज़ाते बारी महले मुम्किनात होजाएगी और यह बातिल है। पस इन सिफ़ात का असर तौबा का मुहताज नहीं है और यही मज़्हबे अहले सुन्नत है।

फ़स्ल: तौबा के वजूब के बयान में कि मोमिन पर तौबा करना वाजिब है, चुनांचे अल्लाह तआला फ़र्माता है *या अय्युहल लज़ीन आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतं नसूहं (अत-तहरीम-८)*। अगर कोई मोमिन शख़्स तौबा न करेगा तो गुनाहगार होगा क्योंकि जो वाजिब को छोड़ देता है गुनाहगार है। इसी वजह से उलमा ने कहा है कि तौबा इबादते मुस्तक़िला है पस अगर किसी से तौबा के बाद गुनाह सादिर होजाए तो तौबा का इब्ताल नहीं होगा। तौबा का क़ुबूल होना अल्लाह तआला के लुत्फ़ व रहमत पर मौक़ूफ़ है और इस बात का यक़ीन करना चाहिये कि अल्लाह तआला इस वजह से कि तव्वाब (क्षमाशील) और रहीम (दयालु) है अपने फ़ज़ल व करम से तौबा क़ुबूल करेगा। चुनांचे क़ुरआने मजीद में फ़र्माता है *व हुवल्लज़ी यक़बलुत तौबत अन इबादिहि व याफ़ू उनिस सैयीआति (अश-शूरा-२५)*

फ़स्ल: अमर बिल माअरूफ़ व नही अनिल मन्कर के बयान में। जो लोग शरई मसाइल से वाक़िफ़ हों तो उनको चाहिये कि फ़ेले मारूफ़ का हुक्म करें और फ़ेले मुन्कर को मना करें। अगर मामूर बिहि वाजिब है तो उसका अम्र भी वाजिब है और अगर मामूर बिहि मस्नून है तो उसका अम्र भी मस्नून है। अगर मुन्हिय अन्हु (निषेध चीज़)

हराम है तो उस से मना करना वाजिब है और अगर मक्रूह (धुणित) है तो उस से मना करन मस्नून होगा। इसकी शर्त यह है कि अमर बिल मारूफ़ या नही अनिल मुन्कर से फ़ितना न फैले और अगर फ़ितने का अन्देशा हो तो अपने घर में बैठा रहे और बग़ैर ज़रूरत घर से बाहर न निकले और अगर हलाकत का अन्देशा होतो उस से शहेर को छोड़दे।

आमिर बिल मारूफ़ और नाही अनिल मुन्कर किसी के छिपे हुवे भेदौं की तलाश नकरे क्योंकि अल्लाह तआला फ़र्माता है *वला तजस्ससू* यानि तजस्सुस (जिज्ञासा) मत करो।

अल्लाह जल्ल शानहु का शुक्र है कि यह रिसाला पूरा होचुका।

व आख़रू दावाना उनिल हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन।

अल अ़क़ाइद

(तीसरा और चौथा भाग)

लेखक

ह. बहरूल उलूम अल्लामा

सैयद अशरफ़ शम्सी रह.

अल्लामा शम्सी रिसर्च अकाडमी

हैदराबाद - 500 020.

अल अ़क़ाइद

अल अ़क़ाइद

अल अ़क़ाइद्द

अल अ़क़ाइद

अल अ़क़ाइद

अल अ़क़ाइद